नगर परिषद परबतसर जिला नागौर के लेखों की अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/98 तक

भाग 1

1. गत अंकेक्षण: गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है जी।

क) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/84 से 3/85

पैरा क्र॰ 7 अनिर्णीत: मैन्टीनेंस चार्जेज जो रु॰ 148.45 रु॰ आवासन बोर्ड द्वारा कम जमा करवाये गये थे उसकी अभी वसूली नहीं की गई। आवासन बोर्ड परबतसर ने रु॰ 1457.35 मैन्टीनेंस चार्जेज की कटौती की थी परन्तु उसका विवरण अभी प्रस्तुत नहीं किया।

ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/85 से 3/86

पैरा क्र॰ 9 ए अनिर्णीत:- रु॰ 50.33 का भुगतान जो मजदूरों को किया गया था उस कार्य की प्रगति माप पुस्तिका में दर्ज नहीं की गई थी, अतः मजदूर कोऑपरेटिव लि॰ परबतसर में कार्यरत थे तो वसूली करके रसीद प्राप्त कर के परिषद निधि में जमा करवायी जावे।

ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

पैरा क्र॰ 6 अनिर्णीत: रु॰ 5057 रु॰ जो पी॰ एल॰ ए॰ खाते में कम पाये गये थे . . . को परिषद निधि से निकाल कर पी॰ एल॰ ए॰ में जमा नहीं करवाया गया।

पैरा क्र॰ 7 अनिर्णीत: अनुदान योजनाओं का उल्लेखन करने वालों के लिये [illegible] परन्तु सरकार से [illegible] हेतु [illegible] नहीं की है। और अवधि 4/86 से 3/88 [illegible] अनुदान [illegible] की [illegible] नहीं की है।

पैरा क्र॰ 8 अनिर्णीत: [illegible] 4/86 से 3/88 तक [illegible] सरकार से [illegible] नहीं की गई।

[illegible]

[illegible]

पैरा ९ (i) अनिर्णीत : श्री गुरबख्श सिंह संविदाकार को रु० 23,569 की लागत निर्माण [illegible] हेतु दिया गया था जिसे [illegible] समायोजित नहीं [illegible]

पैरा ९ (ii) अनिर्णीत : रु० 71,72.70 रु० के व्यय की कमेटी से अभी स्वीकृति नहीं ली गई।

पैरा न० ९ (iii) अनिर्णीत : रु० 3307.78 रु० के सामान की प्रविष्टी भण्डार रजिस्टर में नहीं दिखाई गई [illegible] ही उसका [illegible] दर्शाया गया।

पैरा न० १४ अनिर्णीत : रु० 354 रु० की जो निजी कॉल प्रमाणित की गई उसकी अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा न० 12 अनिर्णीत : रु० 250 रु० का जो अधिक भुगतान किया गया उसकी शीघ्र वसूली की जाये।

पैरा न० 13 अनिर्णीत : श्री अली हसन खां [illegible] को रु० 12360.55 रु० का भुगतान [illegible] हेतु किया गया परन्तु उसे का कार्य [illegible] माप पुस्तिका में दर्ज नहीं की [illegible] प्रमाणित [illegible] जावे

पैरा न० 15 अनिर्णीत : रु० 1759 रु० अभी भी सरकारी खजाने में जमा नहीं किये जिसे शीघ्र वसूल कर के जमा [illegible] जावे।

पैरा न० 17 अनिर्णीत : रु० 14540 रु० की जो [illegible] टैक्स वसूली [illegible] थी उसकी शीघ्र वसूली की जावे।

पैरा न० 18 और 19 अनिर्णीत : सामग्री के दुरुपयोग करने हेतु दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जावे।

पैरा न० 20 अनिर्णीत : रु० 300 रु० का भुगतान [illegible] की [illegible] प्रस्तुत नहीं किया

पैरा न० 21 अनिर्णीत : रु० 910 रु० [illegible] की [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया।

पैरा न० 22 अनिर्णीत : रु० 360 रु० की [illegible] की [illegible] की पूर्ति की गई [illegible] नहीं [illegible] को [illegible]

पैरा नं० 23 आपत्ति : रु0 137 रु0 यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान श्री सुधीर जी को किया गया था उसकी शीघ्र वसूली की जावे।

पैरा नं० 24 आपत्ति : - रु0 58.40 रु0 का जो अधिक भुगतान मै० विजय इलेक्ट्रिकल्स परवाणु को किया गया उसकी अभी भी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 25 आपत्ति : रु0 340 रु0 जो खिलाड़ियों पर व्यय किये गये थे वे नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं था उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 26 आपत्ति : रु0 413.57 रु0 का जो दीपावली का सामान क्रय किया गया उसका इंद्राज व निपटारा नहीं दिखाया गया

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/88 से 3/90

पैरा नं० 6 आपत्ति : 10 कूड़ादानों की खरीद पर जो अधिक व्यय दर्शाया गया था उसको न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० 7 आपत्ति : नगर पंचायत/परिषद की दुकान के किराये रु0 625 रु0 प्रतिमाह को अभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया गया

पैरा नं० 8 आपत्ति : रु0 76.85 रु0 नगर पंचायत/परिषद के कार्यों अभी कमेटी से कार्योत्तर स्वीकृत नहीं करवाई

पैरा नं० 9 क आपत्ति : श्री महेश दत्त शर्मा सचिव से अवधि 7/88 से 4/91 तक रु0 768 रु0 का जो मकान किराया भत्ता दिया गया उसकी अभी वसूली नहीं की गई

पैरा नं० 10 आपत्ति : - रु0 168 रु0 बिजली के सामान में जो अधिक भुगतान किया उसकी अभी सप्लायर से वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 11 आपत्ति : श्री महेश शर्मा सचिव द्वारा रु0 3268.50 रु0 का पैट्रोल जो निजी वाहन में प्रयोग किया गया उसको उनसे वसूली की जावे तथा विभागीय कार्यवाही की जावे।

4
6

-5-

पैरा नं० 12 आपत्ति : जाली यात्रा भत्ता दावे हेतु जो जांच [illegible] उनके दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया।

पैरा नं० 13 आपत्ति : नगर पंचायत/परिषद के कार्य में औद्योगिक [illegible] जो टारकोल प्रयोग किया गया उसकी जांच रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई।

पैरा नं० 14 आपत्ति : श्री सतीश कुमार ठेकेदार से ऊंची दरों पर क्रय करने पर जो अधिक भुगतान किया गया उसका उत्तर अभी भी नहीं [illegible]

पैरा नं० 15 आपत्ति : मु० 3575 रु० की जो किराया की वसूली होनी थी उसको अभी भी [illegible] नहीं किया गया।

पैरा नं० 16 (3) आपत्ति : मु० [illegible] रु० जो अग्रिम श्री [illegible] सिंह ठाकुर को दी गई थी उसके न तो समायोजित लेखे प्रस्तुत किये और न ही उनसे वसूली की गई इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 17 आपत्ति : वर्ष 1989-90 में बजट से अधिक व्यय को अभी भी नियमित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 18 आपत्ति : श्री [illegible] पाल अधि० द्वारा मु० 1000 रु० का जो [illegible] यात्रा भत्ता अवैध रूप से लिया गया उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 19 आपत्ति : मु० 361 रु० का पेट्रोल जो [illegible] [illegible] को जारी किया उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 19(2) आपत्ति : [illegible] हेतु मु० 800 रुपये व्यय किये [illegible] नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 19 (3) आपत्ति : मु० 24.50 रु० का जो अधिक भुगतान [illegible] को किया गया उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 19(4) आपत्ति : श्री [illegible] लिपिक से मु० 103 रु० की अभी अधिक भुगतान की वसूली नहीं हुई। [illegible] शीघ्र किया जाये।

पैरा नं० 19(5) आपत्ति : [illegible] के [illegible] में जो मु० 180 रु० [illegible] अधिक [illegible] [illegible] न तो उसकी वसूली [illegible] [illegible] को नियमित करवाया

पैरा नं० 20 आपत्ति : श्री सतीश गुप्ता संविदाकार को जो रु० 752 रु० का अधिक भुगतान किया गया उसकी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 21 आपत्ति : रु० 3300 रु० के अतिरिक्त किये गये परन्तु [illegible] रजि० में नहीं [illegible] और न ही [illegible] गया अतः इस [illegible] को [illegible] नहीं बताया था

पैरा नं० 22 आपत्ति : श्री राजीव गुप्ता संविदाकार से [illegible] के [illegible] जो कम वसूली की गई उसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 23 आपत्ति : [illegible] पाइप [illegible] दर [illegible] करने पर [illegible] अधिक भुगतान किया उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 24 आपत्ति : रेट की [illegible] की वसूली रु० 535 रु० [illegible] संविदाकारों से नहीं की गई उसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 25 आपत्ति : श्री टेकचंद [illegible] को रु० 36 रु० अधिक भुगतान किया उसकी अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 26 (1) आपत्ति : नगर परिषद भवन के निर्माण कार्य से [illegible] की बाबत का विवरण [illegible]

पैरा 26 (2) आपत्ति : सीमेंट के [illegible] की कीमत 105 रु० [illegible] संविदाकारों से नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 27 आपत्ति : रु० 1635 रु० के [illegible] और [illegible] प्रस्तुत किया जाना [illegible]

पैरा नं० 28 आपत्ति : श्री [illegible] ठाकुर को [illegible] रु० 6220.59 [illegible] के अधिक भुगतान के वसूली [illegible] रु० 2700 रु० वसूल किये जा चुके हैं बकाया रु० 3520 रु० की वसूली नहीं [illegible] [illegible] कराया जावे।

पैरा न० 19 अनिर्णीत : सेक्टर 5 में बोरिंग कार्य निर्माण पर 0.30 कि मी० की गहराई। पीवीसी दिखाई गई जबकि यह 0.10 कि० मी० होनी थी परन्तु इसे न्यायोचित नहीं ठहराया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन 94-95 से 3/95

पैरा न० 3 ख अनिर्णीत : माह 12/94 की रोकड़ बही को सत्यापित द्वारा पूरा जांच अभी नहीं की गई जिसे म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 नियम 19(3) के अन्तर्गत आवश्यक जांच व हस्ताक्षर करवाये जायें।

पैरा न० 3 ग अनिर्णीत : प्रेरणा : शैल्टर अपग्रेडेशन स्कीम के अन्तर्गत नगर परिषद को हुडको से मु० 3,14,820 रु० प्रेरणा के दिनांक 4.3.94 को प्राप्त हुए थे और जो बाद में बैंक से 2,127,300 रु० प्राप्त हुए थे उनको भी अन्य कार्यों हेतु प्रयोग दर्शाया गया। किया गया जिसकी जिम्मेदारी अभी भी निर्धारित नहीं की गई।

पैरा न० 4 निर्णीत : अंकेक्षण शुल्क मु० 8070 रु० सरकारी खजाने में चालान संख्या दिनांक को जमा करवा दिया गया था।

पैरा न० 5 क,ख,ग अनिर्णीत :- सरकारी अनुदान : नगरपालिका परिषद द्वारा जो सरकारी अनुदान राशियाँ जिस कार्य हेतु प्राप्त हुई थीं उन अनुदान राशियों को अन्य कार्यों पर व्यय किया गया था जिसका विवरण पैरा में दर्शाया वर्णित है की कमी की सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति ले कर उस व्यय को नियमित नहीं करवाया गया, जिस पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है और जो सम्बन्धित प्रकरण पर निकाय कार्यों के अभी जारी नहीं किये गये वह भी शीघ्र जारी किये जायें।

जारी ... किया जाये।

पैरा न० 5 (1) आपत्ति : सरकारी अनुदान की रोकड़ बही में जो कुल 2,79,335 रु० अन्य कार्यों के लिये प्रयोग किये गये थे उस राशि को अभी पी०एल० ए० में जमा नहीं करवाया गया जिसे जमा करवाया जावे

पैरा न० 6 (1). आपत्ति : के० आर० यू० एस के अधीन प्राप्त सरकारी अनुदान राशियों के खर्च करने पर आवश्यक जांच हेतु अभी भी प्रस्तुत नहीं किये

पैरा न० 6 (2) आपत्ति : नगर परिषद/पंचायत द्वारा स्थापना पर व्यय की [illegible] का बजट के अनुसार [illegible]।

पैरा न० 6 (3) आपत्ति : अड्डा ठेकेदार से 30/427 रु० और 423774 रु० बकाया रहे जो शीघ्र वसूली की जावे।

पैरा न० 6 (4) आपत्ति : [illegible] टैक्स के अभी भी काफी राशि बकाया है जिसे शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा न० 6 (5) आपत्ति : किराया : श्री [illegible] सिंह पहाड़िया से [illegible] की अभी भी काफी राशि वसूली योग्य है जिसे शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा न० 6 (6) आपत्ति : होल सेल लाईसेंस : (होल सेल) थोक विक्रेता दुकानदारों के लाईसेंस शुल्क की अभी बहुत वसूली बाकी शेष है।

पैरा न० 6 (7). आपत्ति : परचून लाईसेंस : परचून विक्रेता दुकानदारों के लाईसेंस शुल्क की अभी बहुत वसूली करना शेष है।

पैरा न० 7 (1) आपत्ति : अड्डा ठेकेदार, [illegible] का [illegible] एवं फर्म रजिस्टर अभी भी नियमानुसार नहीं बनाया जा रहा जिसे नियमानुसार बनाया जावे

[illegible] किया जावे।

पैरा 7 (1) क आपत्ति : मै० एग्रीटिको इंजीनियरिंग आफ काउंसिल से कु० 819 रू० की सम्पत्ति कर की अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जावे

पैरा न० 7 (1) ख आपत्ति :- श्री एस. के. सैनी एलआईजी 95 से कु० 100 रू० की अभी वसूली नहीं की गई

पैरा न० 7 (1) ग : आपत्ति : मै० हिल्टन प्राईवेट कं० लि० से कु० 6998 रू० की सम्पत्ति कर की अभी वसूली नहीं की गई

पैरा न० 7 (2) कैटल पाउंड : आपत्ति :
कु० 454 रू० जिस राशि को अभी नगरपरिषद में जमा नहीं करवाया गया और कु० 336 रू० जो कम वसूल की गई थी उस राशि को भी जमा नहीं करवाया गया अतः कु० 454 रू० को शीघ्र जमा करवाया जावे और 336 रू० की वसूली की जाये।

पैरा न० 7 (3) आपत्ति :: नक्शा शुल्क :. नक्शा शुल्क जो नक्शा पास करने का प्राप्त किया गया था उसका विवरण अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया

पैरा न० 7 (4) आपत्ति : टैंडर फार्म : टैंडर फार्म सेल के कु० 630 रू० जो कम वसूल किये गये थे उसकी अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा न० 8 क आपत्ति : मानदेय : कु० 3795 रू० जो मानदेय राशि की कटौती की गई थी परन्तु इस राशि को अभी भी सम्बन्धित शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया जिसे जमा करवाया जावे।

पैरा न० 8 ख आपत्ति : कु० 600 रू० का भुगतान श्री सत्यम द्विवेदी को मानदेय का अधिक भुगतान किया गया जिसकी अभी तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 9 (1) आपत्ति : - दूरभाष विभाग से खाली जमीन का तहबाजारी रु० 3,05,073 रु की जो कि नहीं वसूल की गई थी उसकी वसूली हेतु शीघ्र कदम उठाये जायें।

पैरा नं० 9 (2) : आपत्ति : मै० पेप्सी इण्डिया लि० परवाणू से रु० 7,61,400 रु की राशि बकाया खाली जमीन की तहबाजारी (जो कि राशि जो ग्रा. 3.9.5 को वसूली सम्बन्धी के कारण अब तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र वसूल किया जाये।

पैरा नं० 9 (3) : आपत्ति : मै० केमली टायलेट्स प्रा० लि० परवाणू से खाली जमीन दर 6000 रु प्रतिवर्ष की दर से अभी तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा नं० 10 क आपत्ति : अधिक राशि ; नगर परिषद द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों को अधिक राशि दी गई परन्तु उनके समायोजित लेखे अभी भी लेखा में उपलब्ध नहीं करवाये गये अतः इन कर्मचारियों की शीघ्र वसूली की जाये। श्री मोहनसिंह ठाकुर रु 5500 रु श्री महेश रु० अग्निहोत्री 3600 रु श्री सुधीर जी 2015 रु श्री सुरेश कुमार खुब्बर 800 रु

पैरा नं० 10 ख आपत्ति : अधिक राशि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमों के विरुद्ध दिया गया जिस की वसूली की जानी चाहिए नहीं हुआ जो कि अधिक राशि दी गई उसकी वसूली का विवरण अभी भी नहीं दिखाया गया अतः इसका शीघ्र वसूली की जाये। श्री सुरेश कुमार सिंह 1000 रु श्री विनोद कुमार 750 रु गोविन्द कुमार रु 150 रु सुरेन्द्र ठाकुर रु 700 राजकुमार 300 रु मोहनलाल 1000 रु

5

पैरा नं० 10 (ग) आपत्ति : श्री योगेश [illegible] को 5,000 रु अग्रिम

अग्रिम — राशि बाबत [illegible] के हटाने हेतु दिए गये थे परन्तु इस राशि के समायोजन लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये, इस राशि की शीघ्र वसूली की जाये।

पैरा नं० 11 आपत्ति : पेयजलों पर व्यय — नगर पंचायत / परिषद ने हि० प्र० सरकार के मितव्ययता निर्देशों के विपरीत पेयजलों एवं [illegible] पर रु० 13,5[illegible] का व्यय किये इस व्यय को सरकार की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अथवा [illegible] कर्मचारियों से वसूली [illegible] शीघ्र कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 12 (फोटोस्टेट) आपत्ति : फोटोस्टेट — फोटोस्टेट पर अधिक व्यय को नियमित नहीं करवाया गया और न ही इसका [illegible] ठीक प्रकार [illegible] जा रहा है इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 13 क आपत्ति : वाचनालय हेतु जो अखबारों की खरीद की गई उसमें रु० 45 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी [illegible] वसूली नहीं की गई। जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा नं० 13 ख आपत्ति : [illegible] प्रधान (एस० डी० एम० सोलन) द्वारा जो अखबार क्रय की गई थी उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा गया और जो रु० 10 का अधिक भुगतान किया उसकी वसूली अभी तक नहीं की गई। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 13 (ग) आपत्ति : लेखा सामग्री की खरीद में जो अधिक भुगतान रु० 322 [illegible] द्वारा किया गया उसकी वसूली अभी नहीं की गई [illegible] सम्बन्धित [illegible] से वसूली कर के [illegible] में जमा करवाई जाये।

पैरा नं० 14 आपत्ति : टेक्नीकल [illegible] : [illegible] विभिन्न कार्यों हेतु [illegible] हि० प्र० सरकार के मितव्ययता निर्देशों के

अनुसार टेंकर्स प्रयोग करने के [illegible] थे। इस प्रकार रु0 3635 का डीजल व्यय किया गया फर्म की वसूली की जानी थी लेकिन में अभी तक नहीं कार्य किये शीघ्र किया जावे।

पैरा नं0 15 क आपत्ति : टैंकर :- टैंकर नं0 एच. आर. [illegible] 8003 की [illegible] जाँच में पाया गया कि टैंकर के लिये रु0 9863.70 का डीजल क्रय किया गया जिसको इन्द्राज लोग बुक में नहीं पाया गया इस प्रकार जो रु0 9863.70 का दुरुपयोग किया गया उसकी वसूली दोषी कर्मचारी से अभी नहीं की गई पीले शीघ्र किया जावे।

पैरा नं0 15 ख आपत्ति : टैंकर के स्टॉक रजिस्टर में कई त्रुटियाँ पाई गई जो मिलने के बिलों का स्टॉक रजिस्टर में अभी भी दर्ज नहीं किया गया अतः आवश्यक कार्यवाही की जावे।

पैरा नं0 15 (ग) आपत्ति : नगर परिषद। ज्वाइंट [illegible] टैंकर हेतु 2 टायर क्रय किये गये थे की अनुपयोगी लगाए का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया अतः अभी भी नहीं दिखाया गया। [illegible] कार्यवाही की जावे

पैरा नं0 15 (घ) आपत्ति : रु0 1600 रु0 जो टैंकर को प्रतिदिन [illegible] में किराये पर दिया था इस को किराये पर देने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया क्योंकि परिषद [illegible] का टैंकर [illegible] था अतः रु0 1600 रु0 की वसूली दोषी कर्मचारी से कराकर के पश्चात् परिषद कोष में जमा करवाया जावे।

पैरा नं0 15 (ड) आपत्ति : डीजल के उपयोग बाबत : दिनांक 30-8-94 को 38.50 लीटर डीजल टैंकर में [illegible] जिसे अभी नहीं दर्शाया गया इस प्रकार रु0 3160.0 रु0 डीजल के [illegible] दोषी कर्मचारी से वसूली की जावे

पैरा नं0 16 (क) आपत्ति : [illegible] [illegible] : [illegible] रु0 [illegible] का [illegible] दिया गया जो [illegible] [illegible] कर्मचारी से की जावे इस पर शीघ्र [illegible] [illegible] है।

पैरा नं० 16 (ग) आपत्ति : वाउचर नं० 4 दि० [illegible] बिल में रु० 11 रु० का [illegible] [illegible]

पैरा नं० 15 (ग) आपत्ति : मैं० [illegible] [illegible] [illegible] को 2% की दर से [illegible] किया गया जिसकी कोई [illegible] नहीं था इस प्रकार रु० 651 रु० का [illegible] किया गया इसकी वसूली की जावे, परन्तु [illegible] तक रु० 651 रु० की वसूली नहीं [illegible] नहीं [illegible] शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 15 (घ) आपत्ति : निजी वाहन हेतु पैट्रोल का [illegible] श्री [illegible] [illegible] नगर पंचायत द्वारा निजी वाहन (मोटर साईकिल) हेतु रु० 2356 रु० का पैट्रोल क्रय किया गया जिसकी वसूली श्री [illegible] से [illegible] के [illegible] [illegible] में जमा करवाया जावे जो कि आपत्ति [illegible] [illegible] किया गया था।

पैरा नं० 15 (ङ) आपत्ति : रु० [illegible] रु० [illegible] [illegible] को पैट्रोल हेतु दिये [illegible] जिसका [illegible] लेखा [illegible] में नहीं दिखाया गया जिस की वसूली की जावे।

पैरा नं० 16 (1) आपत्ति : पानी के बिल / बिजली के बिल नगर पंचायत ने पानी के बिलों / बिजली के बिलों को देरी से जमा करवाया जिससे रु० 1637.0 रु० का [illegible] [illegible] पड़ा है, इस की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत फंड में जमा करवाई जावे।

पैरा नं० 16 (2) आपत्ति : रु० 100 रु० पानी के [illegible] शुल्क दिया जिस की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जावे। शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 16 (3) आपत्ति : रु० 51.45 रु० विलम्ब शुल्क दिया गया जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से की जावे।

पैरा नं० 16 (4) आपत्ति : वाउचर नं० 4 दि० [illegible] ; पानी के बिल रु० 100 रु० का [illegible] [illegible] [illegible] दिया गया जो कि [illegible] नहीं था जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से की जावे इस पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

पैरा नं० 16 (ग) अतिरिक्त : खाता नं० ५ डी-[illegible] फ़ाइल में रु० 11 रु० को [illegible] भुगतान किया गया जिसकी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 16 ([illegible]) अतिरिक्त : रु० [illegible] रु० का दोहरा भुगतान किया गया फ़ाइल को शीघ्र [illegible] दोषी कर्मचारी से वसूली की जाये इस पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

पैरा नं० 16 (घ) अतिरिक्त : रु० 10990 रु० का जो दोहरा भुगतान किया गया उसकी [illegible] दोषी कर्मचारी से वसूली की जाये इस पर शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है।

पैरा नं० 16 (च) अतिरिक्त : खाता नं० 1 डी: रु० 1207.10 रु० का दोहरा भुगतान प्रतीत होता है [illegible] रिकार्ड में [illegible] नहीं [illegible] अतः रु० 1207.10 रु० की वसूली दोषी कर्मचारी से की जाये। शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

पैरा नं० 16 (छ) अतिरिक्त : खाता 1 डी- 117 : रु० 6536 रु० का दोहरा भुगतान किया गया जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जाये।

पैरा नं० 17 (क) अतिरिक्त : दूरभाष : [illegible] कार्यालय के दूरभाष नं० 2386 ([illegible]) [illegible] ([illegible]) का भुगतान रु० 900, 900 [illegible] किया गया इसके [illegible] प्रमाण पर [illegible] प्राप्त [illegible] किये [illegible] प्राप्त किया जाये।

पैरा नं० 17 (ख) अतिरिक्त : नगर पंचायत फरीदाबाद के टेलीफोन नं० 2033 [illegible] किया गया और [illegible] नहीं किया गया [illegible] अतः [illegible] वसूली कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जाये।

[illegible] नहीं [illegible] गया [illegible] सम्बन्धित [illegible] की जाये।

पैरा नं० 17 (3) आपत्ति :- रु० 3240 रु० का भुगतान टेलीफोन का बकाया बिलों का नया। प्रमाणित। मोहम्मद द्वारा जो कि केवल कर्मचारियों द्वारा की गई थी इसको विभागीय पैसे से दिया गया है। इसकी वसूली कि सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली नहीं की गई जिसे अति शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 17 (4) आपत्ति :- टेलीफोन डिस्कनेक्शन हेतु रु० [illegible] का भुगतान किया जो आपत्तिजनक है पर डिफाल्टर तथा नहीं था जिस की वसूली किये।

पैरा नं० 18 (1) (i) आपत्ति : विभागीय मोटर पम्प हैंडल देकर हेतु 17 सीमेंट बैग लगाने चाहिये थे परन्तु 57 बैग खरीद किये इस प्रकार 70 सीमेंट बैग कम प्रयोग करने को आपत्तिजनक नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० 18 (2) आपत्ति : माप पुस्तिका में माप को दर्ज करने को आपत्तिजनक ठहराया जावे।

पैरा नं० 18 (3) (3) आपत्ति :- रु० 166 रु० की प्रभावित ठेकेदार द्वारा कम करवाई गई इसकी अभी वसूली नहीं की गई जिसे ठेकेदार से वसूल कर लिया जावे।

पैरा नं० 18 (3) (4) आपत्ति :- रु० 187 रु० की प्रभावित ठेकेदार द्वारा कम करवाई गई इस की वसूली दोषी कर्मचारी से कर के राजकीय कोष में जमा करवाया जावे।

पैरा नं० 18 (5) आपत्ति : विभिन्न कार्यों तथा निर्माण ठेकेदार। उपवायु में [illegible] प्रभावों की करवाने के हेतु 23 सीमेंट बैग आवश्यक थे जब कि केवल 10 बैग सीमेंट लगाये गये। ठेकेदार कम लगाने को आपत्तिजनक ठहराया जावे।

पैरा 18 (1) (6) आपत्ति :- [illegible] 15 व 136 द्वारा रु० 1076 रु० का भुगतान किया गया परन्तु [illegible] को M.E. [illegible] [illegible] नहीं किया गया अतः आपत्तिजनक भुगतान का विवरण मांगा जावे।

पैरा नं० 18(1)(1) आपत्ति ; नालियों की मरम्मत में 15 सीमेंट बैग की खपत दर्शायी थी परन्तु केवल 5 बैग सीमेंट प्रयोग किये अतः 10 बैग कम प्रयोग को समायोजित नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० 18 (2) आपत्ति ; निर्माण कार्यो में निकाली सामग्री की मूल्य 1088.80 रू की अधिक खपत कर ली जिस की सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली की जाये।

पैरा नं० 18 (3) आपत्ति ; सड़कों एवं नालियों की मरम्मत में 11.50 सीमेंट बैग की खपत दर्शायी थी परन्तु केवल 5 बैग ही सीमेंट प्रयोग किया गया इस प्रकार 6.50 बैग कम प्रयोग करने को समायोजित नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० 18 (4) आपत्ति ; सड़कों एवं नालियों के मरम्मत का जो कार्य किया गया उसको म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा टैस्ट चैक नहीं किया गया।

पैरा नं० 18 (5) आपत्ति ; पेट्रोल द्वारा मुकदमा 500/80 का अधिक भुगतान श्री ... लाल, गुरदयाल सिंह ... लाल व ... को दिया गया। जिस की अभी तक वसूली नहीं की। शीघ्र वसूली की जाये।

पैरा नं० 18 (6) आपत्ति ; बिलों को ... अधिकारी द्वारा ... पारित नहीं किया गया। जिन्हें ... पारित करवा कर शीघ्र प्रस्तुत किये जायें।

पैरा नं० 18 (7) (1 ...) आपत्ति ; नगर पालिका परिषद द्वारा ... कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जो ... शीघ्र किया जाये।

... परन्तु ... शीघ्र ... किये जायें।

पैरा नं० 19 (1) ; आपत्ति ; ... हेतु ... परन्तु

पैरा नं० 19 (2) अनियमित : श्री नरेश कुमार ठेकेदार को [illegible] बाउडरी वाल में [illegible] के अतिरिक्त 57. की दर [illegible] [illegible] 10% में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। और [illegible] अतिरिक्त मदों को भी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

पैरा नं० 19 (3) अनियमित :- निर्माण कार्य ठेकेदार [illegible] द्वारा [illegible] का किया गया [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] [illegible] नहीं [illegible] गया जिसे अब प्रस्तुत किया जाये।

पैरा नं० 19 (3) अनियमित :- श्री [illegible] कुमार ठेकेदार को [illegible] [illegible] का भुगतान किया गया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] में नहीं [illegible] गया।
और ठेकेदार को रु० 10 के अधिक का भुगतान किया जिस की अब वसूली की जाये

पैरा नं० 19 (3) (2) अनियमित :- [illegible] [illegible], टैंक :- इस निर्माण कार्य में ठेकेदार को रु० 1.18 [illegible] अधिक भुगतान किया जिस की अभी तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र वसूल किया जाये।

पैरा नं० 19 (4) : अनियमित :- ठेकेदार द्वारा जो अतिरिक्त मदें [illegible] [illegible] गई उनकी [illegible] अधिकारी से [illegible] नहीं करवाया गया जिसे अब करवाया जाये।

पैरा नं० 19 (5) अनियमित :- ठेकेदार से जो [illegible] कर और [illegible] की कटौती की गई उसको [illegible] [illegible] को नहीं भेजा गया जिस पर अब कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 19 (6) : अनियमित : हिमाचल प्रदेश [illegible] बोर्ड को [illegible] [illegible] हेतु रु० 7500 का [illegible] अग्रिम दी गई थी परन्तु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गये।

पैरा नं० 19 (7) : अनियमित : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] थे परन्तु

उनका कोई विवरण नहीं दिखाया गया
इनिकार व बिक्री कर को अभी सम्बन्धित
विभागों में जमा नहीं कराया गया। संशोधित
प्रमाणन भी प्रस्तुत नहीं किए।

पैरा नं० 19 (6) : आपत्ति :- पैरा में विवादित कार्यों के
संशोधित प्रमाणित अभी भी उपलब्ध नहीं
कराए गये।
तारकोल के 85 ड्रमों की खपत थी परन्तु 57
ड्रम खपत किये इस प्रकार 28 तारकोल के ड्रमों
मूल्य रु० 2538 का की राशि ठेकेदार से
अभी तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र
वसूल किया जाये।

पैरा नं० 19 (7) आपत्ति :- रु० 2755 रु० बाबत बिक्री कर
की काटी गई परन्तु इस को सम्बन्धित
विभागों में जमा नहीं कराया गया

पैरा नं० 20 (1) आपत्ति :- अधिक भुगतान :- मुबलिग 521
रु० की अधिक निकासी कर के गांव का दुर्विनियोजन
किया गया इस राशि की अभी तक वसूली नहीं
की गई जिसे शीघ्र किया जाये

पैरा नं० 20 (2) आपत्ति :- श्री सुधीर कुमार क्लर्क सुपरवाइजर
के माह 4/93 का वेतन का दो बार भुगतान
किया गया जिस की अभी तक वसूली नहीं की गई
जिसे अति शीघ्र वसूल किया जाये।

पैरा नं० 20 (3) आपत्ति :- मुबलिग 639 रु० का अधिक भुगतान
मै० भारत इलैक्ट्रीकल्स परवाणु को बाबत ट्यूब
लाइट का किया गया जिस की अभी तक वसूली
नहीं की गई जिसे अति शीघ्र वसूल किया जाये

पैरा नं० 20 (4) आपत्ति :- मुबलिग 30 रु० की अधिक
निकासी की गई जिस की राशि कर्मचारी से
वसूल कर के ग्राम पंचायत निधि में
जमा करवाया जाये।

पैरा नं० 20(5) अनियमित : मुकदमा 22/80 की औषध भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसकी अभी तक वसूली नहीं की गई। जिसे शीघ्र किया जावे-

पैरा नं० 20(6) अनियमित : दिनांक 17.9.93 के विश्वकर्मा दिवस पर अवैतनिक कोनकरिट मु० 1037 रु० का भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसकी अब वसूली की जावे अथवा दोषी कर्मचारी से वसूल कर के पंचायत। मौजद निधि में जमा करवायी जावे।

पैरा नं० 31(क) अनियमित : सामग्री क्रय करने बारे
निर्माण कार्यो हेतु विभिन्न सामग्री का क्रय किया गया परन्तु क्रय करते समय साधारण निविदाएं कोटेशनों में उल्लेख नहीं किया गया जिस पर अब आवश्यक कार्यवाही की जावे। (विवरण पैरा में है)

पैरा नं० 31(ख) अनियमित : सामग्री क्रय करने बारे :
ग्राम पंचायत द्वारा जो सामान क्रय किया गया उस का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया जिसका [illegible] पैरा में है [illegible], [illegible] [illegible] की [illegible] की गई इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 31(ग) अनियमित : रैलों के सामान पर कुल 9355 रुपये भुगतान को [illegible] दर्शाया जावे और पंचायत निधि से अनियमित खर्च की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी [illegible] से की जावे। इस पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

[illegible]

संबंधित निरीक्षणाधीन [illegible] [illegible] [illegible] को सुनिश्चित किया जावे।

पैरा न० ३१ (४) आपत्ति :- सहायक-कमिश्नर के आवास हेतु फर्नीचर : रु० ९१३५ रु० का फर्नीचर, सोफा सेट कुर्सियां टेबल का कवर इत्यादि सहायक-कमिश्नर के आवास हेतु क्रय किया गया जो कि नगर पंचायत/परिषद पर उचित भार नहीं है। आपत्तिजनक तौर पर क्रय किये गये फर्नीचर की दोषी कर्मचारी से वसूली की जाये।

पैरा न० ३१ (५) आपत्ति :- फर्नीचर की खरीद : रु० ११५८ रु० का मै० आनन्द फर्नीचर देहरादून से सोफा सेट, सेंटर टेबल, आफिस कुर्सी, टेलीफोन टेबल आदि क्रय किया गया परन्तु इस का अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाया गया फर्नीचर का क्रय सक्षम स्वीकृति से करने को व्यवस्थित किया जाये।

पैरा न० ३१ (६) आपत्ति :- बिजली के सामान का क्रय : रु० १२७६६ रु० का बिजली का सामान मै० इलेक्ट्रिकल एंड कम्पनी नाहन से क्रय किया गया इस भुगतान में रु० ९६६ रु० का अधिक भुगतान फर्म को किया गया इसकी अभी वसूली नहीं की गई जिस की वसूली दोषी कर्मचारी से और के नगर पंचायत/परिषद निधि में जमा करवाया जाये। 2 5 6

पैरा न० ३२ (१) आपत्ति : यात्रा भत्ते दावे : श्री महेश दत्त अधि. नगर पंचायत ने निजी वाहन द्वारा यात्रा की जो कि आपत्तिजनक थी इस प्रकार रु० १७३०.०० रु० का अधिक भुगतान किया जिसका विवरण दिया गया है इसकी अभी तक महेश दत्त से वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा न० ३२ (२) क आपत्ति : कर्मचारियों के दावे - यात्रा भत्ता - रु० ११०५ रु० के कर्मचारियों के दावों में यात्रा भत्ता का भुगतान किया जो कि आपत्तिजनक थे इन दावों की अभी वसूली नहीं की गई जिसे दोषी कर्मचारियों से वसूल कर के निधि में जमा करवाया जाये।

उपरोक्त निरीक्षण [illegible] को [illegible] किया जाये।

पैरा नं० २२ (ख) अनियमित :- यात्रा भत्ता रु० ३१८ का वहन कमला मीटिंग हेतु व्यय किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्र० पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसलिये इस की शीघ्र वसूली की जाये।

पैरा नं० २२ (ग) अनियमित :- यात्रा भत्ता;
दिनांक ११.३.९१ को गाड़ी परवाणू से चंडीगढ़ की यात्रा की गई जो टैक्सी द्वारा दिखाई गई किन्तु टैक्सी की स्पेसिफिकेशन नहीं करवाई गया।
दिनांक १२.३.९१ को गाड़ी परवाणू से शिमला और वापिसी टैक्सी द्वारा दर्शाई गई और उसी दिन निजी वाहन से भी यात्रा दर्शाई गई अत: इस मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की व राशि शीघ्र वसूल की जाये।

पैरा नं० २२ (घ) अनियमित : दिनांक ४.८.९१ और ३०.८.९१ के अनुमोदित कार्यक्रम भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

पैरा नं० २२ (ङ) अनियमित : अवधि २८.११.९१ से ४.१२.९१ तक जो अग्रिम टैक्सी भत्ता फैजल वान प्रशिक्षण शिविर हेतु प्राप्त किया गया उसकी राशि वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा नं० २२ (च) अनियमित : दिनांक १७.११.९१ को कार्यालय से छुट्टी उपस्थिति नहीं दर्शाई गई।

पैरा नं० २२ (छ) अनियमित : अवधि १८.३.९२ से २५.३.९२ का यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० २२ (ज) अनियमित :- सचिव नगर पंचायत द्वारा कोलम्बिया मीटिंग शिमला में किराया व्यय की परन्तु यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया गया जिसे अब करवाया जाये और प्रस्तुत किया जाये।

पैरा नं० 22 भाग (1) (2) आपत्ति : अनियमित यात्रा भत्ता दावे

श्री महेश दत्त सचिव द्वारा अनुपस्थिति अवधि में उपस्थिति दर्शाई गई और बैठक तक उन्हीं दिनों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया जो कि अनियमित था अतः गलत ढंग से जो यात्रा भत्ते लिये गये न तो उसकी वसूली की गई और न ही उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

पैरा नं० 22 भाग (3) आपत्ति :- जान बूझ कर अनुपस्थिति

श्री महेश दत्त सचिव द्वारा जान बूझ कर 126 दिन अनुपस्थित रहे जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया इसका भुगतान भी कर दिया गया अतः अनियमित भुगतान को नियमित करवाया जाये अन्यथा इस की वसूली शीघ्र की जाये।

पैरा नं० 22 भाग (4) आपत्ति : अनियमित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा

श्री महेश दत्त सचिव द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती नीलम देवी का रू० 3760 रू० का प्राइवेट हस्पताल में बाह्य मरीज (O.P.D) का दावा लिया गया जबकि श्री महेश दत्त नियमित चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance) प्राप्त कर रहा था इस प्रकार रू० 3760 रू० जो अनियमित भुगतान किया गया उसकी वसूली शीघ्र की जाये।

पैरा नं० 22 भाग (5) आपत्ति : विशेष भत्ता अधिक भुगतान

श्री महेश दत्त सचिव को रू० 150 रू० विशेष वेतन का (Special Pay) अधिक भुगतान किया गया जिसकी अभी तक वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा नं० 33(1) आपत्ति : अधिक भुगतान :

श्री सुधीर शर्मा कार्य पर्यवेक्षक को रु० 4000 का अधिक वेतन दिया गया इसमें से रु० 3600 रु० की वसूली की गई और रु० 400 रु० अभी भी वसूल नहीं किये गये जिसे अब शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा नं० 33(2) आपत्ति : रु० 500 रु० दिनांक 30.3.95 को निकाली की गई थी परन्तु न तो इसका हिसाब प्रस्तुत किया और न ही शेष राशि की वसूली की गई अतः इस पर शीघ्र कार्यवाही करके राशि वसूल कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जावे।

पैरा नं० 33(3) आपत्ति : दुबारा 30 रु० की जो अग्रिम निकाली की गई थी इस राशि की अभी भी वसूली नहीं की गई जिसे अब शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 34(1) आपत्ति : कामकाजी महिला छात्रावास

कामकाजी महिला छात्रावास की सम्पत्ति, तालों को इस्तेमाल करने भी दी नहीं किया गया, फर्नीचर, गीजर, अलमारी, फिल्टर, बैटरी आदि ठीक नहीं पाये गये जिसे शीघ्र ठीक किया जावे।

पैरा नं० 34(2) आपत्ति : कामकाजी महिला छात्रावास के लिये जो फर्नीचर, बिजली का सामान क्रय किया गया उसकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई जिसे शीघ्र लिया जावे।

पैरा नं० 34(3) आपत्ति : पैरा नं० 3 में दर्शाई गई कमियों निरीक्षण आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस पर अब शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 34(4) आपत्ति : बर्तनों का क्रय करना : होस्टल के लिये रु० 1700 रु० के बर्तन क्रय किये गये थे परन्तु इनका स्टॉक रजिस्टर में कोई इन्द्राज नहीं किया गया और न ही प्रमाणित नहीं करवाया अतः इस राशि को दोषी कर्मचारी से वसूल की जावे।

पैरा न० ३५(5) अनिर्णीत :- श्री करतार सिंह चौकीदार को कुल लिए 2000/- रु अग्रिम गाबे दी थी इस में से रु० 300/- रु अभी भी प्राप्त नहीं किये इस को शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा न० ३५ (6) अनिर्णीत श्री करतार सिंह चौकीदार को माह 4/93 से रु 2000 रु और अग्रिम गाबे दी थी परन्तु इस की भी वसूली अकैजारा में नहीं दिखाई गई जिसे शीघ्र वसूल कर के दिखाया जावे।

पैरा न० ३५ (7) अनिर्णीत :- मांग एव प्राप्ती रजिस्टर अभी भी तैयार नहीं किया गया और नहीं सिक्योरिटी रजिस्टर बनाया गया जिन्हें शीघ्र बनाया जावे।

पैरा न० ३५(8) अनिर्णीत :- रु 115.09 रु के अंतर जो रोकड़ बही में था उसे अभी भी समायोजित नहीं किया गया जिसे शीघ्र किया जावे।

पैरा न० ३५ (9) अनिर्णीत : जो रु० 50 रु को दी लेखा करने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया बल्कि अभी गाड़ियां जो प्राप्त की जा रही हैं उन्हें वेरी फैशना किया जा रहा है।

पैरा न० ३५ (10) अनिर्णीत :- रु 360 रु जो कम जमा कराये गये उसे अभी भी दोषी कर्मचारी से वसूल कर के जमा नहीं करवाये गए जिसे शीघ्र जमा करवाया जावे।

पैरा न० ३५ (11) अनिर्णीत : कार्यकारी अधिकारियों से अभी भी वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर के नहीं दिखाये गये।

पैरा न० ३५ (12) : अनिर्णीत 15560. रु किराये की कम वसूली रु० 15560 रु लोकल पैलेस की होटल में रहे ठेकेदार/कर्मियों से कम वसूली की गई दिखाया गया है में दर्शाया गया इस की अभी शीघ्र वसूली की जावे।

पैरा नं० २४ (१३) अनियमित श्री मोहे गोपाल वाली - होस्टल वार्डन की नियुक्ति : श्री मोहे गोपाल वाली की नियुक्ति दिनांक २६.११.९५ से की गई थी परन्तु सम्बन्धित आदेश अभी भी प्रस्तुत नहीं किये गये और एक पद के विरुद्ध दो वार्डन की नियुक्तियों को अभी भी नियमित नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० २५ (१) अनियमित : सचिव की नियुक्ति : श्री रमेश दत्त ने दिनांक ३.७.८९ को सचिव के पद का कार्य ग्रहण किया श्री रमेश दत्त को ५०६ के बाद दी दिनांक १.१.९२ को प्रोन्नत वेतन वृद्धि दी गई जिसको नियमित नहीं ठहराया गया।
श्री रमेश दत्त के विरुद्ध जो अनुशासनिक कार्यवाही की गई उससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज अभी भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

पैरा नं० २५ (२) अनियमित, नव नियुक्तियाँ : सर्व श्री [illegible] सिंह पुरुषोत्तम सिंह और रमेश कुमार की नियुक्तियां दिनांक २.७.९० से की गई थी परन्तु इनके पदों की सृजन करने के आदेश प्रस्तुत नहीं किये। और प्रबन्धक द्वारा चयनित की [illegible] अभी भी नहीं करवाई गई। निवास/शैक्षिक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये। और रोजगार कार्यालय से सम्बन्धित रिकार्ड को भी तैयार करके नहीं दिखाया गया।

पैरा नं० २५ (३) अनियमित : श्री [illegible] सिंह को अक्षमता की तीन वेतन वृद्धियां रोकी गई थी उनसे सम्बन्धित रिकार्ड लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया और जो ३५० रु की कटौती की गई उससे सम्बन्धित रिकार्ड अभी भी लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया

पैरा नं० २५ (४) अनियमित : श्री [illegible] कुमार [illegible] की तीन वेतन वृद्धियां रोकने हेतु आदेश। रिकार्ड अभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख)

पैरा नं० 25 (3) ग : अनिर्णीत : श्री हरी कृष्ण डेनोरी वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया गया था परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड, संकेतों के उपलब्ध नहीं किया गया और 9.8.92 को बहाल किया गया वह आदेश भी प्रस्तुत नहीं किये।

पैरा नं० 25 2(डी) अनिर्णीत : अनु. कार्मी महिला होस्टल अधीक्षक एवं लिपिक के पद पर नियुक्ति : श्री मति निर्मला भारद्वाज को दिनांक 8.1.92 से निलम्बित किया गया परन्तु उसको कार्यालय आदेश 1/93 से जारी किये और निलम्बन 1/92 से किया गया जिस बारे में कोई रिकार्ड अभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

पैरा नं० 25 (5) अनिर्णीत :- कर्मचारियों के छुट्टी खाते में जो त्रुटियां पाई गई थी उनको अभी भी ठीक नहीं किया गया अतः आवश्यक कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 26 अनिर्णीत भविष्य निधि :- भविष्य निधि खातों तथा भविष्य निधि के लेखों में जो अंतर था उसको अभी भी समायोजित नहीं किया और वह अभी भी जारी है इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 27 अनिर्णीत (क) : रु० 118.80 का 3 सीमेंट बोरी की कीमत कुमारी जी का अभिलम्ब जमा नहीं करवाई गई जिसे शीघ्र जमा करवाया जावे

पैरा नं० 27 (ख) अनिर्णीत :- रु० 1782.00 15 सीमेंट बैग की कीमत कुमारी जी का संविदाकारी सीमेंट से वसूल नहीं की गई जिसे शीघ्र वसूल किया जावे।

पैरा नं० 27 अ अनिर्णीत : 7.07 घन मीटर बजरी के पैसों की वसूली का आदेश था, वो जो अभी नहीं की गई उसे शीघ्र किया जावे।

पैरा नं० 27 (ब) अनिर्णीत : 20 फिटल फ्यूल पड़े रु० 2200 रुपये कैश 12/83 में बकाया दिखाया गया था परन्तु इस का फिजीकल सत्यापन नहीं करवाया गया अतः इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। रु० 2200 रु० की वसूली दोषी कर्मचारी से की जावे।

पैरा नं० 27 (2) अनिर्णीत : सीमेंट स्टाक रजिस्टर : श्री भीम सिंह ठाकुर का अभिकथन कि 35 बोरी सीमेंट विभिन्न कार्यों हेतु जारी की गई न है। इसका विवरण दिखाया जाए। रु० 1456 रु० सीमेंट के 35 बोरी की वसूली दोषी कर्मचारी से करके परिषद निधि में जमा करवाई जावे।

पैरा नं० 27 (3) अनिर्णीत : अभी भी [illegible] की फिजीकल सत्यापन नहीं की गई जिसे शीघ्र ही नियमानुसार किया जावे।

पैरा नं० 27 (4) अनिर्णीत : तारकोल के ड्रम : तारकोल के 479 खाली ड्रमों का कोई विवरण नहीं दिखाया गया है; 479 ड्रमों का मूल्य रु० 16760 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके परिषद निधि में जमा करवाई जावे।

पैरा नं० 27 (क) (5) अनिर्णीत : अनुपयोगी सामान के बारे में बिजली का सामान जो विद्युत विभाग द्वारा वापिस लौटाया जाना था जिसका विवरण पैरा में दिखाया गया अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई अतः इस सामान की ... की गई इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 27(डिन) आपत्ति: अनुपयोगी सामान को नष्ट करना

रु० 98703 रू० की वस्तुओं जो अनुपयोगी थी को बिना उचित कार्यवाही के नष्ट करने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया जब कि इस सामान (विद्युत) को स्क्रैप के आधार पर भी बेचा जा सकता था इस बारे में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

पैरा नं० 28 (1) आपत्ति: पैरा नं० 28 (1) में जो नगर परिषद द्वारा रजिस्टर बनाने / तैयार करने आपत्ति से छेड़ कभी भी नहीं बनाया गया यह सन्तोषजनक नहीं था इन रजिस्टरों को अति शीघ्र बनाया जाये।

पैरा नं० 28 (2) आपत्ति: पैरा नं० 28 (2) में वर्णित विभिन्न त्रुटियों / आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 28 (3) आपत्ति: होटल मोनाल परवाणु को सीवरेज के लिये रु० 27000 रु० सीवरेज के कनेक्शन के लिये जो परिषद निधि से व्यय किये गये थे उसकी अभी तक वसूली नहीं दिखाई गई।

पैरा नं० 28 (4) आपत्ति: रु० 604 रु० नेम प्लेटें बनाने हेतु व्यय किया गया था जो कि परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं था इसकी अभी तक सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसे शीघ्र प्राप्त किया जावे।

पैरा न० 28 (5) अनियमित :- मु० 10900 रू० की अनुदान राशि बाबत ल्यौने इल्तबीन हेतु प्राप्त हुई थी परन्तु इस राशि को मैन हाल बनाने हेतु प्रयोग किया गया परन्तु इस राशि की कार्योत्तर स्वीकृति अभी भी सरकार से प्राप्त नहीं की गई जिसे शीघ्र प्राप्त किया जाये।

पैरा न० 28 (6) अनियमित : आयकर को जमा करना

मु० 9754 रू० आयकर के विभिन्न ठेकेदारों के जमा करवाये गये थे परन्तु इन राशियों का पूरा विवरण नहीं दर्शाया गया जो अभी भी उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे अति शीघ्र तैयार किया जाये।

पैरा न० 28 (7) अनियमित :- टैरस वाल के लिये गलेजड स्टोन

मु० 8665 (6816) रू० की अनुदान राशि बाबत टैरस वाल के लिये स्लेट गलेजड स्टोन हेतु प्राप्त हुई थी इस राशि को अन्य निर्माण कार्य पर व्यय किया गया परन्तु इस की कार्योत्तर स्वीकृति अभी भी प्राप्त नहीं की गई जिसे शीघ्र प्राप्त किया जाये।

भाग- द्वितीय

2 वर्तमान अंकेक्षण :- नगर पालिका परिषद परवारा के अवधि 4/95 से 3/98 तक के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किये गए हैं श्री डी० आर० कायल, सहायक नियंत्रक (लो० प०) द्वारा दिनांक 11-4-2001 से 16-6-2001 तक (अवकाश के अतिरिक्त) नगर पालिका परिषद कार्यालय परवारा में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 4/95, 3/96, 7/96, 3/97, 9/97, और 3/98 के लेखों का चयन किया गया तथा निम्नांकित अभिलेखों के अतिरिक्त सभी अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को में प्रस्तुत किये गए।

3 वित्तीय स्थिति :- नगर परिषद परवारा की अवधि 4/95 से 3/98 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

1995-96

	नगर परिषद निधि (रु)	अनुदान राशि (रु)	योग (रु)
गत शेष	= 2,98,115	1,52,792	4,50,907,
प्राप्ती	= 18,24,462	3,35,828	21,60,290
योग	= 21,22,577	4,88,620	26,11,197
व्यय	= 18,13,356	1,66,517	19,79,873
शेष	= 3,09,221,	3,22,103	6,31,324

1996-97

गत शेष	3,09,221	3,22,103	6,31,324
प्राप्ती	= 26,31,796	3,51,017	29,82,813
योग	= 29,41,017	6,73,120	36,14,137
व्यय	= 26,58,728	1,65,201	28,23,929
शेष	2,82,289	5,07,919	7,90,208

1997-98

गत शेष	2,82,289,	5,07,919	7,90,208
प्राप्ती	41,75,885	4,25,790	46,01,675
योग	44,58,174	9,33,709	53,91,883
व्यय	30,15,873	2,35,661	32,51,533
अंत शेष	11,60,309	6,78,045	21,40,350

क) मुवलिग 28,857 रु० नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही में कमी

नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.3.98 को मुवलिग 14,33,445 रु० और अनुदान राशि की रोकड़ बही में मुवलिग 6,78,048 रु० कुल बकाया मु० 21,11,493 रु० दर्शाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

जबकि दिनांक 31.3.98 को नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही में बकाया मु० 14,62,302 रु० और अनुदान राशि की रोकड़ बही में बकाया मु० 6,78,048 रु० कुल बकाया मु० 21,40,350 रु० होना चाहिए था इस प्रकार मु० 28,857 रु० का अंतर है जो कि नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही में मु० 28,857 रु० कम बकाया दर्शाया गया अतः इस राशि मु० 28,857 रु० को कोषागार जमा करवाया जावे और नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही को समायोजित किया जावे और इसे निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जावे। मु० 28,857 रु० का जो अंतर है उसका विवरण निम्न है।—

नगर परिषद सिंधि की रोकड़ बही में प्राप्ति नहीं दर्शाई

	रु०
i) दिनांक 13.7.95 को परिषद सिंधि के खाता नं० 1626 जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में मु० 5335 रु० जमा करवाए परन्तु इस राशि की प्राप्ति (आय) रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई।	5335
ii) चैक नं० 741142 द्वारा मु० 20809 रु० प्राप्त हुए और जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक खाता नं० 1626 में मु० 20809 रु० को आय में credit किया गया जबकि परिषद की रोकड़ बही में रसीद नं० 66/64 मु० 18979 रु० और रसीद नं० 67/64 द्वारा मु० 690 रु० दिनांक 28.7.95 को कुल 19669 रु० की (आय) प्राप्ति दर्शाई गई इस प्रकार मु० 1140 रु० आय में (प्राप्ति) नहीं दर्शाई गई	1140.00
iii) चैक नं० 741708 दिनांक 17.10.95 द्वारा जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के खाता नं० 1626 में मु० 22,382 रु० जमा हुए परन्तु इस राशि को परिषद सिंधि की रोकड़ बही में आय में नहीं दर्शाया गया	22382
कुल योग	28857.00

पिछला योग 28,969.00

iv) दिनांक 23.11.95 को वाउचर नं० 10 द्वारा रु० 5650 रु० का भुगतान किया गया, परन्तु कैशबही में इस राशि को रु० 5960 रु० दर्शाया गया इस प्रकार कैशबुक बही में रु० 310 रु० अधिक व्यय दर्शाया गया उसको व्यय में किया गया बैंक खाता से भी रु० 5650 रु० ही निकाले गए थे। — 370.00

v) दिनांक 10.11.95 को रसीद सं० 60 से 62 द्वारा रु० 2485 रु० प्राप्त किये थे परन्तु कालम योग के कारण रु० 2465 रु० दर्शाये गए इसी प्रकार रु० 20 रु० व्यय में दर्शाए गए — 20.00

कुल योग 29,359

नगर परिषद निधि की कैशबही में व्यय को कम दर्शाए गये

i)	माह 3/95 में रु० 18 रु० बैंक कमीशन चार्ज के व्यय में नहीं दर्शाए गये	18.00
ii)	माह 6/95 में रु० 35 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	35.00
iii)	माह 7/95 में रु० 15 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	15.00
iv)	माह 9/95 में रु० 30 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	30.00
v)	माह 10/95 में रु० 7 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	7.00
vi)	माह 11/95 में रु० 55 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गए	55.00
vii)	माह 3/96 में रु० 52 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	52.00
viii)	माह 4/96 में रु० 10 रु० बैंक कमीशन चार्ज व्यय में नहीं दर्शाए गये	10.00
ix)	माह 4/95 में चैक नं० 3107 द्वारा रु० 1699 रु० की निकासी की गई और भुगतान भी 1699 रु० का किया गया परन्तु कैशबही में केवल उक्त राशि 1619 रु० दर्शाया गया इस प्रकार रु० 80 रु० व्यय में कम दर्शाए गये	80.00
x)	माह 4/95 में चैक नं० 3108 द्वारा रु० 14893 रु० की निकासी की गई और भुगतान भी 14893 रु० का किया गया परन्तु कैशबही में केवल 14793 रु० का दर्शाया गया इस प्रकार रु० 100 रु० व्यय में कम दर्शाए गए।	100.00
	कुल योग	402.00

रोकड़ बही में आय कम दर्शाई गई मु० 28857 रू०

कुल आय जो रोकड़ बही में कम दर्शाई गई = 29259 रू०
कुल व्यय जो रोकड़ बही में कम दर्शाया गया = 402 रू०
कमी आय (अंतर) = 28857.

(ii) रू० दिनांक 31.3.98 को नगर परिषद निधि की रोकड़ बही में मु० 14,33,445 रू० और अनुदान राशि की रोकड़ बही में मु० 6,78,048 रू० कुल रोकड़ मु० 21,11,493 रू० दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न है

		रू०
i) कोऑप. ट्र. बैंक अरबन कारपोरेट खाता नं० 1636		12,61,230
ii) — अरबन कारपो —	खाता नं० 126 (ओवरडा)	87636
iii) — अरबन कारपो —	127	1,37,879
	योग	14,86,745
(−) कमी अधिक जमा खाता नं० 126 में		340
	शेष	14,86,405
(+) जमा चैक जो बैंक द्वारा अभी जमा नहीं किये		47980
	योग	15,34,385
(−) कमी चैक जो जारी किये परन्तु बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया		1,20,032
	शेष राशि	14,14,353
(+) जमा हस्तगत राशि		19,092
	कुल रोकड़ राशि	14,33,445
iv) पी० एल० ए० ट्रेजरी कामोली में राशि (अनुदान राशि)		6,78,048
	कुल रोकड़ राशि	21,11,493

जब कि कुल रोकड़ राशि मु० 21,40,350 रू० होनी चाहिए थी इसी प्रकार अंतर मु० 28857 रू० कम है (2140,353 (−) 21,11,493) जिस पर, उक्त वर्णित कार्यवाही करके अनियमितता/आपत्ति का निस्तारण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ख) त्रृण देय :. नगर परिषद परवाणु को दिनांक 31.3.98 को जो अधिशाषी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया निम्न त्रृण देय रहे।

i) हुडको त्रृण मु० 1,09,373 रू०

ii) सोफट लोन मु० 1,75,000 रू०

कुल देय त्रृण 2,84,373

ग) विनियोग : नगर परिषद परवाणु ने दिनांक 31.3.98 को नगर परिषद निधि से कोई राशि विनियोग नहीं की गई थी।

4 अंकेक्षण शुल्क :. नगर परिषद परवाणु के अवधि 4/95 से 3/98 तक के लेखों का अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क मु० 2990 रू० बनते हैं जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या यु० एल० बी० ऑडिट- 517 दिनांक 16.6.2001 द्वारा उपरोक्त राशि को सरकारी कोष में शीर्ष "0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-60 अन्य सेवायें, 110- सरकारी लेखा परीक्षा के लिये शुल्क हि० प्र० यु० एल० बी० के अंतर्गत जमा करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। अतः इस राशि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत शीघ्र ही जमा करवा कर मूल कोष चालान पुष्टि करने व तत्पश्चात लौटाए जाने हेतु शीघ्र इस निदेशालय को भेजा जाये।

5. सरकारी अनुदान

(क) अनुदान राशियां अवधि ३१-३-९५ से पहले प्राप्त

नगरपरिषद परवाणु ने अवधि ३१-३-९५ के पहले तक अनुदान की जो राशि अनुपयुक्त शेष पड़ी थी, उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-'ख' में दर्शाया गया है। उपरोक्त परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु गत कई वर्षों से प्राप्त की गई अनुदान राशियों का उपयोग परिषद द्वारा ३१-३-९८ तक भी नहीं किया गया है। अतः अनुदान स्वीकृति पत्रों में दिये गये अनुबन्धों के अनुसार अनुपयोगी शेष राशि को शीघ्र ही सरकार को वापिस किया जाये, अन्यथा इसका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योत्तर एवं सक्षम बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें। अंकेक्षण में पाया गया, कि नगरपरिषद ने अनुदान राशि के आय और व्यय का रजिस्टर फार्म जी०-6 पर नहीं बनाया गया था जिस कारण से अनुदान राशियों के प्राप्ति और व्यय की पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु, अनुदान राशियों का आय और व्यय का पूर्ण विवरण फार्म-जी०-6 पर तैयार करवा कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(ख) नगरपरिषद द्वारा अवधि ५/९५ से ३/९८ में सरकार से जो अनुदान राशियां प्राप्त की गई उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट -'ग' पर दर्शाया गया है, परन्तु नगरपरिषद ने नगरपरिषद द्वारा अनुदान राशि रजिस्टर फार्म जी-6 पर न बनाने के कारण

अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद परवाणु इस रजिस्टर फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान स्वीकृति पत्रों में निर्दिष्ट अनुबन्धों के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदान राशियों का उपयोग दो वर्ष के भीतर किया जाना अपेक्षित है। यदि राशि का उपयोग दो वर्ष के भीतर नहीं किया गया हो तो उसका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योत्तर एवं समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जावे, तथा अनुपयुक्त शेष राशि शीघ्र सरकार को वापिस की जावे।

(ग) नगरपरिषद द्वारा अवधि 4/95 से 3/98 में शीर्ष "नौराड" के अन्तर्गत जो अनुदान राशियां (निदेशक, शहरी विकास, हि० प्र०) प्राप्त की गई उनका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-'घ' में दर्शाया गया है। अतः अनुदान राशियों को स्वीकृति पत्रों में निर्दिष्ट अनुबन्ध पत्रों के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जावे, तथा अनुपयुक्त राशि को शीघ्र सरकार को वापिस किया जाना सुनिश्चित किया जावे, अन्यथा पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही उपयोग किया जावे। अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपरिषद द्वारा अनुदान राशि के आय/प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर फार्म जी०-6 पर नहीं बनाया गया था, जिस कारण से अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु अनुदान राशियों की प्राप्ति और व्यय का पूर्ण विवरण फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें।

(घ) नगरपरिषद् द्वारा अवधि 4/95 से 3/98 के अन्तर्गत निदेशक, टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग से जो अनुदान राशियां प्राप्त की गई, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-'ङ' में दर्शाया गया है। नगरपरिषद् द्वारा अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय का रजिस्टर फार्म जी०-6 पर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु इस रजिस्टर फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृतियों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जावे। अनुपयुक्त शेष राशि सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस की जावे। उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों को भेजे जावें।

(ङ) नगरपरिषद् द्वारा अवधि 4/95 से 3/98 में जिलाधीश सोलन से जो अनुदान राशियां प्राप्त की गई उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-'च' पर दर्शाया गया है। नगरपरिषद् द्वारा अनुदान राशियों का फार्म जी०-6 पर प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की पूर्ण प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु इस रजिस्टर फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृतियों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जावे, अनुपयुक्त शेष राशि को सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस किया जावे, तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों को भेजे जावें।

(च) नगरपरिषद् द्वारा अवधि ५/९५ से ३/९८ में सांसद निधि से जो अनुदान राशियां जिलाधीश, सोलन के माध्यम से प्राप्त की गई उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट - 'छ' पर दर्शाया गया है। नगरपरिषद् द्वारा अनुदान राशियों का फार्म-जी०-6 पर प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की पूर्ण प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु इस रजिस्टर का फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जावे। अनुपयुक्त शेष राशि सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस की जावे, तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शीघ्र सम्बन्धित विभागों को भेजे जावें।

(छ) नगरपरिषद् द्वारा अवधि ५/९५ से ३/९८ में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत निदेशक शहरी विकास हि० प्र० से जो अनुदान राशियां प्राप्त की गई, उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट - 'ज' पर दर्शाया गया है। नगर परिषद् द्वारा अनुदान राशियों का फार्म जी०-6 पर प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की पूर्ण प्राप्ति और व्यय की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु इस रजिस्टर को फार्म जी०-6 पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जावे, अनुपयुक्त शेष राशि सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस की जावे, तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों को भेजे जावें।

(ज) नगर परिषद द्वारा अवधि ५/९६ से ३/९८ में चुंगी समाप्ति के एवज में जो अनुदान राशियां निदेशक शहरी विकास हि० प्र० से प्राप्त की गई, उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट - 'क' पर दर्शाया गया है। नगरपरिषद द्वारा अनुदान राशियों का फार्म - जी० ६ पर प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु इस रजिस्टर को फार्म जी०-६ पर बनाया जाना सुनिश्चित करें। अनुदान राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जावे, अनुपयुक्त शेष राशि सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस की जावे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों को भेजे जावें।

(झ) नगर परिषद द्वारा अवधि ५/९६ से ३/९८ में निदेशक शहरी विकास हि० प्र० से सदस्यों को मानदेय हेतु जो अनुदान राशि प्राप्त की गई, उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट - 'अ' में दर्शाया गया है। नगरपरिषद द्वारा अनुदान राशि का फार्म जी०-६ पर प्राप्ति एवं व्यय का रजिस्टर नहीं बनाया गया, जिस कारण से अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं व्यय की पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु इस रजिस्टर को फार्म जी०-६ पर बनाया जाना सुनिश्चित करें।

दोहरा भुगतान —— मु० 15088 रु०

नगरपरिषद् के उक्त के वाऊचरों का अवधि 5/88 से 3/92 का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगरपरिषद् द्वारा बिलों का भुगतान करते समय उसकी भलीभांति जांच पड़ताल न करने के कारण कुछ भुगतानों का नगरपरिषद् द्वारा दोबारा भुगतान कर दिया गया, जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं। इस प्रकार नगरपरिषद् निधि को लगभग मु० 15088 का दुर्विनियोजन किया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद् परवाणु इन दोहरे भुगतानों की पूर्ण छानबीन करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके नगर परिषद् निधि में जमा करवाया जाये, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

i) भविष्य में नगरपरिषद् निधि से भुगतान करते समय बिलों/कैशमीमो इत्यादि का सम्बन्धित सहायक/कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूर्ण जाँच पड़ताल करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाये।

1) दोहरा भुगतान — मु० 10371/- रु०

वाऊचर सं० 12 मास 2/90 राशि 13752/- रु०

वाऊचर सं० 19 मास 3/92 राशि 11801/- रु०

मु० 13752/- रु० का भुगतान श्री गुरबख्श सिंह संविदाकार को चैक सं० 675312 दि० 14-2-90 द्वारा बाबत वापसी प्रतिभूति राशियां विभिन्न कार्यों हेतु की गई, जिसका विवरण निम्न है :-

कार्य का नाम	राशि का भुगतान	टिप्पणी
	रु०	
निर्माण ढांचा सै०-1A, परवाणु प्रथम-चलित बिल	3451-00	
निर्माण ढांचा सै०-1A, परवाणु दूसरा व अन्तिम बिल	360-00	
रिटेनिंग वाल सै०-1A, परवाणु प्रथम चलित बिल	3865-00	बिल से कटौती 3865/-रु० की गई परन्तु भुगतान 3865/ का किया गया.
रिटेनिंग वाल सै०-1A, परवाणु दूसरा व अन्तिम बिल	3272-00	
रिटेनिंग वाल, सै०-1A, परवाणु प्रथम व अन्तिम बिल	2804-00	
कुल जोड़	13752-00	

अंकेक्षण में पाया गया कि श्री गुरबख्श सिंह संविदाकार को वाउचर नं० 17 मास 3/98 द्वारा मु० 10301/-रु० का पुनः उपरोक्त प्रतिभूति राशियां विभिन्न कार्यों हेतु का किया गया, जिसका विवरण निम्न है, इस प्रकार मु० 10301/-रु० का दोहरा भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाये और परिस्थिति से शीघ्र अंकेक्षण करवाया जाये, तदनुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

	रु०
निर्माण ढांचा सै०-1A, परवाणु दूसरा व अन्तिम बिल	360-00
रिटेनिंग वाल सै०-1A, परवाणु प्रथम चलित बिल	3865-00
रिटेनिंग वाल सै०-1A, परवाणु दूसरा व अन्तिम बिल	3272-00
रिटेनिंग वाल सै०-1A, परवाणु प्रथम व अन्तिम बिल.	2804-00
कुल जोड़	10301-00

ख) दोहरा भुगतान — मु० 4277/- रु०

वाउचर सं० 13 मास 12/95 राशि 4277/- रु०
वाउचर सं० 21 मास 1/98 राशि 5682/- रु०

मु० 4277/- रु० का भुगतान श्री शिव कुमार संविदाकार को बाबत प्रतिभूति की वापसी हेतु चैक सं० 3470 दि० 12/12/95 द्वारा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

माप पुस्तिका सं०	पृष्ठ	राशि	कार्य का नाम
12	65	854-00	ओपन सरफेस नाली LIG - 228 से 218A सै० -4, परवाणु (1st phase)
12	70	787-00	मुरम्मत सड़क प्रीमिक्स कारपेट सै०-4, परवाणु
12	41	854-00	प्री-मिक्स कारपेट सै०-4 LIG-228 से 218 A (2nd phase)
12.	89.	1782-00	निर्माण रास्ता और यू शेप ड्रेन चिल्ड्रन पार्क से LIG ब्लाक V और VI सै० -4, परवाणु
कुल जोड़		4277-00	

परन्तु - . वाउचर सं० 21 मास 1/98 द्वारा पुनः भुगतान श्री शिव कुमार ठेकेदार को बाबत प्रतिभूति राशि की वापसी उपरोक्त कार्यों की चैक सं० 6933 दि० 22-1-98 द्वारा की, जिसका विवरण निम्न है !-

माप पुस्तिका नं०	पृष्ठ	राशी रु०	कार्य का नाम
12	65	854.00	ओपन ब्रिकेस नाली LIG-ब्लाक 228 से 218 A सैक्टर-4 परवाणु (1st Phase)
12	70	787	मुरम्मत सड़क प्रीमिक्स कारपेट सैक्टर-4 परवाणु
12	41	854	प्री मिक्स कारपेट सैक्टर-4 परवाणु LIG ब्लाक-228 से 218A (2nd Phase)
12	89	1782	निर्माण रास्ता और यू शेप ड्रेन चिल्डरन पार्क से LIG ब्लाक नं० V और VI सैक्टर-4 परवाणु
		4277 रु०	

अतः मु० 4277 रु० का जो दोहरा भुगतान संवेदाकार श्री शिव कुमार को किया गया उस की शीघ्र वसूली की जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बंधित दोषी कर्मचारी। अधिकारी से की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

इसके अतिरिक्त दोषी कर्मचारी। अधिकारी के विरुद्ध कार्य में लापरवाही करने के कारण विभागीय कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

ग) दोहरा भुगतान — मु० - 250.00 रु०

वाऊचर सं० 12 मास 3/96 राशि 10000/-रु०
वाऊचर सं० 1 मास 4/96 राशि 288-60 रु०

मु० 10000/-रु० की अग्रिम राशि के समायोजित लेखे में श्री बी० एस० ठाकुर का० अभियन्ता, ने मु० 250/-रु० का भुगतान बिल सं० 836 दि० 27/12/95 को मै० आनन्द फर्नीचर, ममूर कॉम्पलैक्स सै०-1, परवाणु को बावत रंग करने, मेज का दर्शाया गया था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि वा० न० 1 मास 4/96 में चैक सं० 20179 दि० 3-4-96 द्वारा बिल न० 836 की डुप्लीकेट प्रति पर मु० 288.60 रु० की निकासी की गई। और भुगतान दोबारा मै० आनन्द फर्नीचर ममूर कॉम्पलैक्स सै०-1, परवाणु को दर्शाया गया, इस प्रकार मु० 250.00 का दोहरा भुगतान किया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से शीघ्र की जाये, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये।

घ) दोहरा भुगतान — मु० 900/-रु०

वाऊचर सं० 12 मास 4/95 राशि 900/-रु०
वाऊचर सं० 2A मास 5/95 राशि 900/-रु०

मु० 14892/-रु० की निकासी चैक सं० 3103 दि० 17-4-95 द्वारा विभिन्न बिलों हेतु की गई इसमें मु० 900/-रु० बिल टैलीफोन, जिलाधीश कार्यालय सोलन दूरभाष न० 5086 हेतु दर्शाया गया, परन्तु मु० 900/-रु० की प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे भुगतान की सत्यता नहीं जाँची जा सकी। और वाऊचर न० 2A मास 5/95 द्वारा मु० 900/-रु० की निकासी चैक न० 3110 दि० 5-5-95 बावत टैलीफोन

...) और वा० न० 4 मास 9/.. में बिल न० 302 की डुप्लीकेट प्रति पर बावत कैलम्पस स्टील पत्ती मं० 70 दर 7/- रु० कुल 490/- दर्शाया गया था परन्तु का० अभियन्ता न० 90 परवाणु

बिल   उपायुक्त कार्यालय सोलन
दुरभाष सं० 5086 हेतू दर्शाई गई। परन्तु इसकी वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद अभिलेख में नहीं दिखाई गई, इसके अतिरिक्त वा० 702A को सचिव/प्रधान द्वारा भी हस्ताक्षरित नहीं किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मु० 900/- रु० की निकासी दो बार की गई। अतः उपरोक्त राशियों की वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें दिखाई जाये अन्यथा मु० 1800/- परिषद् निधि मे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके जमा करवाये जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

490/-
(3) दोहरा भुगतान — मु० (350)/- रु०

वाऊचर सं० 8 मास 2/97 राशि 872/- रु०
वाऊचर सं० 43 मास 1/97 राशि 483/- रु०

मु० 872/- रु० की निकासी चैक सं० 454249 दि० 11-2-97 नगर परिषद् द्वारा बाबत अदायगी विभिन्न बिलो हेतू श्री बी० एस० ठाकुर क० अभियन्ता नगरपरिषद् परवाणु को की गई। इसमें पाया गया कि बिल सं० 302 दि० 24-1-97 मै० बिन्दल इन्जी० वर्क्स, प्लाट नं० 37, सै०-1 परवाणु बाबत कैलम्पस 1½" शीट पत्ती 70 संख्या @7/- की दर से मु० 490/- रु० का भुगतान श्री बी० एस० ठाकुर क० अभियन्ता को किया गया ("बिल पेड बाई मी" हस्ताक्षर बी० एस० ठाकुर) और वा० नं० 43 मास 1/97 मे बिल नं० 302 की डुप्लीकेट प्रति पर बाबत कैलम्पस स्टील पत्ती सं० 70 दर 7/- रु० कुल 490/- दर्शाया गया था परन्तु क० अभियन्ता नं० प० परवाणु

द्वारा दर काट कर 5/- प्रति कैलैण्डर की दर से मु० 350/- रु० का बिल किया गया और बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मु० 350/- रु० का पास किया गया और इस बिल की निकासी मु० 350/- रु० चैक सं० 006493 दि० 16-9-97 द्वारा की गई और इस राशि की प्राप्ति भी क० अभियन्ता द्वारा ही की गई, इस प्रकार मु० 350/- रु० की नगर परिषद् निधि से दोबारा निकासी की गई, और इसका दुर्विनियोजन किया गया। इस राशि की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से शीघ्र वसूली की जाये और तदानुसार इस कार्यालय को सूचित किया जाये।

घ) सन्देहस्पद भुगतान – मु० 1800/- रु०

वाउचर सं० 12 मास 6/95 राशि		2648-00
वाउचर सं० 7 मास 8/95 राशि		8550-00

नगरपरिषद् ने मु० 2648/- रु० की निकासी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक परवाणु से खाता सं० 1626 से दि० 4/7/95 को विभिन्न बिलो का अदायगी हेतु की गई इसमे से मु० 900/- रु० की निकासी बाबत टैलीफोन का बिल, जिलाधीश कार्यालय सोलन टैलीफोन नं० SOL-5086 हेतू किया गया। परन्तु मु० 900/- रु० की जिलाधीश कार्यालय से वास्तविक प्राप्ति की रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि मु० 900/- रु० जिलाधीश कार्यालय मे जमा हो गये है। मु० 8550/- रु० की निकासी

वाऊचर सं० 20 मास 1/96 द्वारा मु० 540/- रु० को

चैक सं० 3294 दि० 21-8-95 विभिन्न बिलों की अदायगी हेतु की गई। इस निकासी में मु० 900/- बाबत जिलाधीश सोलन के टैलीफोन नं० SOL-5086 हेतु की गई, परन्तु जिलाधीश सोलन कार्यालय से वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई।

अतः कार्यकारी अधिकारी परवाणु इस बारे में पूर्ण छानबीन करें की उपरोक्त वाऊचरों मु० 1800/-रु० की निकासी बाबत भुगतान टैलीफोन बिलों हेतु टैलीफोन नं० SOL-5086 जिलाधीश सोलन के लिये की गई, इस का भुगतान वास्तव में ही जिलाधीश सोलन को हो चुका है और इसकी प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीदें प्राप्त करके अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जावें अन्यथा मु० 1800/-रु० की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त करके परिषद् निधि में जमा करवाई जावे। इसके अतिरिक्त जिलाधीश सोलन के टैलीफोन नं० SOL-5086 के बिलों की अदायगी को न्यायोचित ठहराया जावे और टैलीफोन बिलों की छाया प्रतिलिपियां भी आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जावें।

ख) दोहरा भुगतान — मु० 540/-रु०

वाऊचर नं० 13 मास 12/95 राशि 540/-रु०
वाऊचर नं० 20 मास 1/96 राशि 540/-रु०

श्री संजीव कुमार शारदा ने नगर परिषद् परवाणु में दि० 1-7-95 से 9-7-95 तक क० अभियन्ता का कार्य किया और श्री संजीव कुमार को इस अवधि के मु० 540/-रु० (कार्यालय) चैक नं० 3032 दि० 12/95 द्वारा किया गया। अंकेक्षण में पाया गया की रोकड़ बही में

वाऊचर सं० २० मास 1/९६ द्वारा मु० 540/- रु० का अवधि 1-7-९५ से ९-7-९५ तक का पुन: भुगतान श्री संजीव शारदा को दर्शाया गया परन्तु प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीद अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मु० 540/- रु० का नगर परिषद निधि से दुर्विनियोजन किया गया। अत: मु० 540/- रु० की सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली कर परिषद निधि में शीघ्र जमा करवाया जावे। और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(ज) दोहरा भुगतान — मु० ५९५/- रु०

वाऊचर सं० २० मास 1/९६ राशि 1681/- रु०
वाऊचर सं० 11 मास 6/९६ राशि २५३७/- रु०

मु० 1681/- रु० का भुगतान रोकड़ बही में वा० नं० २० द्वारा विभिन्न बिलों की अदायगी हेतु दर्शाया गया। इसमें पाया गया कि बिल नं० 78 दि० 1-8-९५ मु० ५९५/- रु० का भुगतान मै० शिवालिक होटल परवाणु को बाबत 5 रखने का किया गया था।
अंकेक्षण में पाया गया कि चैक सं० २०५२6 दि० 6/96 द्वारा मु० २५२8/- रु० की निकासी बाबत विभिन्न बिलों हेतु की गई। जाँच में पाया गया की बिल नं० 78 दि० 1-8-९५ मै० शिवालिक होटल, परवाणु को मु० ५९५/- रु० का पुन: भुगतान दर्शाया गया। इस प्रकार मु० ५९५/- रु० का रोकड़ बही में दोहरा भुगतान दर्शाया गया, जिसको आक्षेपित ठहराया जावे और मु० ५९५/- रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल करके परिषद निधि में शीघ्र जमा करवाया जावे। और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

ग) दोहरा भुगतान — मु0 1968/- रु0

वाउचर सं0 8 मास 12/95 राशि 2656/-रु0
वाउचर सं0 7 मास 8/96 राशि 4414/-रु0

मु0 2656/- रु0 का भुगतान मै0 बलजीत ब्रदर्स कालका को बिल सं0 1228 दि0 7-12-94, बिल नं0 1164 दि0 30-11-95 बिल नं0 1090 दि0 15-11-95, बिल नं0 1089 दि0 15-9-95 का किया गया।

अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर नं0 7 मास 8/96 द्वारा मु0 4414/- रु0 की निकासी चैक सं0 20540 दि0 1-8-96 विभिन्न बिलो की अदायगी हेतु गई। जाँच में यह भी पाया गया कि बिल नं0 1089 दि0 15-9-95 मै0 बलजीत ब्रदर्स कालका को पुन: 1968/- रु0 का भुगतान ... क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया था।
इस प्रकार मु0 1968/-रु0 की अधिक निकासी करके नगर परिषद निधि का दुर्विनियोजन किया गया। अत: मु0 1968/-रु0 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि मे शीघ्र जमा करवायी जाये और तदानुसार इसे निदेशालय को सूचित किया जाये।

अस्थाई परिषद निधि का दुर्विनियोजन

7\. इम्परसैट राशि (Imprest Amounts) रु० 25,700/-

(क) अस्थाई परिषद निधि का दुर्विनियोजन
समायोजित लेखे उपलब्ध नही राशि रु० 25,700

नगरपरिषद् परवाणु का अंकेक्षण करते पाया गया कि निम्न राशियां नगर परिषद् परवाणु ने बाबत चुनाव/विभिन्न कार्यों हेतू इम्परसैट राशियां (Imprest) नगरपरिषद् निधि से निकासी की गई, परन्तु उनके समायोजित लेखे आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नही करवाये। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु को अंकेक्षण अधियाचना सं० 5 दिनांक 4-6-2001 द्वारा अनुरोध किया गया कि इन इम्परसैट (Imprest) राशियों के समायोजित लेखे जांच हेतू शीघ्र उपलब्ध करवाये जाये। परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इनके समायोजित लेखे उपलब्ध नहीं करवाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राशियों का अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजन किया गया होगा। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु यह सुनिश्चित करें इन इम्परसैट (Imprest) राशियों के समायोजित लेखे उपलब्ध करवाये जाये, अन्यथा सम्बंधित कर्मचारी से इन राशियों की वसूली करके नगर निधि में शीघ्र जमा करवाया जाये और तदानुसार निदेशालय को सूचित करे।

चैक नं०	दिनांक	राशि	बैंक का नाम
3103	17-4-95	1000-00	दि जोगिन्द्रा सैन्ट्रल (?) बैंक, परवाणु
3409	13-12-95	5000-00	— यथोपरि —
3464	18-12-95	10000-00	— यथोपरि —
20064	1-2-96	3700-00	— यथोपरि —
439772	25-9-95	5000-00	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
439775	8-1-96	1000-00	— यथा —
	योग	25,700-00	

-50-

वाऊचर उपलब्ध नहीं – निकासी रु0 19151.00 रु0

नगरपरिषद् परवाणु के अंकेक्षण करते समय बैंको की पास बुको के अवलोकन से पाया गया कि निम्न लिखित राशियों की निकासी सम्बन्धित बैंको से की गई थी, परन्तु उस निकासी के सम्बन्धित उमन / वाऊचर सम्बन्धित मासो में नहीं पाये गये।

अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु यह सुनिश्चित करे कि इन राशियों की निकासी किन उमन / वाऊचरो हेतु की गई। अन्यथा इन राशियों को सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूल करके नगरपरिषद् निधि में जमा करवायी जाये, तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

चैक सं0	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	टिप्पणी
439770	25-7-95	6044-00	स्टेट बैंक आफ पटियाला परवाणु।	कैश बही मास 7/95 कोई विवरण नहीं।
439777	29-7-95	473-00	स्टेट बैंक आफ पटियाला परवाणु।	—— यथोपरि ——
439783	17-10-95	4360-00	स्टेट बैंक आफ पटियाला परवाणु।	कैश बही मास कोई विवरण ———
03475	4-1-96	1274-00	दि जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक, परवाणु	कैश बही में कोई विव
	योग	19,151-00		

8. रोकड़ बही — अधिक निकासी

रु० 3617.50

नगरपरिषद् परसाद्या की अवधि 4/95 से 3/98 तक के उपलब्ध वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपरिषद् ने चैक द्वारा जो निकासी भिन्न-२ बिलो की अदायगी हेतु की गई, उसमें चैक द्वारा अधिक निकासी की गई और जो शेष अधिक राशि की निकासी की गई, उसके सम्बन्धित लेखें अंकेक्षण में नहीं दिखाये गये।
इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद् निधि का ~~दुर्विनि~~ दुर्विनियोजन किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक निकासी को न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा इस राशि रु० 3617.50 की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद् निधि में जमा करवाया जावे। और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

(i) वाउचर सं० 3 माह 8/95 राशि 39102/- रु०

नगरपरिषद् ने चैक नं० 3270 दि० 8/8/95 द्वारा रु० 39102/- रु० की निकासी बाबत मैनहोलों व अन्य बिलों के भुगतान हेतु की गई परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही में 38866/- रु० का ही भुगतान दर्शाया गया। इस प्रकार रु० 236/- रु० की अधिक निकासी की गई, जिसे सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल कर नगर परिषद् निधि में जमा करवाया जावे। विवरण निम्न है:

क्रम सं०	राशि	विवरण		
1.	11554-00	मैनहोल	सं०	534
2.	9012-00	"	"	538
3.	7745-00	"	"	535
4.	4000-00	"	"	536
5.	2510-00	"	"	537
	38481-00			

	30481-00			
6.	2266-00	मैस्ट्रोल	सं०	538
7.	1133-00	"	"	539
8.	1860-00	"	"	540
9.	1566-00	"	"	541
10.	1566-00	"	"	542
	38866-00			

निकासी —	मु०	39102-00
भुगतान दर्शाया गया —	मु०	38866-00
अधिक निकासी		236-00

9) अ. वाउचर सं० 3 मास 10/95 राशि 5250/- रु०
वाउचर सं० 9 मास 10/95 राशि 18824/- रु०

नगरपरिषद् ने मु० 21000/- रु० चैक न० 3322 दि० 21/10/95 द्वारा और मु० 5250/- रु० चैक न० 3393 दि० 27/10/95 द्वारा कुल मु० 26250/- रु० की निकासी बाबत अंतरीम राहत की बकाया राशि व दैनिक वेतन भोगी श्रमिको के बकाया के बिलों का किया गया। परन्तु अंकेक्षण मे पाया गया कि रोकड़ बही में केवल 24074/- रु० का ही भुगतान (वाउचर न० 9 मु० 18824/- रु० और वाउचर न० 3 मु० 5250) का ही किया गया था। विवरण निम्न दिया गया है। इस प्रकार मु० 2176/- रु० (26250 - 24074 = 2176) की अधिक निकासी की गई, परन्तु इस अधिक निकासी मु० 2176/- के समायोजित वाउचर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः इस राशि मु० 2176/- रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके शीघ्र परिषद् निधि मे जमा करवायी जावे।

वाउचर सं० 3 राशि 5250/- रु०

1.	श्री वी० एस० ठाकुर	1050-00	अंतरीम राहत 4/95 से 10/95
2.	" इन्द्र० के० डोगरा	1050-00	—— यथोपरि ——
3.	" पी० एस० चौधरी	1050-00	—— यथोपरि ——
4.	" राजेश कुमार	1050-00	—— यथोपरि ——
5.	" सुधीर शर्मा	1050-00	—— यथोपरि ——
		5250-00	

17

वाउचर सं० 1 राशि 18824/- रु०

1. नकाशा बिल दैनिक सफाई कर्मचारी 5591-00
2. नकाशा बिल दैनिक वेतन भोगी बेलदार 12597-75
3. नकाशा बिल बनारसी दास 635-00

18823-75

य 18824 रु०

निकासी	मु०	26250-00
भुगतान दर्शाया गया	मु०	24074-00
अधिक निकासी		2176-00

(3) वाउचर सं० 2 मास 11/95 राशि 46177/- रु०

नगरपरिषद ने चैक सं० 03379 द्वारा मु० 46873/- रु० की निकासी कि जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को० बैंक, परवाणु, खाता नं० 1626 से विभिन्न बिलों के भुगतान हेतु की गई। परन्तु रोकड़ बही के अनुसार कुल भुगतान मु० 46177/- रु० का किया गया, जिसका विवरण निम्न है, इस प्रकार मु० 696/- रु० की अधिक निकासी की, जिसे दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूला जाये।

क्र० सं०	राशि	विवरण
1.	14548-00	मैनहोल नं० 558
2.	2654-00	,, ,, 560
3.	3416-00	,, ,, 561
4.	2516-00	,, ,, 563
5.	16241-00	,, ,, 559
6.	3373-00	,, ,, 562
7.	1860-00	,, ,, 564
8.	1372-00	,, ,, 565
9.	104-40	डीजल खरीद
10.	25-00	बाईन्डिंग चार्ज
11.	68-00	यात्रा भत्ता बिल
	46177-40	

निकासी	मु०	46873-00
भुगतान दर्शाया गया		46177-00
अधिक निकासी		696-00

अधिक निकासी 165 [illegible]

(4) 4. वाउचर सं० 30 मास 11/95 राशि 11123/- रु०

नगरपरिषद् ने चैक सं० 3404 दि० 9-11-95 द्वारा मु० 11123/- की निकासी दि० जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु खाता नं० 1626 से विभिन्न बिलों के भुगतान हेतु की गई, परन्तु रोकड़ बही में कुल 11093/- रु० का भुगतान दर्शाया गया, इस प्रकार मु० 30/- रु० की अधिक निकासी की गई। जिसे सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किया जावे।

क्र० सं०	राशि	विवरण
1.	4150-00	मै० मैलोडी हाउस CHD, सै० -17D बिल नं० 3543 दि० 7-11-95 बाबत कार्डलैस टेलीफोन
2.	2220-00	मै० चंडीगढ़ स्पोर्ट, चंडीगढ़ को खेलो का सामान खरीदने हेतु
3.	2288-00	टेलीफोन का बिल
4.	2000-00	अग्रिम भुगतान / एडवांस श्री ओमप्रकाश
5.	435-00	वहील मैरो मुरम्मत इत्यादि
	11093-00	

निकासी	मु०	11123-00
भुगतान दर्शाया गया	मु०	11093-00
अधिक निकासी		30-00

(5) 5. वाउचर सं० 23 मास 12/95 राशि 32814/-रु०

नगरपरिषद् के चैक नं० 3444 दि० 20-12-95 द्वारा दि० जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु, खाता सं० 1626 से मु० 32880/- रु० की निकासी विभिन्न बिलो हेतु की गई परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार कुल भुगतान मु० 32814/- रु० का था। जिसका विवरण निम्न है। इस प्रकार मु० 66/- रु० की अधिक निकासी की गई, परन्तु मु० 66/- रु० के समायोजित लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः मु० 66/- रु० दोषी कर्मचारी से वसूली शीघ्र की जावे।

अधिक निकासी 183-0060

सं०		
1.	1781-00	महँगाई भत्ते का भुगतान श्री एच० के० डोगरा
2.	7544-00	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर का भुगतान।
3.	13130-00	——— यथोपरि ———
4.	1602-00	——— यथोपरि ———
5.	300-00	यात्रा भत्ता श्री सुरेश कुमार
6.	335-00	भुगतान पैट्रोल, मै० तरुण फिलिंग स्टेशन परवाणु।
7.	840-00	वाहन की मुरम्मत
8.	2358-00	दूरभाष बिल
9.	316-00	यात्रा भत्ता बिल
10.	28-00	——— यथोपरि ———
11.	200-00	डाक टिकटें
12.	4380-00	महँगाई भत्ते की किश्त का भुगतान
	32814-00	

निकासी	मु०	32880-00
भुगतान दर्शाया गया	मु०	32814-00
अधिक निकासी		66-00

(6.) वाउचर सं० 1 मास 2/96 राशि 26103/- रु०

नगरपरिषद द्वारा मु० 26103/- रु० की निकासी दि जोगिन्दा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु के खाता नं० 1626 से चैक सं० 20073 द्वारा बाबत वेतन बिलों व अन्य बिलों के भुगतान हेतु की गई। परन्तु रोकड़ बही में मु० 25988/- रु० का भुगतान दर्शाया गया, और आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भी मु० 25988/- रु० की स्वीकृति नोटिंग शीट पर दि० 1/2/96 द्वारा प्रदत्त की गई, इस प्रकार मु० 115/- रु० की अधिक निकासी की गई, जिसे सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किया जावे।

क्र० सं०	राशि	विवरण
1.	8536-00	सामान्य विभाग का वेतन
2.	6898-00	सफाई विभाग का वेतन
3.	2677-00	टैक्स विभाग का वेतन
	18111-00	

अधिक निकासी 163-00 ?

	18111-00	
4.	3000-00	दैनिक वेतन भोगी लिपिक
5.	1568-00	अंशकालीन सामान्य भविष्य निधि
6.	307-00	सामान्य भविष्य निधि
7.	1074-00	यात्रा भत्ता बिल
8.	1161-00	श्री रूबेट मनोह को मानदेय दि० 8/12/95 से 31/12/95
9.	100-00	श्री टिक्का राम की मुनादी हेतु
10.	667-00	श्री राजेश कुमार चपड़ासी को वर्दी सिलाई व जूते।
	25988-00	

निकासी	26103-00 रु०
भुगतान दर्शाया गया	25988-00 रु०
अधिक निकासी	115-00 रु०

(7.) वाउचर सं० 2 मास 1/96 राशि 26984-00 रु०

नगरपरिषद् ने चैक सं० 3480 दि० 9.1.96 द्वारा दि जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु के खाता न० 1626 से मु० 27149/-रु० की निकासी बाबत भुगतान मैस्ट्रोल, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति दावा व अन्य मदों हेतु की गई, परन्तु रोकड़ बही के अनुसार कुल व्यय मु० 26984/- था, जिसका विवरण निम्न है, इस प्रकार मु० 165/-रु० की अधिक निकासी की गई। परन्तु मु० 165/-रु० के समायोजित लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः मु० 165/-रु० की दोषी कर्मचारी से वसूली करके नगर परिषद् निधि में जमा करवानी चाहिए।

क्र० सं०	राशि	विवरण
1.	302-00	यात्रा भत्ता बिल श्री राजेश कुमार चपड़ासी
2.	19161-00	मैस्ट्रोल न० 575 का भुगतान
3.	3112-00	मैस्ट्रोल न० 578 का भुगतान
4.	485-00	चिकित्सा क्षतिपूर्ति दावा भुगतान
5.	3339-00	मैस्ट्रोल न० 577 का भुगतान
6.	2585-00	उपलब्ध रोड़िंग मैट रद्दीन का (भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं)
	26984-00	

निकासी	27149-00 रु०
भुगतान दर्शाया गया	26984-00 रु०
अधिक निकासी	165-00 रु०

(8) वाऊचर सं० 8 मास 2/96 राशि 1427/- रु०

नगरपरिषद् ने मु० 1447/- रु० की निकासी चैक सं० 20127 दि० 8-2-96 द्वारा दि जोधपुर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक परबतसर खाता नं० 1626 से की गई बाबत प्रतिभूति राशि मु० 1427/- रु० हेतु की गई। इस प्रकार मु० 20/- की अधिक निकासी करके संविदाकार को 20/- रु० का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी शीघ्र वसूली की जावे।

निकासी	मु०	1447-00
भुगतान दर्शाया गया	मु०	1427-00
अधिक निकासी		20-00

(9) वाऊचर सं० 1 मास 3/96 राशि 48819/- रु०

नगरपरिषद् ने चैक सं० 20134 दि० 2-3-96 द्वारा मु० 48819/- रु० की निकासी दि जोधपुर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परबतसर खाता नं० 1626 से बाबत भुगतान वेतन, मैस्ट्रोल इत्यादि के लिये किया गया। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही मे मु० 48,727/- रु० का ही भुगतान दर्शाया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है, इस प्रकार मु० 92/- रु० की अधिक निकासी की गई जिसे सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किया जावे।

क्र० सं०	राशि	विवरण
1.	19530-00	वेतन बिल स्टाफ
2.	1702-00	सामान्य भविष्य निधि
3.	15006-00	मैस्ट्रोल सं० 585 का भुगतान
4.	2517-00	मैस्ट्रोल सं० 587 का भुगतान
5.	3806-00	मैस्ट्रोल सं० 588 का भुगतान
6.	1364-00	मैस्ट्रोल सं० 591 का भुगतान
7.	1418-00	मैस्ट्रोल सं० 592 का भुगतान
8.	2744-00	मैस्ट्रोल सं० 590 का भुगतान
9.	26-00	यात्रा भत्ता बिल
10.	314-00	— यथोपरि —
11.	300-00	टैक्सी बिल
	48,727-00	

निकासी	रु०	48819-00
भुगतान दर्शाया गया	मु०	48727-00
अधिक निकासी		92-00

(10) वाउचर सं० 5 मास 3/96 राशि 880/- रु०

नगरपरिषद् ने चैक नं० 20141 दि० 1-3-96 रु० 880/- बाबत समाचार पत्रों व मैगजीनों का मै० बन्धु न्यूज एजेंसी, कालका को जारी किया गया। परन्तु बिल का जोड केवल 858-50 था। इस प्रकार रु० 21.50 रु० का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न है इस राशि की वसूली फर्म से अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगरपरिषद् निधि में जमा करवाया जावे।

बिल सं०	राशि
1053, 54	638-50
1055	220-00
	858-50
निकासी	880-00
भुगतान	858-50
अधिक	21-50

9. अनियमित भुगतान - चाय, खाना इत्यादि

क) पर रु० 25,966.00 रु०

नगर परिषद परवाणु की अवधि 5/95 से 3/98 के व्यय के वाउचरों के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद परवाणु ने परिषद निधि से रु० 25,966 रु० का व्यय चाय, खाने इत्यादि का किया। जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

जब कि हि० प्र० सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) (बी) (7) 2/88 दिनांक 15-6-90 तथा समय-2 पर जारी किये गये मितव्ययता अनुदेशों के अन्तर्गत नगर परिषद, परिषद की मिटिंगों में केवल चाय व बिस्कुट ही दिये जा सकते हैं। अतः अनियमित तौर पर चाय खाने इत्यादि पर किये गये व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये। इस अनियमित व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाये, अन्यथा इस व्यय की वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से करके परिषद निधि में शीघ्र जमा करवाया जाये।

ख) नगर परिषद की प्रस्ताव पुस्तिका के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद में अवधि 2/96 से 3/98 के दौरान लगभग 27-30 मिटिंग्स आयोजित की गई, जिसका विवरण भी निम्न दर्शाया गया है:-

मिटिंग की तिथि	उपस्थित सदस्यों की संख्या
27-2-96	7/9
30-3-96	7/9
18-5-96	6/9
28-6-96	9/9
24-7-96	8/9
31-8-96	9/9
11-9-96	6/9
25-9-96	5/9
31-10-96	7/9
4-12-96	7/9
18-12-96	8/9
4-1-97	8/9
12-2-97	7/9
31-3-97	6/9
8-4-97	7/9
30-4-97	7/9
31-5-97	6/9
30-6-97	6/9
31-7-97	6/9
15-8-97	9/9
30-8-97	5/9
27-9-97	6/9
29-10-97	4/9
26-11-97	8/9
11-12-97	6/9
22-1-98	7/9
23-2-98	6/9
24-3-98	4/9
24-3-98	6/9

चाय, खाना इत्यादि पर व्यय

वा० नं०	मास	राशि	टिप्पणी
8	5/95	573-00	भुगतान प्रबन्धक होटल शिवालिक परवाणु, बिल नं० 10007, दि० 18-3-95 बाबत दोपहर का खाना, सहायक आयुक्त एवं उप प्रधान, नगर परिषद परवाणु
12	5/95	230-00	भुगतान प्रबन्धक होटल शिवालिक परवाणु, बिल नं० 8573, दि० 23-1-95 अधिशासी अभियन्ता आवास बोर्ड की संयुक्त सचिव के साथ मिटिंग दि० 23-1-95
20	1/96	642-00	भुगतान प्रबन्धक होटल शिवालिक परवाणु बिल नं० 78 दि० 1-8-95 5 खाने 494-00 6 खाने @20/- 120-00 7 कोल्ड ड्रिंक 28-00 भुगतान मै० सैनी ढाबा, परवाणु
13.	2/96	506-00	भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणु की बाबत चाय मास 1/96 मे 465 कप चाय @1/- = 465-00 बिस्कुट 41-00 506-00
1.	4/96	397-00	भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणु की बाबत चाय मास 3/96 मे 397 कप चाय @1/- = 397-00
3.	6/96	282-00	भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणु की बाबत चाय मास 4/96 मे 282 कप चाय @1/- = 282-00
		2630-00	

2630-00

11. 6/96 1349-00 भुगतान प्रबन्धक शिवालिक होटल, परवाणू बाबत खाना इत्यादि

बिल सं०	दि०	राशि
78	1-8-95	494-00
3704	21-10-95	250-00
6368	22-1-96	290-00
6417	22-1-96	315-00
		1349-00

7. 7/96 180-00 भुगतान श्री पी० एस० चौधरी व० लिपिक बाबत चाय बिस्कुट इत्यादि,
मै० ठाकुर एण्ड सन्ज परवाणू

5 कोल्ड ड्रिंक	35-00
2 कि० पनीर पकौड़ा	80-00
बिस्कुट	65-00
	180-00

18. 7/96 490-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणू मास 6/96 मे
490 कप चाय @ 1/- = 490-00

13. 8/96 500-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणू मास 7/96 मे
500 कप चाय @ 1/- = 500-00

11. 9/96 471-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणू मास 8/96 में
314 कप चाय @ 1/50 = 471-00

16 10/96 300-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणू मास 9/96 मे
300 कप चाय @ 1/- = 300-00

24. 10/96 199-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल परवाणू मास 9/96 मे
199 कप चाय @ 1/- = 199-00

6119-00

6	11/96	6119-00 817-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल परवाणु को मास 10/96 में 817 कप चाय @ 1/- = 817-00
8.	11/96	155-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल परवाणु को 20 समोसे, 4 पैकेट बिस्कुट, 50 कप चाय।
8.	12/96	726-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल परवाणु को 484 कप चाय @ 1.50 मास 11/96 = 726-00
38.	12/96	458-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल परवाणु की बाबत 140 कप चाय @ 1.50 = 210-00 64 समोसे 128-00 1 किलो बर्फी 120-00 458-00
5.	1/97	958-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल परवाणु को बाबत मास 12/96 के लिये 639 कप चाय @ 1.50 = 958-00
18.	2/97	988-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल मास 1/97 के लिये 659 कप चाय @ 1.50 = 988-00
21.	2/97	260-00	2 किलो बर्फी, व 30 समोसे
21.	3/97	774-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल को बाबत मास 2/97 के लिये 516 कप चाय @ 1.50 = 774-00
12.	4/97	826-00	भुगतान मैं० चेतराम टी स्टाल को बाबत मास 3/97 के लिये 550 कप चाय @ 1.50 = 826-00

12081-00

ह० [illegible]

15765-00

ह० [illegible]

12081-00

29 5/97 400-00 भुगतान मै० श्याम स्वीट्स परवाणू
बाबत बर्फी 2 किलो 240-00
समोसे 80 160-00
400-00

30. 5/97 179-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणू बाबत
चाय 91 कप 91-00
कोल्ड ड्रिंक 88-00
179-00

7. 5/97 730-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल
परवाणू बाबत 486 कप चाय
@1.50 माह 4/97 = 730-00

16. 5/97 640-00 भुगतान मै० अमर स्वीट्स
परवाणू बाबत
1 कि० बर्फी, 22 समोसे 20 कोल्ड
ड्रिंक, 2 कि० पकौड़े, 2 पैकेट
चिप्स, 25 पेस्ट्रीज बाबत
विदाई समारोह, श्री राजीव
भटनागर, सहायक आयुक्त
परवाणू। 32 34 16

17. 5/97 535-00 एक सैट कैसरोल, बिल नं. 7716
दि० 3.5.97 भुगतान मै० ईश्वर
ट्रेडिंग एजेंसी, परवाणू
श्री राजीव भटनागर स० आयुक्त
को विदाई समारोह में गिफ्ट
देने हेतु।

26. 7/97 750-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल
परवाणू बाबत मास 6/97
के 500 कप चाय @1.50 = 750.00

48. 7/97 450-00 भुगतान मै० चेतराम टी स्टाल
परवाणू बाबत मास 6/97 के
300 कप चाय @1.50 = 450-00

15765-00

15765-00

49. 7/97 341-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
बाबत कोल्ड ड्रिंक बिल नं० 1478 दि०
31/7/97

35. 8/97 481-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणु बाबत 262 कप चाय 393.00
कोल्ड ड्रिंक माह 7/97 88.00
481-00

26. 10/97 775-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणु बाबत माह 8/97 के
509 कप चाय @1.50 = 763-00
लटर सलाईस 12-00
775-00

6. 11/97 687-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणु बाबत माह 9/97 के
458 कप चाय @1.50 = 687-00

7. 11/97 616-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणु बाबत माह 10/97 के
410 कप चाय @1.50 = 616

2. 2/98 507-00 भुगतान मै० पराशर टी स्टाल
परवाणु बाबत माह 11/97 के
लिये चाय = 200-00
दूध 23 पैकेट
आमलेट 6.

30. 2/98 586-00 भुगतान मै० जनक स्वीट्स
परवाणु बाबत
चाय 75-00
50 समोसे 100-00
1 कि० बर्फी 115-00
2 कि० बेसन 86-00
6 कि० लड्डू 210-00
586-00

15758.00

कु० पृ० 52

19758-00

3. 2/98 1280-00 भुगतान मैं० पराशर टी स्टाल परवाणु बाबत मास 12/97 के 642 कप चाय @1-50 = 964.00
मास 1/98 चाय 316.00

1280.00

82. 7/97 3213-00 मु० 3213/- रु० की निकासी चैक नं० 454783 दि० 30-7-97 द्वारा बाबत भिन्न-2 बिलों की अदायगी हेतु की गई। विवरण निम्न है:-

बिल नं०/ कैश मीमो नं०	राशि	विवरण
1. शून्य / 27/6/97	513-00	होटल शिवालिक बाबत खाना सूप इत्यादि।
2. शून्य / 24/6/97	400-00	20 मिनरल वाटर
3. शून्य / 20/6/97 से 25/6/97	385-00	सर्किट हाउस बाबत कैन्टीन रूम रैन्ट इत्यादि
4. शून्य / 26/6/97 से 27/6/97	308-00	-यथोपरि-
5. 3019 / 24-6-97	515-00	होटल शिवालिक 22 [illegible], 3 कोल्ड ड्रिंक
6.	1086-00	बाबत चाय पकौड़ा इत्यादि।

25 7/97 715-00 निकासी चैक सं० 44705 दि० 4-7-97 विभिन्न बिलों हेतु भुगतान किया गया मैं० [illegible] परवाणु।

बिल सं०	राशि	विवरण
शून्य	20-00	10 समोसे
शून्य	64-00	8 कोल्ड ड्रिंक
शून्य	40-00	5 " "
शून्य	40-00	5 " "
शून्य	80-00	10 " "
31884	146-00	भुगतान मैं० नीलम मैडीकल [illegible] इत्यादि।
	327-00	भुगतान मैं० पराशर टी स्टाल परवाणु।
	715-00	

21966-00

(ख) स्वर्ण जयन्ती समारोह पर व्यय - रु0 10416-00

नगर परिषद् परवाणु का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगर परिषद् ने स्वर्ण जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य पर निम्न व्यय दर्शाया गया इस व्यय को नगरपरिषद् निधि से वहन किया गया। इस व्यय को नगरपरिषद् निधि से न्यायोचित ठहराया जावे, अन्यथा इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे। भविष्य में ऐसी अवांछित गतिविधियों / [illegible] किया जाए।

विवरण

मास	राशि	सामान का विवरण	टिप्पणी
8/97	1600-00	पटाखे (कोई विवरण नहीं)	भुगतान मैं0 नवीन मैडीकोस परवाणु बिल न0 33392, दि0 19-8-97 भण्डारण रजिस्टर में पटाखों का इन्दराज नहीं। पटाखों का कोई विवरण नहीं।
8/97	3000-00	100 किलो लड्डू	भुगतान मैं0 विष्णु स्वीट्स कालका बिल न0 शून्य दि0 15-8-97 (भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं।
8/97	1319-00	143 फोटो - 1164/- व फोटो अलबम 155/-	भुगतान मैं0 फोटो पैलेस शिमला रोड, परवाणु, बिल न0 5983 दि0 19-8-97, भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं।
8/97	1700-00	200 पैन स्टैंड होल्डर 1000/-, दो रोल बिजली की तार 700/-	भुगतान मैं0 स्वमंगल ईलैक्ट्रीकल कसौली रोड परवाणु, बिल न0 31, दि0 23-8-97, भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं।
8/97	847-00	100 बल्ब 15 वाट	भुगतान मैं0 बिट्टू ईलैक्ट्रीकल स्टोर कालका, बिल न0 5290 दि0 16-8-97, भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं।

न इन्दराज नहीं।

8/95	1500-00	500 हार		भुगतान श्री रमेश कुमार, कालका बाबत सप्लाई 500 हार बाबत मोरार जी देसाई के अस्थि कलश हेतु।
9/95	550-00	गेट चार्जेज		भुगतान मै० तलवार टैन्ट हाउस परवाणु बिल न० 53 दि० 7-9-95 बाबत लगाने एक गेट सद्भावना यात्रा के सम्बन्ध में।
8/96	1240-00	दो वालीबाल नैट	= 800-00	भुगतान मै० चंडीगढ़ स्पोर्टसैन्टर सै० 17 D, बिल न० 137 दिनांक 6-8-96 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं।
		दो टेबल टैनिस नैट	= 360-00	
		12 बाल	= 72-00	
8/96	483-00	48 टेबल टैनिस बाल	483-00	—— यथोपरि —— बिल न० 4572 दिनांक 7/96
10/96	1500-00	8 टी शर्ट	1200-00	भुगतान मै० एम० एल० स्टोर सैक्टर 17, चंडीगढ़ सामान का भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्द्राज नहीं। मु० 100/- रु० प्रवेश शुल्क मु० 210/- रु० आने परजाने पर कोई विवरण नहीं।
10/96	430-00	6 निक्कर	430-00	
11/96	2220-00	2 टेबल टैनिस नैट	700-00	भुगतान मै० चंडीगढ़ स्पोर्टसैन्टर

52
34
16

ग) खेल का सामान क्रय करने पर व्यय - रु० 12011.00

नगरपरिषद् परवाणु का अवधि 4/95 से 3/98 के व्यय के वाउचरों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगरपरिषद् ने निम्न व्यय खेल के सामान क्रय करने हेतु किया गया। इस सामान की प्रविष्टियां भण्डारण रजिस्टर में व निपटारा भी नहीं दर्शाया गया। अतः इस व्यय को नगरपरिषद् निधि से न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी / अधिकारी से की जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

विवरण :-

मास	राशि	सामान का विवरण		टिप्पणी
8/96	1540.00	दो वालीबाल नैट	= 800.00	भुगतान मै० चंडीगढ़ स्पोर्टसैंटर सै० 17 D, बिल न० 139 दिनांक 6-8-96 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नही।
		दो टेबल टैनिस नैट	= 360.00	
		12 बाल	= 72.00	
8/96	483.00	48 टेबल टैनिस बाल	483.00	—— यथोपरि —— बिल न० 4572 दिनांक 7/96
10/96	1500.00	8 टी शर्ट	1200.00	भुगतान मै० एम० एल० स्टोर, सैक्टर 17, चंडीगढ़ सामान का भण्डारण रजिस्टर में कोई इन्द्राज नही। रु० 100/- रु० प्रवेश शुल्क रु० 210/- रु० जाने पर व्यय पर कोई विवरण नही।
10/96	430.00	6 निक्कर	420.00	
11/95	2220.00	2 टेबल टैनिस नैट	900.00	भुगतान मै० चंडीगढ़ स्पोर्टसैन्टर, सै० 17 D बिल न० 4345 दि० 7/11/95 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नही।
		2 वालीबाल नैट	850.00	
		2 टेबल टैनिस बैट	160.00	
		टेबल टैनिस बाल इत्यादि	162.00	

1/96	2198-00	5 वालीवाल वालीवाल नैट एक नैट बड़ा एक छोटा नैट	930-00 325-00 600-00 400-00	भुगतान मै० चंडीगढ़ स्पोर्ट सैन्टर सैक्टर 17 D, चंडीगढ़। बिल नं० 4604, दि० 19/1/96 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्दराज नहीं।
1/96	451-00	1 वालीवाल वालीवाल नैट	170-00 240-00	—— यथोपरि —— बिल नं० 4129 दि० 20-9-95 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्दराज नहीं।
2/96	1671-00	6 रैकेट 6 शटल काक डिब्बे 3 डिब्बे शटल काक	780-00 525-00 273-00	—— यथोपरि —— बिल नं० 4482 दि० 12-12-95 बिल नं० 4280 दि० 17-11-95 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्दराज नहीं।
~~8/96~~	~~483-00~~	~~5 डिब्बे शटल काक~~	~~483-00~~	~~—— यथोपरि —— बिल नं० 4672 दि० 8/96 सामान का भण्डारण रजिस्टर में इन्दराज नहीं।~~
1/97	490-00	2 वालीवाल (कोस्को)	490-00	—— यथोपरि —— बिल नं० 5410 दि० 10-1-97
2/96	748-00	6 दर्जन केले चाय 20 खाने चाय इत्यादि	108-00 140-00 400-00 100-00	उक्त बाबत खाना, चाय इत्यादि खिलाड़ियों पर।
2/97	480-00	नाश्ता 8 लंच 8 चाय प्रवेश शुल्क	180-00 180-00 20-00 100-00	भुगतान मै० शंकर रणधावा परवाणू को बाबत खाना चाय, इत्यादि खिलाड़ियों पर।

अनियमित व्यय - रु० 25,221 न ?? - पुनर्विष्ट

रु० 19,985 न ?? बढ़ना ... - अधूरा परवाणु

(क) नगरपरिषद् के चुनाव में व्यय

नगर परिषद् / नगर पंचायत परवाणु का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगरपरिषद् ने नगरपरिषद् के चुनाव हेतु निम्न व्यय ~~व्यय~~ नगरपरिषद् निधि से दर्शाया गया। इस व्यय को हि० प्र० नगरपालिका अधिनियम 1994 के अनुसार न्यायोचित ठहराया जावे, अन्यथा इस व्यय की वसूली सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से करके नगर परिषद् निधि में शीघ्र जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

विवरण

वा० नं०	मास	राशि रु०	टिप्पणी
32	12/95	4356-00	भुगतान मै० तरुण फिलिंग सैन्टर परवाणु बाबत सप्लाई पैट्रोल चुनाव हेतु प्रयोग की गई गाड़ियों के लिये बिल सं० 894 दिनांक 25-12-95 चैक सं० 439970 दिनांक 28-12-95 द्वारा किया गया।

दिनांक	गाड़ी नं०	पैट्रोल	राशि
21-12-95	HP-15-1099	30 लि० @16.76	502.80
22-12-95	—यथोपरि—	25 " @16.76	419.00
25-12-95	—यथोपरि—	30 लि० @16.76	502-80
21-12-95	HP-15-200	30 लि० @16.76	502-80
		मो० आयल 1 लि०	57.00
22-12-95	—यथोपरि—	18 लि० @16.76	301-80
21-12-95	HP-01-1882	30 लि० @16.76	502-80
		मो० आयल 1 लि०	57-00
22-12-95	—यथोपरि—	40 लि० @16.76	670-40
22-12-95	HP-05-645	20 लि० @16.76	335-20
22-12-95	HPA-1135	20 लि० @16.76	335-20
23-12-95	—यथोपरि—	10 लि० @16.76	167.60
			4356.00

35 12/95 1305-00 भुगतान मै० राजु टैन्ट हाऊस, कालका बाबत सप्लाई कैम्पिंग, टैन्ट इत्यादि नगरपरिषद के चुनाव हेतु।

18. 5/96 2592-00 भुगतान कालका फिलिंग स्टेशन परवाणु बाबत सप्लाई पैट्रोल, इत्यादि, वाहन HP-15-1099, HJE-200
बिल सं० 669 दि० 29-12-95
बिल सं० 629 दि० 29-12-97
बिल सं० 770 दि० 5-2-96.

19. 1/96 675-00 भुगतान श्री चेतराम टी स्टाल परवाणु बाबत सप्लाई चाय
दि० 12/12/95 पोलिंग पार्टी रिहर्सल 150x1.5=225
दि० 21/12/95 चुनाव सामग्री देने के समय 150x1.5=225
दि० 23/12/95 मतगणना के दौरान 150x1.5=225

11 6/96 960-00 मु० 960/- रु० का भुगतान चौकीदार श्री हैमचन्द, परिधि गृह परवाणु को 16 खाने पर 60/- प्रति खाने से भुगतान किया गया, जो कि नवनिर्वाचित प्रधानों एवं सदस्यों को दिया गया। 32 / 54 / 16

10. 3/96 335-00 भुगतान मै० कालका फिलिंग स्टेशन, परवाणु
बिल सं० 770 दि० 5-2-96
दि० 5-1-96 10 लि० = 167-60
(वाहन सं० HE-200 के लिये)
दि० 5-1-96 10 लि० 167-60
(वाहन सं० HJE-200 के लिये)

ग्रा-न 12/12/95 5000-00
ग्रा-न 18/12/95 10,000-00
मु० 5000/- रु० चैक सं० 03409 दि० 12/12/95 को जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु खाता सं० 1626 से एवं मु० 10000/- रु० चैक सं० 03464, दि० 18-12-95 को बाबत चुनाव खर्च हेतु निकासी की गई परन्तु रजिस्टर में इन्द्राज न ...

राशि के समायोजित लेखे
उपलब्ध नहीं करवाये गये।

योग: 35254.00

(इ) सहायक आयुक्त के सरकारी वाहन एच॰आई॰ए॰-2 पर अनियमित व्यय - रु॰ 17385 रु॰

नगर परिषद् / नगर पंचायत का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगर परिषद् ने सहायक आयुक्त, परवाणु (आहरण एवं वितरण अधिकारी नगर पंचायत, परवाणु) के वाहन पर निम्न व्यय नगर पंचायत / नगरपरिषद् निधि से दर्शाया गया है। इस व्यय को नगर पंचायत नगर परिषद् निधि से न्यायोचित ठहराया जाये, अथवा इसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से की जाये, अन्यथा सम्बन्धित दोषी अधिकारी / कर्मचारी से वसूल करके परिषद् निधि में जमा करवायी जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

विवरण

वा॰ नं॰	मास	राशि रु॰	टिप्पणी
25	12/95	1706.00	भुगतान मै॰ शिवा आटोमोबाईल, परवाणु वाहन मरम्मत गाड़ी HIA-2, बिल नं॰ 11 दि॰ 22-11-95 (लॉग बुक उपलब्ध नहीं)

2 12/95 9654-00 भुगतान मै० तरुण फिलिंग सैन्टर परवाणु, मास 11/95 मे गाडी नं० HIA-2 सहायक आयुक्त, 576 लि० पैट्रोल @ 16.76 = 9654-00

16. 8/96 1520-00 भुगतान मै० शिवा आटोमोबाइल, परवाणु बाबत मुरम्मत वाहन HIA-2 प्रैशर प्लेट, क्लैच प्लेट, इत्यादि बिल सं० 62 दि० 31-7-96

12. 3/96 6405-00 मु० 4970/- रु० का भुगतान मैं० सुनील आटो रिपेयर चडीगढ़ को बिल सं० 17842 दि० 27/3/96 बाबत क्रय करने टायर व ट्यूब जीप HIA-2 हेतु

दो टायर	4500-00 रु०
दो ट्यूब	470-00 रु०
	4970-00
मुरम्मत HIA-2	1435-00
(बाबत किंग पिन, बिआरिंग, ग्रीस बैक आयल इत्यादि)	6405-00

32
34
16

11. **अनियमित भुगतान** – मु० 60903/- रु० सरकारी आवास पर
मु० 3000 रु० प्रस्थान, संस्थानों के निदेशकों के किराए।

क) सहायक आयुक्त के सरकारी निवास HIG-13/3 सै०-6, परवाणु पर जो व्यय किया गया।

नगरपंचायत / नगरपरिषद् परवाणु की अवधि 4/95 से 3/98 के व्यय के वाउचरों के अवलोकन से पाया गया कि नगरपंचायत / नगरपरिषद् ने परिषद् निधि से सहायक आयुक्त परवाणु (आहरण एवं वितरण अधिकारी, नगर पंचायत परवाणु) के सरकारी आवास HIG-13/3 सै०-6, परवाणु पर निम्न व्यय किया गया, जो कि अनियमित था। अतः नगर परिषद् परवाणु परिषद् निधि से सरकारी आवास पर परिषद् निधि से किये गये व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बंधित विभाग से की जाये अन्यथा दोषी अधिकारी / कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और व्यय की गई राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से की जाये, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें

वाउचर सं०	मास	राशि	टिप्पणी
9	5/95	9000-00	भुगतान श्री मनोज वुड वर्क्स परवाणु को चैक सं० 3130 दि० 26-5-95 द्वारा बाहर लगाये जाली के दरवाजे का किया गया।
10.	5/95	3317-00	भुगतान मै० आर० के० इलैक्ट्रोनिक्स बाबत सप्लाई बिजली का सामान

बिल सं०	आइटम	मूल्य
54/20 3/95	आइटम फैन 3	3367-00
	लोकल टैक्स	260-00
		3627-00
66/21 4/95	फिलिप्स 2 ट्यूब सैट	560-00
67/21 4/95	लेबर चार्जिज	130-00
		3317-00

12317-00 कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं।

		12317-00	
22	6/95	729-00	मै० एम० बी० सेल्ज कार्पो० परवाणू बाबत सप्लाई ग्राई डिस्टम्पर, बिल नं० 1973, 1974, दि० 27-10-94, कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं
24.	6/95	1014-00	भुगतान श्री सी० एस० गोयल प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग खिडकियों के शीशे व एंगल फिटिंग्स इत्यादि।
25.	6/95	1305-00	भुगतान मै० विजय इलेक्ट्रानिक्स परवाणू बिल नं० 353, और 363, बाबत सप्लाई 4 सैट ट्यूब फिटिंग और एक हीटर तार के साथ स्टाक रजिस्टर मे इन्द्राज नहीं।
8.	8/95	3500-00	भुगतान श्री नरेश कुमार ठेकेदार को बाबत लगाने दरवाजे व खिडकियां!
8.	8/96	4864-00	भुगतान मै० एम० के० इण्डस्ट्रीज सै०-4, परवाणू को विभिन्न मुरम्मत बिल नं० 386 दि० जून अदायगी चैक सं० 20541 दि० 1/8/96.
16.	8/96	1964-00	भुगतान मै० नागपाल ट्रेडिंग क०, परवाणू को बाबत 8 लिटर पेन्ट बिल सं० 13776 दि० 31-7-96 = 965-00; मै० आर० के० इलेक्ट्रानिक्स परवाणू बाबत, पंखा बिल नं० 437, दि० 2-8-96 999-00; 1964-00
		25693-00	

		25693-00	
18	8/96	1374-00	भुगतान मै० एम० के० ट्रेडर्स परवाणु, चैक सं० 44001 दि० 6-8-96 बाबत लगाने गेट व सीढीयों रंग करने हेतु, बिल नं० 385, 288. स्टाक रजि० मे कोई इन्दराज नही।
26	9/96	7292-00	भुगतान श्री सी० एस० राणा ठेकेदार को बाबत लगाने सरकारी आवास में कपबोर्ड व रसोईघर मे फ्रेम इत्यादि लगाना। एम० बी० - 14, पृ० सं० 28 से 29.
33	12/96	9225-00	भुगतान मै० बिंदल इन्जीनियरिंग वर्कस, परवाणु को बाबत लगाने ग्रिल इत्यादि, बिल नं० 100 दि० 25-12-96 एम० बी० - 15, पृ० सं० 3-4
34.	12/96	6620-00	भुगतान मै० अंजना ट्रेडिंग कम्पनी, परवाणु को बाबत रंग सफेदी इत्यादि बिल नं० 518 दि० 18-12-96 बिल नं० 519 दि० 18-12-96 स्टाक रजि० मे कोई इन्दराज नहीं
35.	12/96	2027-00	भुगतान मै० हिम लाईसेन्स ऐजन्स कार्पो०, परवाणु को बिल नं० 813, 819 817, दि० 10/12/96 बाबत आंतरिक विद्युतिकरण की मुरम्मत इत्यादि आवास मे।
		52231-00	

52231-00

13 12/96 1200-00 भुगतान मै० हिमालय कॉटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, परवाणु बाबत सप्लाई
बिल नं० 95 दि० 7-12-95

1 रजाई	600-00
1 रजाई कवर	300-00
1 गद्दे	300-00
	1200-00

जारी किये गये स० आयुक्त (आहरण एवं वितरण अधिकारी)

21. 6/95 646-00 भुगतान मै० हिमालय कॉटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स मै०-1, परवाणु
बिल नं० 38, दि० 24-11-94
बाबत कपड़ा पर्दा
जारी किया गया
सहायक आयुक्त परवाणु (आहरण एवं वितरण अधिकारी) मं० परिषद्, परवाणु
कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं।

28 6/95 1400-00 भुगतान मै० हिमालय कॉटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स मै०-1, परवाणु बाबत सप्लाई बिल सं० 105
दि० 16-11-94

2 रजाई	804-00
2 सिरहाने	120-00
2 रजाई कवर	260-00
2 पिल्लो कवर	56-00
2 डब्बल शीट	160-00
	1400-00

सहायक आयुक्त निवास हेतु।
कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं

13. 8/95 722-00 भुगतान मै० हिमालय कॉटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स मै०-1, परवाणु बाबत सप्लाई
बिल नं० 1303 दि० 25-5-95

2 गद्दे	
2 सिरहाने	722/-

सहायक आयुक्त निवास हेतु
56199-00 कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं।

		56199-00	
29	12/95	1554-00	भुगतान मै० हिमालय कॉटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स नं०-1, परवाणु को बाबत बिल नं० 1209, दि० 15-12-95 2 रजाई 670-00 2 गद्दे 450-00 2 सिरहाने 130-00 2 सिरहाने कवर 64-00 2 रजाई कवर 240-00 1554-00 सहायक आयुक्त के निवास हेतु। कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं।
12	12/96	3150-00	भुगतान मै० क्लीनर लाईन एप्लाईसिस परवाणु बिल नं० 944, दि० 4-12-96 काफी मेकर 1114-00 फैन हीटर 1486-00 2599-00 बिक्री कर 551-00 3150-00 भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं दर्शाया गया और भुगतान भी डुप्लीकेट बिल पर किया गया। (सहायक आयुक्त नगर पंचायत, परवाणु हेतु)
		60903-00	

अनियमित भुगतान -

वा० सं० 10 मास 11/97 राशि 3000/-

मु० 3000/- रु० का भुगतान मै० अम्बर स्वीट्स (परवाणू) को बिल सं० 31 दि० 30/10/97 को चैक सं० 6782 दि० 20/11/97 बाबत 58 कि०ग्राम मिठाई @55/- 3190-00
1 कि०ग्राम मिठाई @80/- 80-00
3270-00

परन्तु सीमित किया गया मु० 3000/-रु०

यह मिठाई नगरपरिषद ने अपने कर्मचारियों, सदस्यों, प्रधान, उपप्रधान को दिवाली '97 के अवसर मे वितरीत दर्शाई गई। यह व्यय हि० प्र० नगरपालिका अधिनियम 1994 के अन्तर्गत वैध नही हैं अतः इस राशि को नगरपरिषद निधि मे सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके जमा करवाया जाये। अन्यथा इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाये।

वाउचर नं० 22 मास 12/97 राशि 3000.00

मु० 3000 रु० का भुगतान मै० विष्णु स्वीट्स रेलवे रोड़ परवाणू को बाबत क्रय करने 100 कि०ग्रा० लड्डू दर 30 रु प्रति कि०ग्रा० से किया गया। यह व्यय नगरपालिका अधिनियम 1994 के अंतर्गत वैध नहीं है अतः इस व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर के नियमित करवाये जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित दोषि अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर के नगरपरिषद निधि मे जमा करवाया जाये और तदानुसार इस निरीक्षण को सूचित किया जाये।

12. नगर परिषद निधि की रोकड़ बही

नगरपरिषद परवाणु का अवधि 5/95 से 3/98 का अंकेक्षण करते समय नगर परिषद निधि की रोकड़ बही में निम्न अनियमितताऐं पाई गई।

(क)

(i) हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 19(1) से (5) के अनुसार, नगरपरिषद द्वारा जो भी धन प्राप्त किया जाता है या व्यय किया जाता है उसकी प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही फार्म- जी 2 पर बनाई जायेगी।

(ii) सामान्य रोकड़ बही को दिन प्रतिदिन मद वाई मद चैक किया जायेगा और दिन के अन्त में शेष निकाल कर दिनांकित हस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु नगरपरिषद की रोकड़ बही अवधि 5/95 से 3/98 तक दिनांकित हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, जिसे अब किया जाये।

(iii) सामान्य रोकड़ बही को मास के अन्त में बैंकपास बुकों इत्यादि से समायोजित और सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आपेक्षित है, और अंकेक्षण में पाया गया कि कई मासों ~~मास~~समायोजित विवरणिका को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया, जिसे अब किया जाये।

(iv) रोकड़ बही में जो आय चैक/ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई, उसका भी चैक रजिस्टर नहीं लगाया गया है, जिस कारण से यह पता लगाना असम्भव है कि चैक का भुगतान बैंक द्वारा कब किया गया, अतः अब नियमानुसार आवश्यक चैक रजिस्टर लगाया जाये।

(v) हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 176 के अनुसार चैक बुकों को सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखना आपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में नगरपालिका

द्वारा कई चैक बुको की कांउटर फाईल अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। जैसे कि चैक बुक नं० 3069 से 3078, 3080 से 3100, 3101 से 3110 इत्यादि।

(vi) नगर परिषद की सामान्य रोकड़ बही में बहुत काटिंग इत्यादि की गई, जो कि नियमों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार किया जावे। (देखिये मास 5/95 से 3/96)

(vii) मास 7/96 में मु० 333/- रु० बैंक कमीशन चार्जिज हेतु खर्च दर्शाया गया, परन्तु इसका कोई विवरण नहीं दिया। अतः इसका पूर्ण विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(ज)

(i) 0.50 पै० का कम इन्द्राज

र० सं० 45/57 दि० 27-5-95 द्वारा मु० 697-50 रु० मै० शीतला इलैक्ट्रीकल्स प्लाट नं० 24, सै० -2 परवाणु से बाबत अनाधिकृत निर्माण के प्राप्त किये, परन्तु रोकड़ बही में केवल 697/- रु० का ही इन्द्राज किया गया, इस प्रकार मु० 0.50 पै० का कम इन्द्राज किया गया, जिसे अब जमा करवाया जावे।

(ii) मु० 50/- रु० का कम इन्द्राज

र० सं० 12/68 दि० 11/10/95 द्वारा श्री अनिल कुमार सूद से मु० 206/- रु० अनाधिकृत प्राप्त किये, परन्तु रोकड़ बही में दि० 11-10-95 को 156/- रु० का ही इन्द्राज किया गया, इस प्रकार मु० 50/- रु० कम इन्द्राज किया गया, जिसको न्यायोचित ठहराया जावे, और आवश्यक कार्यवाही की जावे, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(iii) मु० २०/- रु० का कम इन्दराज

दि० 10-11-95 को मु० २४८५/- रु० की वसूली की गई, जिसका विवरण निम्न है, परन्तु रोकड़ बही में केवल आय का योग मु० २४६५/- रु० दर्शाया गया, इस प्रकार मु० २०/- रु० रोकड़ बही के योग मे कम लिये गये, जिसे अब ठीक किया जावे।

र० सं०	राशि
60/69	२२८५-००
61/69	५-००
62/69	१९५-००
	२४८५-००

(घ) नकद भुगतान

हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 175 के अन्तर्गत 50/- रु० से ऊपर का भुगतान केवल चैक द्वारा अपेक्षित है, परन्तु परिषद् द्वारा चैक द्वारा न करके नकद भुगतान दर्शाया गया, जिसे न्यायोचित ठहराया जाये, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं

वाउचर सं०	मास	राशि	विवरण
२	५/९५	२००-००	भुगतान प्रधान टैक्सी यूनियन, परवाणु श्री राजू बाबत टैक्सी किराया हेतु
२.	५/९५	९००-००	——— यथोपरि ———
१२.	५/९५	९४८-००	भुगतान मै० कद्दु-पूजा कार्पो० बाबत सप्लाई आइसक्रीम, इत्यादि।
१२.	५/९५	१६५-००	भुगतान मै० बलजीत एण्ड कं० बाबत सप्लाई स्टेशनरी।
१२.	५/९५	६९२-००	भुगतान मैसर्स फोटोस्टेट, परवाणु बाबत फोटो स्टेट चार्जिज
१२.	५/९५	५४०-००	भुगतान जिलाधीश, सोलन बाबत टेलीफोन का बिल।
१२.	५/९५	२००-००	भुगतान बिल रानी गावला इत्यादि
८५	३/९५	११००-००	भुगतान मै० गुप्ता एण्ड कं० किशोर बाबत मुहम्मद टैक्टर।
२.	३/९६	८६४२-००	भुगतान श्री जान्टु राम संविदाकार को नकद भुगतान।

(ii) देरी से जमा करवाना — मु० 3402/- रु०

र० सं० 39/77 दि० 25-6-96 द्वारा मु० 3402/- रु० मै० कैपिटल सिनेमा सिनेमा, परवाणु से बाबत सर्विस कर वर्ष 1996-97 का श्री बी० एस० ठाकुर द्वारा वसूल किये गये। यह राशि मु० 3402/- दि० 6-6-97 को लगभग एक वर्ष बाद बैंक में जमा करवाई गई इस प्रकार मु० 3402/- रु० का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जावे।

(iii) देरी से जमा करवाना — मु० 2000/- रु०

र० सं० 33/85 दि० 18-10-96 को मु० 11290/- रु० मै० अमरनाथ एण्ड संन्ज, परवाणु से बाबत सम्पत्ति कर के श्री सत्य प्रकाश से प्राप्त किये इस राशि में से मु० 2000/- रु० दि० 9-1-97 को लगभग 2½ मास के बाद बैंक में जमा किये गये, जिसे न्यायोचित ठहराया जावे।

(iv) देरी से जमा करवाना — मु० 2500/- रु०

र० सं० 74/94 दि० 1-4-97 को मु० 2500/- रु० मै० मयूर सिनेमा नं०-1, परवाणु से बाबत शो टैक्स के वसूल पाये गये और यह राशि मु० 2500/- रु० दि० 30-6-97 को बैंक में जमा करवाई गई, इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा लगभग 3 मास तक राशि का दुर्विनियोजन किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जावे।

(v) नगर परिषद् की आय को तस्तगत रखना

नगर परिषद् परवाणु की आय को प्राप्त करके तस्तगत रखा गया, जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है, इस प्रकार सार्वजनिक राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया। जिसको न्यायोचित ठहराया जावे।

-/97
3/97

3402-00

ह० श्री सुरेश सिंह, जलदार जो कि सामाजिक महिला द्वारा

हस्तगत जैकर राशि जो कि मास के अन्त में दर्शाई गई।

मास	राशि रु०
4/95	301-00
5/95	5339-00
6/95	395-00
7/95	1825-00
8/95	3956-00
9/95	14675-00
10/95	18220-00
11/95	13109-00
12/95	10869-00
1/96	10880-00
2/96	407-00
3/96	1320-00
4/96	736-00
5/96	1171-00
6/96	4358-00
7/96	3933-00
8/96	7887-00
9/96	5678-00
10/96	8933-00
11/96	13230-00
12/96	6208-00
1/97	5601-00
2/97	3402-00
3/97	3402-00

4/97	9053-00
5/97	7671-00
6/97	56-00
7/97	56-00
8/97	4166-00
9/97	956-00
10/97	4102-00
11/97	3703-00
12/97	287-00
1/98	2259-00
2/98	56-00
3/98	19092-00

मैस्ट्रोल सं० 509, 511, और 512	15619-00 रू०
" " 516	1922-00
" " 514	2340-00
" " 515	1,170-00
" " 510 और 513	11,461-00
यात्रा भत्ता बिल, श्री एच० के० डोभाल	98-00
" " " श्री महेश दत्त शर्मा	474-00
टैक्सी चार्जिज	950-00
	34034-00

भुगतान

(vi) वाऊचर सं० 3 मास 6/95 राशि 34034-00 रु०

वाऊचर सं० 2 मास 6/95 राशि 1612-00 रु०

नगरपरिषद् परवाणु की रोकड़ बही में मास 6/95 में वाऊचर सं० 3 द्वारा मु० 34034/-रु० का व्यय दर्शाया गया, जिसका विवरण निम्न है, इस अदायगी हेतु स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, चैक न० 432762 से मु० 20000/- और जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, परवाणु खाता सं० 1626 से चैक सं० 03122 से मु० 12422/-रु० और मु० 1612/- नकद भुगतान दर्शाया गया।

विवरण	राशि रू०
मैनहोल सं० 509, 511, और 512	15619-00 रु०
" " 516	1922-00
" " 514	2340-00
" " 515	1,170-00
" " 510 और 513	11,461-00
यात्रा भत्ता बिल, श्री एच० के० डोगरा	98-00
" " " श्री महेश दत्त शर्मा	474-00
टैक्सी चार्जिज	950-00
	34034-00

भुगतान	
चैक सं० 432762	20000-00
" " 03122	12422-00
नकद भुगतान	1612-00
	34034-00

(क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह नोट दिया गया कि मैनहोल सं० 510 अवधि 26-3-95 से 25-4-95 पर श्री सुच्चा सिंह, ठेकेदार जो कि कामकाजी महिला हॉस्टल

नगरपरिषद परवाणु की रोकड़ बही में मास 6/95 में वाउचर नं० 24, द्वारा मु० 1488/-रु० का गबन दर्शाया गया जबकि वास्तविक गबन 1014/-रु० था, जिसका विवरण निम्न किया ...

मे लगाया गया था, उसका वेतन मु० 806/-रु० कामकाजी महिला छात्रावास फण्ड से लिया जाना चाहिये। और मु० 806/- वेतन श्री रामराज बेलदार की दैनिक मजदूरी को भी विथ हैल्ड (with held) किया जाये, क्योंकि उसने चौकीदारी का काम नहीं किया। अतः इस प्रकार मैस्ट्रोल नं० 510 की देय राशि 7648/-रु० थी, परन्तु भुगतान 9260/-रु० ही दर्शाया गया। अतः इस प्रकार मु० 1612/-रु० का जो गबन दर्शाया गया, इसे न्यायोचित ठहराया जाये।

(viii) वाउचर नं० 2 मास 6/95 मे मु० 1612 की निकासी चैक सं० 0394 दि० 9-6-95 द्वारा जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक, परवाणु से बाबत श्री सुच्चा सिंह व राम राज की अवधि 26-3-95 से 25-4-95 (मैस्ट्रोल सं० 510) की राशि मु० 806+806= 1612/-रु० की गई। परन्तु इसकी प्राप्तकर्ता की रसीदें भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि, मु० 1612/-रु० का भुगतान रोकड़ बही में दो बार दर्शाया गया, जिसको न्यायोचित ठहराया जाये, अतः इस मामले की कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद परवाणु पूर्ण छानबीन करके तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करे।

viii) वाउचर सं० 34 मास 6/95 राशि 1488/-रु०

मु० 474/-रु० का अधिक व्यय दर्शाया

नगरपरिषद् परवाणु की रोकड़ बही में मास 6/95 में वाउचर नं० 34, द्वारा मु० 1488/-रु० का व्यय दर्शाया गया जबकि वास्तविक व्यय 1014/-रु० था, जिसका विवरण निम्न दिया गया है, इस प्रकार मु० 474/-रु० का जो अधिक व्यय दर्शाया गया, उसको न्यायोचित ठहराया जावे, अन्यथा मु० 474/-रु० को परिषद् निधि में जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

बिल सं० शून्य दि० 24-11-94

भुगतान श्री सी० एस० राणा, परवाणु बाबत मोल्डिंग एण्ड फिक्सिंग लकड़ी गेटर	474-00
भुगतान मै० निरंकार वैल्डिंग वर्क्स परवाणु बाबत बिल नं० 367, दि० शून्य, वैल्डिंग चार्जिज	540-00
कुल जोड़	1014-00

IX) वाउचर सं० 7 मास 5/95 राशि 2746/-रु०

रु० 197 रु का दोबारा भुगतान दर्शाना

नगरपरिषद परवाणु की रोकड़ बही पृष्ठ 86 पर रु 2746/- का निम्न 2 बिलों का भुगतान दर्शाया गया, जिसका विवरण निम्न है :-

विवरण			राशि (रु०)	
टेलीफोन बिल			1945-00	
बिल न0 5282	(पैट्रोल)		90-00	
,, ,, 8252	,,		100-00	
,, ,, 1143	,,		100-00	
,, ,, 3377	(फोटो)		44-00	
012	,,		120-00	
चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति बिल			180-00	
बिल न0 500/339 दि0 11-5-95			120-00	वाउचर उपलब्ध नहीं।
,, ,, 14 और 17			77-00	
			2746-00	

परन्तु रोकड़ बही पृ० 87 दि० 31-5-95 को वाउचर सं० शून्य द्वारा रु० 197/- रु० का भुगतान नकद दर्शाया गया, जिसका विवरण निम्न है :-

विवरण			राशि (रु०)
बिल न0 14,		निप्पल ग्रुप्ड यूनियन	40-00
,,	,,	पैड लॉक	37-00
,,	500	3 शार्प टी	90-00
		पाईप हुक	10-00
		फैन रिंचर	20-00
			197-00

यह भुगतान श्री सुधीर शर्मा, कार्य परिवेक्षक, परवाणु को दर्शाया गया, इस प्रकार रु० 197/-रु० का दो बार प्रविष्टि को न्यायोचित ठहराया जावे, अन्यथा इसकी वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जावे, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

13. पशु फाटक

पशु फाटक की आज की पड़ताल करते समय निम्न अनियमितताऐं पाई गई।

क) पशु फाटक रजिस्टर हि० प्र० म्युनिसिपल एकांउट कोड 1975 के नियम 138 के अनुसार विहित प्रपत्र पर नहीं बनाया गया। जिसे अब नियमानुसार बनाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

ख) हि० प्र० म्युनिसिपल एकांउट कोड 1975 के नियम 138 के अनुसार फार्म पी-2 पर पशुओं को फाटक मे बन्द करने (Cattle Impound) रसीद विहित प्रपत्र पर जारी की जानी आपेक्षित है, और फार्म पी०-3 पर बन्द पशुओं को छोड़ने हेतु रसीद विहित प्रपत्र पर आपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण मे पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त विहित प्रपत्रो पर पशुओं को फाटक में बन्द करना व छोड़ना हेतु रसीदें जारी नहीं की गई। अतः अब नियमो की पालना करके विहित प्रपत्रो पर रसीदे जारी करना सुनिश्चित किया जाये।

ग) पशु फाटक से 35 सुअरो की अवैध निकासी

पशु फाटक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 26-8-96 को नगर परिषद परवाणु ने 35 सुअरो को फाटक में बन्द किया दर्शाया गया। रजिस्टर पर चौकीदार द्वारा यह नोट दिया गया कि "पशु फाटक का ताला तोड़ दिया गया, जिससे सुअर भाग गये," और यह भी नोट दिया गया कि इस बारे मे प्राथमिक सूचना (FIR) दिनांक 26/8/96 को दर्ज

करा दी गई है। परन्तु अंकेक्षण में इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी, यह सुनिश्चित करे कि पुलिस द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई और दोषियो से पशु फाटक का शुल्क वसूला गया या नही, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करे।

घ) चारे का स्टाक रजिस्टर

नगरपरिषद द्वारा पशु फाटक के लिये तूडी इत्यादि का क्रय किया गया था जिसका विवरण निम्न है। परन्तु चारे का इन्द्राज अलग से स्टाक रजिस्टर मे नहीं किया गया और न ही इस तूडी का दिन प्रतिदिन खपत का विवरण दर्शाया गया। अतः भविष्य में चारे का अलग स्टाक रजिस्टर लगाया जावे और चारे की खपत दिन प्रतिदिन दिखाई जावे

दिनांक	चारे की मात्रा
15-11-96	2 क्विंटल
18-11-96	2 " "
21-11-96	2 " "
23-11-96	2 " "
26-11-96	2 " "
1-12-96	2 " "
11-12-96	128 कि० ग्रा०

30) पशु फाटक के पशुओं की नीलामी का अभिलेख

नगरपरिषद द्वारा पशु फाटक के पशुओं की निलामी की गई परन्तु पशु फाटक की नीलामी से सम्बन्धित रिकार्ड अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया, जिस कारण से वसूली की गई राशि की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। जिसके कुछ कारण निम्न है।

रसीद सं०	राशि	टिप्पणी
64/85 26/10/96	290-00	एक गाय
65/85 26/10/96	450-00	एक गाय
66/85 26/10/96	650-00	एक गाय सिंघ लगड़ा
90/85 30/10/96	250-00	एक गाय
14/86 5/11/96	9300-00	12 सूअर
10/86 15/11/96	250-00	एक गाय
1/87 15/11/96	250-00	एक गाय
28/87 16/11/96	300-00	एक गाय
29/87 16-11-96	300-00	एक गाय
52/88 28-11-96	250-00	एक बैल
53/88 28-11-96	250-00	एक बैल
54/88 28-11-96	250-00	एक बैल
17/89 12-11-96	500-00	दो बैल

14. सम्पति कर

क सम्पति कर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगरपंचायत / नगरपरिषद् के क्षेत्र में लगभग दो हजार के करीब कारखाने, दुकानें, स्टाल एवं गृह पडते है, जिनके नामों से खाते चल रहे हैं। इन्हे क्रम बद्ध ढंग से क्रमांक / संख्या आंबटित नही की गयी, जिस कारण आवश्यकता से अधिक समय जाँच करने मे लगा। अतः इन खाताधारकों को क्रमबद्ध खाता संख्या आंबटित किये जाये जिससे इनके रखरखाव एवं जाँच मे कठिनाई न आये।

इसके साथ ही रसीदों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दे। रसीदों पर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रैफरैन्स दर्ज किया जाये। रसीदों में प्राप्त की गई राशि को शब्दों मे लिखा जाना चाहिये।

कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु ने यह सूचित किया कि दिनांक 31/3/98 को मु० 20,09,728/- रु० सम्पति कर के बकाया थे। अतः बकाया राशि की वसूली हेतू ठोस कदम उठाये जाये और तदानुसार अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत की जाये।

राज्य सरकार की दिनांक 5/93 को जारी अधिसूचना सं० LSG- C(9)-7/84 के अनुसार दिनांक 30.3.93 से नगर परिषद् परवाणु द्वारा सफाई कर आधिरोपित किया गया था। यह कर ई० डब्लू० एस०, एल० आई० जी०, एम० आई० जी०, एच० आई० जी० प्लाट और फ्लैट, लघु उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग पर से वसूली योग्य था और दिनांक 31-3-98 को मु० 14,77,412/- रु० वसूली योग्य थे। अतः नगरपरिषद् इस वसूली हेतू शीघ्र ठोस कदम उठाये, और अनुपालना से इस निदेशालय को सूचित करें।

2) सम्पति कर—कम वसूली — रु० 4414 रु०

सम्पति कर का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगरपरिषद ने निम्न दुकानदारों, फर्मों, उद्योगों से सम्पति कर की रु० 4414/- रु० कम वसूली की गई। जिसकी अब वसूली की जावे, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके नगरपरिषद निधि में जमा करवाया जावे।

फर्म/व्यक्ति का नाम	बिल सं०/तिथि	राशि देय/देय तिथि	देय तिथि के बाद राशि	भुगतान तिथि रु०	प्राप्त राशि	कम वसूली
मै० वल्लूमैक्स स्टील प्लाट नं० 25 सैक्टर-1, परवाणु	31/90 16-5-95	2840/- 16-6-95	3124/-	60/72 15-3-96	2840/-	284/-
श्री बलदेव राज प्लाट नं० 8 सैक्टर-1, परवाणु	46/91 23-5-95	54/- 23-6-95	59/-	65/72 15-3-96	54/-	5/-
श्रीमति कृष्णा सेठ LIG-120	70/92 24-6-95	180/- 24-7-95	198/-	67/72 24-3-96	180/-	18/-
श्री रणजोध सिंह MIG-88	30/98 21-9-95	432/- 21-10-95	475/-	68/72 28-3-96	432/-	43/-
हि० प्र० आवास बोर्ड परवाणु सै०-3 ब्लाक IV, 8 फ्लैटस	58/95 20-7-95	461/- 20-8-95	507/-	83/72 26-3-96	461/-	46/-
मै० सोल कैरम सिस्टम सै०-5, प्लाट नं० 61, परवाणु	1/96 5-6-95	13093/- 5-7-95	14402/-	85/72 26-3-96	13093/-	1309/-
मै० सोल कैरम सिस्टम सै०-5 MIG-56,57-59 परवाणु।	47/96 5-6-95	648/- 5-7-95	713/-	86/72 26-3-96	648/-	65/-
मै० सोल कैरम सिस्टम सै०-5 MIG-48	42/96 5-6-95	216/- 5-7-95	238/-	86/72 26-3-96	216/-	22/-
श्री रविन्द्र कुमार सै०-4, LIG-212	27/99 22-9-95	180/- 22-10-95	198/-	88/72 26-3-96	180/-	18/-
श्री एस० के० मल्होत्रा सै०-4 MIG-63	40/92 29-6-95	86/- 29-7-95	95/-	93/72 26-3-96	86/-	9/-
						1839/-

						184/-
श्री आर० आर० गैजी सै०-4 L19-93.	34/111 27-5-96	266/- 27-6-96	282/-	85/77 1-7-96	266/-	16/-
श्री सुदेश चढ्ढा, ला९-8 सै०-3, परवाणु	94/96 4-7-95	1242/- 4-8-95	1366/-	64/72 19-3-96	1295/-	71/-
मै० मजूर शापिंग काम्पलैक्स परवाणु	77/107 24-6-96	18144/- 24-7-96	19958/-	7/81 24-9-96	18144/-	1814/-
श्री पूर्ण चन्द सै०-6 परवाणु	98/107 28-10-96	972/- 28-11-96	1069/-	25/92 25-2-97	992/-	97/-
श्री अंजन शर्मा सै० - 2 परवाणु	68/102 28-10-96	3710/- 28-11-96	4124/-	45/92 13-3-97	3938/-	193/-
श्री अशोक कुमार, परवाणु	8/109 10-6-96	597/- 10-7-96	657/-	64/79 16-7-96	597/-	60/-
~~मै० [illegible] सै० [illegible]~~						
मै० ग्रेडिड मिल्स, प्लाट०56 सै०-5, परवाणु	6/18 18-6-96	1699/- 18-7-96	1752/-	19/81 30-7-96	1699/-	53/-
मै० हिमालयन कोटन गिनिंग एण्ड आयल मिल्ज प्लाट न० 10 सै० 1, परवाणु	11/107 24-5-96	1016/- 24-6-96	1118/-	92/92 27-3-97	1016/-	102/-
पुलिस स्टेशन, सुपरिंटैन्ट ऑफ पुलिस, sec-11, परवाणु,	16/108 21-5-96	10943/- 21-6-96	11137/-	88/77 2-7-96	10943/-	194/-
						4419/-

3) हि० प्र० हाऊसिंग बोर्ड, ब्लाक 4, फ्लैट्स - 8 कम वसूली :-

हि० प्र० हाऊसिंग बोर्ड, ब्लाक 4, फ्लैट्स-8, दर 70000/- प्रति फ्लैट्स से कुल रु० 560,000/-रु० होता है। इस पर सम्पत्ति कर 1512/- (560000×9%/) देय था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि हि० प्र० आवास बोर्ड परवाणु से ब्लाक 4 फ्लैट्स 8 का सम्पत्ति कर रु० 461/-रु० वसूल किया गया र० सं० 83/72 दि० 26-3-96 द्वारा इस प्रकार रु० 1051/-रु० की कम मांग की गई और कम प्राप्ति की गई जिसे अब प्राप्त किया जावे। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

4) मैं० मानसन फार्मास्युटिकल प्लाट नं० 10 सै० - 5 परवाणु - कम वसूली :-

नगरपरिषद् ने बिल सं० 71/209 दि० 17-6-96 द्वारा दिनांक 31-3-96 तक सम्पत्ति कर (31,99,631/-) दिनांक 31-3-96 तक रु० 98536/-रु० और वर्ष 1996-97 का 11519/-रु० कुल 1,10,055/-रु० का बिल जारी किया।

फर्म ने दि० 10-7-96 को रसीद सं० 46/79 द्वारा रु० 52596/-रु० नगरपरिषद् निधि में जमा करवाये। इस प्रकार बकाया राशि रु० 57459/-रु० शेष रही। अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 1997-98 में इस शेष राशि रु० 57459/- को बकाया में नहीं दर्शाया गया अपितु 1997-98 में सम्पत्ति कर (1,80,759) रु० 4611/-रु० दर्शाया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी परवाणु पूरी छानबीन करके बकाया राशि की वसूली को सुनिश्चित करें।

5 सम्पत्ति कर / सफाई कर - मांग एवं संग्रह रजिस्टर

अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपरिषद् ने हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 15 के अनुसार विहित प्रपत्र T6-5 पर नियमानुसार कर मांग एवं संग्रह रजिस्टर नहीं बनाया गया जिसे अब नियमानुसार, और जैसा कि चर्चा की गई के अनुसार बनाया जावे।

7750-00

15. सफाई कर बाबत होटल रैस्टोरेन्ट, सिनेमा हाल दुकाने (थोक विक्रेता /परचून) इत्यादि

नगरपरिषद् परवाणु का बाबत होटल रैस्टोरेन्ट, सिनेमा हाल, बैंक, दुकाने (थोक विक्रेता /परचून) इत्यादि का मु० 696550/- रू० दि० 31-3-98 को बकाया था। जिसका विवरण परिशिष्ट – 'ट' अंकेक्षण अवधि 4/95 से 3/98 में दर्शाया गया है। अतः इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें

2) अंकेक्षण में पाया गया कि रेहड़ियों से जो सफाई कर की वसूली की जाती है उसका मांग एवं संग्रह रजिस्टर भी बनाया जावे, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

3) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि निम्न व्यक्तियों से सफाई कर प्राप्त किया गया था, परन्तु ९८- रसीद में अवधि का विवरण नहीं था। अतः भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे।

जी-8

र० सं०	दिनांक	राशि	विवरण
37/59	6-4-95	120-00	श्री अशोक कुमार s/o श्री जैसी राम
40/59	20-4-95	120-00	श्री राम लाल s/o श्री भूप राम
42/59	20-4-95	120-00	श्रीमति सरिता देवी, परवाणु
48/59	29-4-95	120-00	श्री राम बदन चौरसिया, परवाणु

ख) रेहड़ी लाईसेन्स शुल्क

1) रेहड़ी लाईसेन्स शुल्क की बकाया राशि - रु० 10020/-

नगरपरिषद परवाणु का दिनांक 31/3/98 को रु० 10,020/- रु० रेहड़ी लाईसेन्स शुल्क के बकाया थे। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि को अति शीघ्र वसूल किया जाये, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

पिछला शेष	मांग	कुल	प्राप्ति/वसूली	बकाया
	रु०	रु०	रु०	रु०
वर्ष 1995-96				
शून्य	10680-00	10680-00	8760-00	1920-00
वर्ष 1996-97				
1920-00	10680-00	12600-00	8100-00	4500-00
वर्ष 1997-98				
4500-00	10680-00	15180-00	5160-00	10020-00

2) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगरपरिषद द्वारा L-1 रजिस्टर (प्रार्थना पत्र प्राप्ति रजिस्टर) और L-2 रजिस्टर (लाईसेन्स जारी करने का रजिस्टर) भी नहीं बनाया गया था, इसके अतिरिक्त लाईसेन्स L-4 पर जारी करना अपेक्षित था, यह भी नहीं लगाया गया था। अतः इन रजिस्टरों को शीघ्र बनाया जाये, और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

3) रेहड़ी लाईसेन्स नम्बर प्लेट स्टाक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

16. व्यापार कर / शुल्क — बकाया जात

(क) नगर परिषद् परवाणु ने नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66(1) के अनुसार व्यापार पर कर अधिरोपित किया और दिनांक 31-3-98 को थोक विक्रेताओं से लाईसेन्स शुल्क के मु० 28550/- रु० बकाया थे। जिसका विवरण निम्न दिया गया है।- अतः इस शुल्क की वसूल शीघ्र की जाये।

क्र० सं०	थोक विक्रेताओं के नाम		राशि देय
1.	मै० इ०बी० डीपोसिट प्रा० लि०	सै०-1	300-00
2.	" मोरपन लेबोटीज	सै०-2	300-00
3.	" हरियाणा ट्रेडिंग क०	" "	100-00
4.	" दिपक ट्रेडिंग क०	" "	300-00
5.	" जनक आयल इण्ड० लि०	" "	200-00
6.	" विमल ट्रेडर्स गोदाम	" "	200-00
7.	" दिशता वाशिंग पाऊडर अग्र ट्रेडर्स	" "	100-00
8.	" कुमार फुटवेयर	" "	100-00
9.	" साराभाई कैमिकल	" "	100-00
10.	" जौली लैबोरेट्रीज	" "	200-00
11.	" हरीचन्द एण्ड सन्ज	" "	450-00
12.	" सुमित ट्रेडिंग कम्पनी	" "	400-00
13.	" प्रेम चन्द गुप्ता एण्ड सन्ज	" "	400-00
14.	" रल्ला राम चिरंजी लाल	" "	300-00
15.	" मोहित ट्रेडिंग क०	" "	300-00
16.	" लक्ष्मण दास सैदिला मल	" "	100-00
17.	" जगत राम मुकन्दि लाल	" "	400-00
18.	" गणेश ट्रेडिंग क०	" "	400-00
19.	" प्रकाश एजेन्सी	" "	300-00
20.	" मिगलानी ट्रेडिंग क०	" "	300-00
21.	" किशन ट्रेडिंग क०	" "	400-00
22.	" हरियाणा ट्रेडिंग क०	" "	100-00
23.	" सुभाष एण्ड क०	" "	700-00
24.	" सूरज भान साधु राम एण्ड क०	" "	400-00
25.	" गर्ग ट्रेडिंग क०	" "	300-00
26.	" राज ट्रेडिंग क०	" "	400-00
27.	" महालक्ष्मी ट्रेडिंग क०	" "	400-00

28.	मै० हनुमान ट्रेडिंग को०		
29.	मै० श्री कृष्णा ट्रेडिंग को०	सैक्टर -1	7950-00
30.	मै० मनोज ज्वैलर्स	" "	400-00
31.	मै० परवाणु ट्रेडिंग को०	" "	300-00
32.	मै० अरविन्द शू को०	" "	500-00
33.	मै० ओम शू को०	" "	800-00
34.	" प्रधान टैक्सी यूनियन, यूथ	" "	450-00
35.	" महादेव ट्रेडिंग को०	" "	300-00
36.	" एस० के० ट्रेडर्स	" "	400-00
37.	" हिलेडवरी ट्रेडिंग को०	" "	300-00
38.	" न्यू सूरज ट्रांसपोर्ट को०	" "	600-00
39.	" महावीर ट्रेडिंग को०	" "	200-00
40.	" एम० बी० ट्रेडर्स	" "	500-00
41.	" वर्धमान कैमिकल लि०	" "	800-00
42.	" जे० के० डायरीज एण्ड फ्रूट	" "	800-00
43.	" रुबाफलिक इण्ड०	" "	300-00
44.	" बाटा इण्डिया लि०	" "	100-00
45.	" डंकन टि० लि०	" "	300-00
46	" डॉलर इण्डिया लि०	" "	100-00
47.	" हिमालयन कॉटन एण्ड जिनिंग मिल्स	" "	100-00
			500-00
48.	" लक्ष्मी शू को०	" "	400-00
49.	" इकोनोमिक ट्रांसपोर्ट	" "	300-00
50.	" गुडलक मैटलिक पैन्टस	" "	700-00
51.	" नव दुर्गा पैकर	" "	200-00
52.	" ट्रांसपोर्ट कार्पो० इण्डिया	" "	300-00
53.	" लिपटन इण्डिया लि०	" "	100-00
54.	" आर्मी आयल एण्ड फ्लोर मिल्ज	" "	100-00
55.	" इण्डिया स्पाइसिज एण्ड फूड इण्ड०	" "	100-00
56.	" इण्डो डैन इण्ड० (आई०) लि०	" "	400-00
57.	" फोरमोस्ट इण्ड० (आई०) लि०	" "	400-00
58.	" ओम आयल एण्ड फ्लोर मिल्ज	" "	400-00
59.	" अमर फ्लोर मिल्स	" "	800-00
60.	" अम्बिका ट्रेडिंग को०	" "	600-00
61.	" बाला जी ट्रेडर्स को०	" "	400-00
62.	" मदन लाल एण्ड सन्ज	" "	800-00
63.	" दौलत राम धनपत राम	" "	300-00
			300-00
			21500-00

64	मै० न्यू अमृतसरी ढाबा	सैक्टर	2	300-00
65	" इस्पात इण्ड० लि०	"	"	100-00
66	" जे०के० गुड्स कैरियर	"	"	100-00
67.	" प्रधान ट्रक यूनियन बूथ	"	"	400-00
68.	" पटेल रोडवेज	"	"	300-00
69.	" न्यू हरियाणा रोड लाईन्स	"	"	300-00
70.	" विशाल रोड लाईन्स	"	"	300-00
71.	" ऑटोमैटिक एजेन्सीज सीट लि०	"	"	400-00
72.	" पारस ईलैक्ट्रानिक्स कार्पो	"	"	300-00
73.	" नेहा फारेस्ट इण्ड०	"	"	600-00
74.	" हिम एजेन्सी	"	"	600-00
75.	" राजीव शर्मा	"	"	100-00
76.	" रतन इंटरप्राइज स्कूटर एजेन्सी	"	"	
77.	" हिमालयन फ्रूट (प्रा०) लि०	"	"	300-00
78.	" प्रेम मैन्स होल सेल डिपो	सैक्टर	3	100-00
79.	" बेकरमैन इण्ड० (प्रा०) लि०	"	"	300-00
80	" डी० आर० फ्लोर मिल्स	"	"	100-00
81	" कमल इन्टरप्राईजिज (गोदाम)	"	"	500-00
82.	" पवन चन्द्र एजेन्सी	सैक्टर	1	300-00
83.	" तेजिन्द्र सिंह	सैक्टर	2	300-00
84.	" डंकन इण्ड० लि०	सैक्टर	1	400-00
85	" वर्धमान कैमिकल लि०	"	"	100-00
86.	" जनको इण्डिया लि०	"	"	100-00
87.	" आनन्द शू क०	सैक्टर	2	100-00
88.	" विडसमूर होटल	"	"	100-00
				150-00
	कुल योग			28550-00

(37) नगर परिषद् परवाणु के दिनाँक 31-3-98 को परचून विक्रेताओं के लाईसेन्स शुल्क के रु० 5100/- रु० बकाया थे जिसका विवरण निम्न है। अतः इसकी वसूली शीघ्र की जाये।

क्र० सं०	परचून विक्रेता का नाम				राशि देय
1.	मै० एस० एस० मार्बल	सैक्टर-1,	परवाणु		300-00
2.	मै० न्यू स्टाईल पैकर्स	"	"	"	300-00
3.	" गोपाल मोबिजन स्टोर	"	"	"	350-00
4.	श्री विनोद कुठियाला	"	"	"	250-00
5.	श्री सुभाष सूद	"	"	"	300-00
6.	मै० गोपाल हार्डवेयर	"	"	"	100-00
7.	श्री फलीप मैल्होत्रा	"	"	"	200-00
8.	मै० अम्बिका ट्रेडर्स	"	"	"	150-00
9.	मै० गणपति ट्रेडर्स	"	"	"	50-00
10.	मै० राज टेलर्स	"	"	"	50-00
11.	मै० मूल राज शर्मा	"	"	"	100-00
12.	श्री एस० के फर्नीचर	"	"	"	100-00
13.	मै० न्यू जसपाल कैलाश हॉकर्स	"	"	"	200-00
14.	मै० टान्स एस० टी० डी०	"	"	"	100-00
15.	मै० आर० के० ट्रेडिंग क०	"	"	"	300-00
16.	मै० गिरधारी काँच का०	"	"	"	50-00
17.	मै० नवीन मैडीकोस डिपार्टमैन्टल स्टोर	"	"	"	100-00
18.	मै० एम० बी० सेल्स कार्पो०	"	"	"	300-00
19.	मै० कृष्णा वाच क०	"	"	"	150-00
20.	मै० एस्सार जुनाटिड एजेन्सीज	"	"	"	150-00
21.	मै० सुनील ट्रेडर्स	"	"	"	150-00
22.	मै० गणेश जनरल स्टोर	"	"	"	250-00
23.	मै० आर० के० ईलैक्ट्रानिक	"	"	"	150-00
24.	मै० भारत मैडीकल स्टोर	"	"	"	300-00
25.	मै० पापुलर ट्रेडर्स	"	"	"	150-00
26.	मै० माइक्रो टैक कंप्यूटरस सिस्टम	"	"	"	200-00
27.	मै० ड्रेड सीड इन्टरप्राईजिज	"	"	"	300-00
					5100-00

				5100-00
28. मैं० भास्कर क्लीनिक	सैक्टर - 1 परवाणु			150-00
29. मैं० अमरीश गुप्ता पानहाऊस	"	"	"	150-00
30. मैं० शंकर एण्ड सन्ज	"	"	"	500-00
31. मैं० गोगा इलैक्ट्रानिक्स	"	"	"	300-00
32. मैं० आनन्द फर्नीचर	"	"	"	200-00
33. श्री धर्मेन्द्र गुलाटी	"	"	"	300-00
34. मैं० गुप्ता वर्क्स	"	"	"	150-00
35. मैं० शाही इलैक्ट्रानिक्स	"	"	"	250-00
36. मैं० शिवा इलैक्ट्रानिक्स	"	"	"	250-00
37. श्री मनमोहन शर्मा	"	"	"	50-00
38. मैं० जैनसी ट्रेडर्स	"	"	"	350-00
39. मैं० साहनी ट्रेडिंग का०	"	"	"	150-00
40. मैं० कालिया ट्रेडिंग का०	"	"	"	300-00
41. श्री होशर मल पराशर	"	"	"	100-00
42. मैं० दिव्या सेल्स मारूति सर्विस स्टेशन	"	"	"	200-00
43. मैं० देसराज डेली नीड	"	"	"	100-00
44. मैं० ओम सन्स	"	"	"	200-00
45. मैं० नागपाल ट्रेडिंग का०	"	"	"	300-00
46. मैं० अम्बिका इन्जीनियरिंग वर्क्स	"	"	"	150-00
47. मैं० सूर्या लैबोट्रीज प्लाट न०62	"	"	"	200-00
48. मैं० प्रभाकर हास्पीटल	"	"	"	200-00
49. मैं० राकेश फर्नीचर हाउस	सैक्टर - 2 परवाणु			100-00
50. मैं० हिमाचल आभूषण स्टोर	"	"	"	150-00
51. मैं० श्रीमान वैल्डिंग वर्क्स	"	"	"	250-00
52. मैं० अग्रवाल एण्ड का०	"	"	"	300-00
53. मैं० शर्मा वूल डिपो	"	"	"	150-00
54. मैं० शर्मा प्रापर्टी डीलर	"	"	"	300-00
55. श्री महादेव गुप्ता पान हाऊस	"	"	"	300-00
56. मैं० देसराज वैल्डिंग वर्क्स	"	"	"	250-00
57. मैं० हेमन्त डेली नीड स्टोर	"	"	"	150-00
58. मैं० एस० पी० मोटर्स	"	"	"	150-00
59. मैं० वर्मा इन्जी० वर्क्स	"	"	"	150-00
60. मैं० राम अवतार इन्जी० वर्क्स	"	"	"	250-00
61. मैं० दिपक नवीन इटरप्राईसिस	"	"	"	150-00
62. मैं० दिशा फर्नीचर	"	"	"	150-00
63. मैं० सरस्वती पुस्तक भण्डार	"	"	"	300-00
				12750-00

12750-00

64. मैं० आनन्द ब्रू क०	सैक्टर - 2 परवाणु	300-00
65. मैं० रवि ग्राम उद्योग	" " "	300-00
66. मैं० कालका फिलिंग स्टेशन	" " "	300-00
67. मैं० विजलोनिक्स	" " "	300-00
68. मैं० चांद हैयर ड्रैसर	" " "	50-00
69. मैं० सोनू गैस वैल्डिंग वर्क्स	" " "	150-00
70. मैं० बॉबी आटो	" " "	300-v
71. श्री राम धाम सिंह	" " "	100-00
72. श्री कैरनल सिंह	" " "	250-00
73. श्री ओम प्रकाश	" " "	250-00
74. श्री रणवीर सिंह	" " "	250-00
75. श्री हरी शंकर	" " "	250-00
76. श्री राजा राम भारती	" " "	300-00
77. मैं० मोहन मीट शाप	" " "	200-00
78. श्री राजेन्द्र गुप्ता	" " "	300-00
79. श्री नरेश कुमार	" " "	150-00
80. मैं० देस राज चड्ढा एण्ड क०	" " "	150-00
81. श्री इन्द्र राम	" " "	150-00
82. मैं० मधु जनरल स्टोर	" " "	150-00
83. मैं० जय शंकर प्रोविजन स्टोर	" " "	50-00
84. मैं० एम० पी० लिबास	" " "	150-00
85. मैं० बी० के० फाइन हैयर ड्रैसर	" " "	150-00
86. मैं० दिनेश हैयर ड्रैसर	" " "	150-00
87. मैं० साहनी इलैक्ट्रीकल	" " "	150-00
88. मैं० जोगा आटो इलैक्ट्रीकल वर्क्स	" " "	150-00
89. मैं० न्यू कश्यप आटो स्टोर	" " "	150-00
90. मैं० सुभाष हैयर ड्रैसर	" " "	150-00
91. श्री पी० एस० प्यारी	सैक्टर - 3, परवाणु	100-00
92. मैं० शर्मा जनरल स्टोर	सैक्टर - 4, परवाणु	50-00
93. मैं० एस० बी० बालिका विडियो शाप	" " "	150-00
94. मैं० आशोका ड्राई क्लीनर्स	" " "	100-00
95. मैं० अजन्ता हैयर ड्रैसर	" " "	150-00
96. मैं० राहुल ट्रेडर्स	" " "	150-00
97. श्री रमेश	" " "	100-00
98. श्री सोम दत्त प्रोविजन स्टोर	सैक्टर - 5, परवाणु	150-00
99. मैं० परसोम प्रोविजन स्टोर	सैक्टर - 5, परवाणु	100-00

कुल जोड़ 19100-00

17. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय

क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति - अनियमित भुगतान
वाउचर नं० 13 मार्च 4/96 राशि 5500/- रु

मुबलिग 5500 रु० का भुगतान श्री बी० एस० दहल सहायक-आयुक्त परवाणु को चैक नं० 90150 दिनांक 16.4.96 द्वारा (आहरण एवं वितरण अधिकारी नगर पंचायत परवाणु) बाबत डा० विट्ठल धनवन्तरी नर्सिंग होम कोलकाता से टैस्ट करवाने और भरती " " . डोमिनिक सैंटर कैंसर व श्री मध्यकीर्ति पटियाला से C.T. scan करवाने के (रु० 3000 और 2500) का किया गया।

1) श्री बी० एस दहल सहायक - आयुक्त परवाणु के पद पर आसीन था और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था उनके वेतन, भत्ते, व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार से अपेक्षित है।

2) हिमाचल सरकार ने श्री बी० एस दहल, सहायक - आयुक्त परवाणु को नगर पंचायत परवाणु का अतिरिक्त तौर आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य सौंपा था और वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाता था इसी प्रकार रु० 5500 रु का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही अपेक्षित था। अतः जो रु 5500 रु का - - अनियमित भुगतान चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का नगर पंचायत / परिषद निधि से किया गया उस की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर के नगर परिषद निधि में शीघ्र जमा करवाई जावे और तदानुसार डेप्युटी निदेशालय को सूचित किया जावे।

ख) वाउचर नं० 1 मास 4/96 राशि 2600 रु०

1) मुबलिग 2600 रु० का भुगतान श्री हरी कृष्ण डोगरा को बाबत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा श्रीमति माड़ी देवी (माता श्री हरी कृष्ण डोगरा लिपिक) का किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

1) श्री हरी कृष्ण डोगरा लिपिक ने अपनी माता श्रीमति माड़ी देवी का इलाज प्राइवेट हस्पताल, 'शर्मा हस्पताल' 64-66 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कालका से करवाया जिसका विवरण निम्न है !-

	रु०
दाखिला शुल्क	50.00
बैड चार्जिस	1000.00
नर्सिंग शुल्क	500.00
विजिटिंग शुल्क	500.00
x-किरण चार्जिज	340.00
दवाईयां	210.00
परामर्श शुल्क	100.00
कुल योग	2600.00

दाखिले की तिथि 4.3.96
छुट्टी की तिथि 13.3.96

श्री हरी कृष्ण डोगरा लिपिक ने अपनी माता का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम कालका से करवाया जब कि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार प्राइवेट हस्पताल में करवाए गए इलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति अस्वीकृत है। प्राइवेट हस्पताल में किये गए इलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जा सकती है अगर उस प्राइवेट हस्पताल को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत। अनुमति प्रदान की गई हो अतः इस प्रकार मु० 2600 रु० के अनियमित भुगतान को व्यपगत... राशि मु० 2600 रु० की वसूली कर के सम्बन्धित निधि में शीघ्र जमा करवाई जावे और इस निरीक्षण को तदानुसार सूचित किया जावे।

(1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का नियमानुसार ... अधिकारी का ... भी नहीं ... गया था जिसे नियमानुसार शीघ्र ... जावे।

ग) वाउचर नं० 6 मास 9/97 राशि 132 रु०

मु० 132 रु० का भुगतान श्री हरी कृष्ण डोगरा व० लिपिक को बाबत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा उनके मातपिता (आश्रित) का किया गया। मेडिकल एटेन्डेन्स रूल्स के परिशिष्ट 5 (परिवार की भाषा) के अंतर्गत माता पिता के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे को न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा मु० 132 रु० के अनियमित भुगतान की वसूली कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

घ) वाउचर नं० 55 मास 3/97 राशि 496 रु०

मु० 496 रु० का भुगतान श्री सुधीर शर्मा कार्य निरीक्षक परवाणु को बाबत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

i) मु० 350 रु० का भुगतान बाबत करवाने टैस्ट मु० एस०डी० पारमेश नर्सिंग होम परवाणु से अपनी पत्नी श्रीमती नीलम का किया गया परन्तु E.S.I. परवाणु से इस टैस्ट के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया कि इस टैस्ट की सुविधा E.S.I. परवाणु में नहीं थी इस कारण से यह राशि मु० 350 रु० अंकेक्षण में मान्य नहीं है अतः इस को न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा इस की वसूली की जावे और परिषद निधि में जमा करवाई जावे।

ii) इसी प्रकार मु० 146.50 बाबत करवाने टैस्ट अपनी माता [illegible] का पारमेश नर्सिंग होम परवाणु से, भुगतान किया गया परन्तु E.S.I. परवाणु से टैस्ट उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया जिसे दिखाया जावे अन्यथा इस राशि की वसूली की जावे इसके अतिरिक्त माता की आय [illegible] प्रमाण पत्र निर्भरता का अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

5) कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान

मेडिकल अटेंडेन्ट नियम 1955 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा रोगी के इलाज समाप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद ने कालातीत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया परन्तु कमेटी से नियमानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिस कारण से कालातीत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान है अतः इसकी अब वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जावे और इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

वाउचर नं०	मास	राशि	विवरण
39	9/97	रु 195	भुगतान श्री बी० एस० ठाकुर जे० ई० बाबत इलाज पत्नी श्रीमती [illegible] E.S.I. परवाणु ओ.पी.डी. पर्ची नं० 718 दिनांक 5.3.97 अवधि इलाज 5.3.97 से 6.3.97.
30	1/96	5575	भुगतान श्री बी० एस० ठाकुर जे० ई० बाबत इलाज पत्नी श्रीमती E.S.I. परवाणु ओ.पी.डी. पर्ची नं० 19512 दि० 11.11.95 को कुल राशि कैप्सूल स्पोरलैक्स रु 987 E.S.I. परवाणु पर्ची नं० 16162 दिनांक 26.6.95 कुल राशि रु 9375 रु E.S.I. परवाणु पर्ची नं० 16329 दिनांक 7.7.95 टेबलेट्स 301 के नोटिस की पि

18 यात्रा भत्ता बिल : यात्रा भत्ता बिलों की पड़ताल करते समय निम्न अनियमितताएं पाई गई :

क) वाउचर नं० 18 मास 10/97 राशि 1155 रु०

मुबलिग 1155 रु० का भुगतान श्री हरि कृष्ण डोगरा व० लिपिक को बाबत यात्रा भत्ता बिलों का किया गया इस यात्रा भत्ते दावों में रु० 108 रु० का अधिक भुगतान किया जिस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये विवरण निम्न है :

क्र०	यात्रा का विवरण	क्लेम किया भत्ता	देय भत्ता	अधिक भुगतान	टिप्पणी
		रु०	रु०	रु०	
8.97	परवाणू से गोलाघाट और वापिसी 8.30 AM से 8.45	30.50	21.50	9.50	यात्रा 12 घंटे से कम थी
.97	परवाणू से सोलन और वापिसी 11 AM से 5 PM.	31.50	–	31.50	यात्रा 6 घंटे थी 6 घंटे से ऊपर 70% देय था
.97	— यथोपरि	31	–	31.50	पुराना क्लेम कर लिया
.97	परवाणू से सोलन और वापिसी 11 AM से 8 P.M.	30	21.50	9.50	यात्रा 12 घंटे से ऊपर नहीं थी
8.97	परवाणू से चंडीगढ़ और वापिसी 10 AM से 3 P.M.	31	शून्य	21.50	यात्रा 6 घंटे से कम थी
.97	परवाणू से शिमला और वापिसी 9 AM से 9 PM.	30	21	9.50	यात्रा 12 घंटे से ऊपर नहीं थी
.97	परवाणू से चंडीगढ़ वाया और वापिसी 9 AM से 9 P.M.	30	21	9.50	"
.97	परवाणू से कालाघाट और वापिसी 9 AM से 8 P.M	30	21.50	9.50	यात्रा 12 घंटे से कम थी
	योग			108.50	

उपरोक्त बिल का भुगतान नगर परिषद निधि से किया जाना की यात्राएं जेलाम्पोल (सदस्यक आयुक्त परवाणू) हेतु की गई इस भुगतान को परिषद निधि से नियमित उपराज जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित विभाग से की जाये और परिषद निधि में जमा करवाई जाये।

(ख) वाउचर 2 माह 4/95 राशि 350 रु

रु 350 रु का भुगतान श्री नीम सेन ठाकुर [illegible] को यात्रा भत्ता बिल अवधि 12/94 से 3/95 का किया गया है जो रु 17.50 रु का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न है जिसकी शीघ्र वसूली की जावे और वसूली राशि संबंधित [illegible] में जमा की जावे।

विवरण: श्री नीम सेन ठाकुर को अधिक भुगतान 17.50 रु

क्र	दिनांक/माह	भुगतान किया	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
		रु		रु	
1	दरवाहु से [illegible] और वापिसी [illegible]	32+52 + 34.50 = 86.50	32+32 + 31.0 = 83.00	3.50	दैनिक भत्ता 16.50 [illegible] [illegible] भुगतान 15 [illegible]
2	यथोपरि	86.50	83	3.50	यथोपरि
3	दरवाहु से सोलन और वापिसी [illegible]	15+15 + 24.50 = 54.50	15+15 31.0 = 51.00	3.50	यथोपरि
4	यथोपरि	54.50	51.00	3.50	यथोपरि
5	यथोपरि	54.50	51.00	3.50	यथोपरि
			योग	17.50 रु	

(ग) वाउचर नं० 1 माह 3/96 राशि 300/-

रु० 300/- रु का भुगतान श्री सुधीर कुमार [illegible] को [illegible] बाबत [illegible] द्वारा [illegible] दरवाहु से [illegible] और वापिसी दिनांक 26.3.96 को बाबत [illegible] का [illegible] का किया गया [illegible] जो [illegible] के अनुसार वैध नहीं है। दरवाहु से [illegible] का [illegible] रु० 10 [illegible] प्रकार रु० 20 रु ही [illegible] है अतः रु 300/- रु के [illegible] को [illegible] ठहराया जावे अथवा रु० 280/- रु की वसूली कर [illegible] में जमा करवाई जावे और इस [illegible] को [illegible] सूचित किया जावे।

घ) वाउचर नं० ७ माह ५/९५ राशि ७९९.०

भुगतान श्री हरी कृष्ण डेम्हा वेतन भत्ता माह [illegible] माह ५/९५ को रु० ७९९ रु० किया गया जिसमें रु० ५१ रु० को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है इसकी वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जावे।

विवरण श्री हरी कृष्ण डेम्हा मूल वेतन 1365 रु०

क्र०	यात्रा का विवरण	भुगतान किया	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
		रु०	रु०	रु०	
९५	दिनांक से खैरथल से बीकानेर ९.५.९५	51.0	47.50	3.50	दैनिक भत्ता 3.50 से भुगतान किया गया कि देय 3.50 प्रतिदिन था
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९५	—यथोपरि—	51.0	47.50	3.50	"
९.५ से ९५	—यथोपरि—	352.0	332.50	19.50	"
			योग	51.00 रु०	

ङ) वाउचर नं० १९ माह १०/९७ राशि १७१.०

रु० १७१ का भुगतान श्री मनोहर लाल दैनिक वेतन भोगी लिपिक को दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया जो कि देय नहीं था इस प्रकार रु० १७१ का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली की जाकर परिषद निधि में जमा करवाया जावे विवरण निम्न है

क्र०	विवरण	भुगतान किया	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
		रु०	रु०		
९७	दिनांक से खैरथल से बीकानेर ९.१०.९७	40+17	40.0	17.0	दैनिक भोगी लिपिक को दैनिक भत्ता देय नहीं है
९७	—यथोपरि—	40+17	40.0	17.0	"
९७	—यथोपरि—	40+17	40	17.0	"
			योग	51.0	

च) वाउचर नं० 12 मास 1/96 राशि 866.00 रु०

वाउचर नं० 43 मास 3/97 राशि 386.0 रु०

वाउचर नं० 8 मास 8/96 राशि 668.00 रु०

वाउचर नं० 37 मास 12/96 राशि 563 रु
वाउचर 36 मास 1/97 राशि 175 रु

उपरोक्त वाउचरों का भुगतान श्री भीम सेन ठाकुर कनिष्ठ सहायक को बाबत यात्रा भत्ता दावों का किया गया जिसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

1) स्कूटर द्वारा की गई यात्रा का भुगतान: हिमाचल प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या फिन (सी) बी (7) 2-88-III दिनांक 24.6.93 बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता के पैरा 9(11) सड़क द्वारा यात्रा हेतु पात्रता के अनुसार श्री भीम सेन ठाकुर स्कूटर द्वारा यात्रा करने का पात्र नहीं था यदि यात्रा स्कूटर द्वारा की गई तो उनको बस किराया से प्रतिबन्धित किया जाना था। इस प्रकार ठाकुर को रु 1161.50 रु० का अधिक भुगतान किया जिसको न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा रु० 1161.50 रु० की वसूली कर के तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये विवरण निम्न है।

विवरण

यात्रा विवरण	जो भुगतान किया	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
	रु		रु	
[illegible] से शिमला और वापिस 9 AM से 5.30 PM [illegible]	135.0 35 170	35+35 30.0 100	70.00	मूल वेतन 1350 रु दैनिक भत्ता दर 35 रु प्रतिदिन [illegible] स्कूटर द्वारा पात्र नहीं, बस किराया प्रतिबन्धित किया
-यथोपरि-	170.0	100	70.0	यथोपरि
-यथोपरि-	170.0	100	70.0	यथोपरि
-यथोपरि-	170.0	100	70.0	यथोपरि
[illegible] से [illegible] और वापिस 10 AM से 6.30 PM	68 33 [illegible]	30 39	163.00	यथोपरि
-यथोपरि-	[illegible] 52	54 51	163.0	"

परवाणू से सोलन और कसौली [illegible] स्कूटर द्वारा [illegible]	72 24.50 96.50	30 21 51.—	45.50	—यथोपरि
—यथोपरि—	96.50	51.—	45.50	—यथोपरि—
—यथोपरि—	96.50	51.—	45.50	—यथोपरि—
—यथोपरि—	96.50	51.—	45.50	—यथोपरि—
परवाणू से शिमला [illegible] शिमला से परवाणू [illegible]	144.— 70 214	70 60 130	84.—	—यथोपरि—
परवाणू से सोलन और कसौली [illegible]	96.50	51.—	45.50	"
परवाणू से शिमला और वापिसी स्कूटर द्वारा	144 35 179	70 30 100	79.—	—यथोपरि—
—यथोपरि—	179	100	79.—	—यथोपरि—
परवाणू से सोलन और वापिसी स्कूटर द्वारा [illegible] 630	102.—	51.—	51.—	—यथोपरि—
—यथोपरि—	102.—	51	51.—	—यथोपरि—
परवाणू से शिमला और वापिसी स्कूटर द्वारा	179	100	79.—	—यथोपरि—
—यथोपरि—	179	100	79.—	—यथोपरि—
परवाणू से सोलन और वापिसी स्कूटर द्वारा	88.—	54.—	34.—	—यथोपरि—
—यथोपरि—	88.—	54.—	34.—	—यथोपरि—
			1161.50	
[illegible]	30 [illegible] 155	1[illegible]0 94	71.—	[illegible] 32 [illegible]
परवाणू से सोलन और [illegible]	89.—	55.—	34.—	परवाणू से सोलन का किराया
			173.—	17 [illegible]

(8) वाउचर नं० 3 दिनांक 4/95 राशि 3194.4 [illegible]

रु० 4338.2 [illegible] रु० का भुगतान श्री महेश दत्त शर्मा सचिव नगर पंचायत परवाणु को बोरते यात्रा भत्ता बिलों का किया गया उसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

1) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग संख्या फिन।सी। बी17-2/88-II दिनांक 25.6.93 बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता। दैनिक भत्ता आदि की अदायगी बारे में पैरा नं० 4(1) स्थान द्वारा यात्रा हेतु पात्रता के अनुसार श्रेणी 1 और 2 के कर्मचारी। अधिकारी ही सार्वजनिक परिवहन में एक सीट लेकर या मोटर-साईकल। स्कूटर या पूरी टैक्सी। अपनी कार लेकर सार्वजनिक परिवहन में एक सीट लेकर या मोटर-साईकल-स्कूटर से। इन श्रेणियों के कर्मचारी पूरी टैक्सी। अपनी कार से यात्रा करने के हकदार नहीं होंगे।

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि महेश दत्त सचिव नगर पंचायत परवाणु द्वारा नियमों की अवहेलना करके यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान किया गया इस प्रकार रु० 3385.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी अब वसूली की जाये और परिषद निधि में जमा करवाई जाये और इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जाये। विवरण निम्न है:- 1940 5

विवरण : श्री महेश दत्त शर्मा सचिव नगर पंचायत कुल्लेवल

यात्रा का विवरण	जो क्लेम किया	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
	रु०	रु०		
परवाणु से सोलन और वापसी 9 A.M. से 6 PM मोटर साईकल द्वारा 90 KM [illegible]	67.50 22.00 DA 89.50	17+17 21.00 55.0	34.00	प्रतिदिन [illegible] परवाणु से सोलन का बस किराया 17 रु० और दैनिक भत्ता 21 रु०
— यथोपरि	89.00	55	34.00	— यथोपरि —
परवाणु से शिमला और वापसी 9 [illegible] से 11 PM मोटर साईकल द्वारा 180 KM	135 30 165	32+32 130 94	71.00	परवाणु से शिमला का बस किराया 32 रु०
परवाणु से सोलन और वापसी [illegible] मोटर साईकल द्वारा	89.00	55.0	34.00 17.3.98	परवाणु से सोलन का किराया 17 रु०

पिछला योग 173.0

— यथोपरि —	89.00	55.00	34.00	— यथोपरि —
— यथोपरि —	89.00	55	34	— यथोपरि —
— यथोपरि —				
फाफामऊ से चंद्रिका और वापसी 10 AM से 9 PM मोटर साइकिल द्वारा 66km	49.50 22.00 71.00	10+10 +21 41.0	30.0	फाफामऊ से चंद्रिका कार्यालय किराया 10 रु०
— यथोपरि —	71.00	41.00	30.00	— यथोपरि —
— यथोपरि —	71.00	41.00	30.00	— यथोपरि —
— यथोपरि —	71.00	41.00	30.00	— यथोपरि —
फाफामऊ से सोरांव और वापसी 9 AM से 6.30 PM मोटर साइकिल द्वारा 90km	67.50 22.00 89.0	17+17 21 55.0	34.0	और किराया 17 रु
— यथोपरि —	89.00	55.0	34.00	— यथोपरि —
— यथोपरि —	89.0	55	34.00	— यथोपरि —
— यथोपरि —	89.00	55.0	34.0	— यथोपरि —
— यथोपरि —	89.0	55	34.00	— यथोपरि —
फाफामऊ से सोरांव और वापसी 9 AM से 11 PM मोटर साइकिल द्वारा 180km	135 22 157	32+32 30 94	63.0	बस किराया 32 रु०
— यथोपरि —	157.00	94.0	63.00	"
— यथोपरि —	157	94	63.00	"
फाफामऊ से [illegible] और वापसी टैक्सी द्वारा 9 AM से 11 PM	900 22 922	32+32 30 94	828.00	टैक्सी द्वारा [illegible] [illegible]
— यथोपरि — [illegible]	900 22 922	32+32 31 85	837	टैक्सी द्वारा [illegible] [illegible]
		कुल योग	3385.0	

(ज) टैक्सी किराये पर लेने बाबत में

नगर परिषद के वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि कौंसिल कार्यों हेतु नगर परिषद/पंचायत द्वारा टैक्सी का उपयोग किया गया तथा भुगतान नगर पंचायत/परिषद निधि से किया गया जबकि हि० प्र० सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० वित्त (सी)(7) 2/88 दि० दिनांक 14.6.90 तथा समय-समय पर जारी किये गये कैबिनेट आदेशों के अन्तर्गत उचित टैक्सी का उपयोग करने के पात्र नहीं थे परन्तु नगर परिषद ने आदेशों के विपरीत टैक्सी का उपयोग किया जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं अत: इस की यथाशीघ्र वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाये

वाउचर नं०	दिनांक	राशि	टिप्पणी
3	12/95	1140 रु	कुल 1140 रु का भुगतान टैक्सी कोरयर बाबत टैक्सी नं० एच० पी० 37-187 का बाबत धर्मशाला से शिमला और वापिसी दो चक्कर माह 11/95 .
32	8/96	350.00	बाबत यात्रा धर्मशाला से चडीगढ़ और वापिसी टैक्सी नं० एच० पी० 02-2512. माह 8/96 में
1	4/96	995.00	बाबत यात्रा दिनांक 24.3.96 धर्मशाला से शिमला और वापिसी टैक्सी नं० एच० पी० 01-8
7	6/96	950.00	यात्रा श्री प्रकाश सिंह उप-प्रधान नगर परिषद धर्मशाला से धर्मशाला से शिमला को वापिसी बावत मीटिंग हेतु
9	4/95	900.00	भुगतान उप-प्रधान टैक्सी अधिकारी बाबत यात्रा धर्मशाला से शिमला और वापिसी माह 4/95 टैक्सी नं० एच० पी० 37-815
2	4/95	500.00	— बाबत टैक्सी नं० एच० पी० 37-187

19. बिजली / पानी के बिलो का अधिक भुगतान — मु० 1030-60 रु० विलम्ब शुल्क

अंकेक्षण मे पाया गया कि नगरपरिषद् द्वारा पानी व बिजली के बिलों को विलम्ब से जमा करवाने के कारण विलम्ब शुल्क देना पड़ा है, जो कि नगरपरिषद् निधि पर वैध प्रभार नहीं है। जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं, इस राशि मु० 1030-60 की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगरपरिषद् निधि में शीघ्र जमा करवाया जावे, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करे।

वा० न० 12 मास 3/97 राशि 3911/-

भुगतान आवास बोर्ड परवाणु की बाबत पानी सप्लाई हेतु।

खाता सं०	भुगतान राशी	देय तिथि	देयतिथि को भुगतान	अधिक भुगतान	टिप्पणी
4D-559	528-25	25-2-97	480-25	48-00	जमा राशि 15306 दिनांक 13-3-97
D-220	509-25	25-2-97	462-95	46-30	— यथोपरि —
4D-558	17-05	25-2-97	15-50	1-55	— यथोपरि —
4D-551	367-50	25-2-97	334-10	33-40	— यथोपरि —
4D-549	78-55	25-2-97	71-40	7-15	— यथोपरि —
4D-548	723-05	25-2-97	657-30	65-75	— यथोपरि —
4D-221	623-45	25-2-97	566-75	56-70	— यथोपरि —
1C-94	868-95	25-2-97	789-95	79-00	— यथोपरि —
4D-550	33-50	25-2-97	30-45	3-05	— यथोपरि —
1D-273	161-70	25-2-97	147-00	14-70	— यथोपरि —
1C-94	475-00	20-4-97	432-00	43-00	दि० 23-4-97 22860
1C-92	66-10	20-4-97	60-10	6-00	— यथोपरि —
			योग	404-60	

— यथोपरि — 25743 4D-220 541-00 54-10 [illegible]

— यथोपरि — 22472 1C-94 545-00 95-00 450 व 995-0

वा० नं० 25 मास 3/97 राशि 14888/- (बिजली बिल)

BS-2	7969-00	25-1-97	7879-00	90-00	दि० 13-3-97	6709
LS-2	6919-00	25-1-97	6829-00	90-00	दि० 13-3-97	6710
				180-00		

वा० नं० 70 मास 4/96 राशि 16639/-

BS-2	9411-00	25-3-96	9321-00	90-00	दि० 3-4-96	910408
LS-2	7268-00	25-3-96	7178-00	90-00	दि० 3-4-96	910407
				180-00		

वा० नं० 4 मास 9/96 राशि 3251/-

RRL-18	3251-00	22-8-96	2985-00	266-00	दि० 9-9-96	136925
				266-00		

(404-60)(+)180-00(+)180 (+) 266 कुल योग, अधिक भुगतान 1030-60

29) वा० नं० 24 मास 3/98 राशि 3811-00

मु० 3801/- रु० का भुगतान दि० रा० आवास बोर्ड, परवाणु को आपूर्ति पानी हेतु किया गया। इस भुगतान में मु० 228/- रु० अधिभार के बिलों को समय पर जमा न करवाने के कारण किया, जिसका विवरण निम्न है। जो मु० 228/- रु० अधिभार का भुगतान किया गया वह परिषद् निधि पर वैध व्यय नहीं है। इस राशि मु० 228/- रु० की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर शीघ्र परिषद् निधि में जमा करवाया जावे।

अवधि	बिल नं०	रसीद नं०	विद्युत उपभोग	अधिभार	कर्मचारी हिस्सा	टोटल
12/93 से 12/93	25546	UD-5594	337-00	31-00	306-00	643-00
-यथोपरि-	25745	UD-330	69-00	6-00	73-00	141-00
-यथोपरि-	22592	11-74	545-00	95-00	450-00	995-00

17 2/93 से 17 3/94	25537	UD-549	37-00	3-00	34-00	71-00
— यथोपरि —	25545	UD-558	18-00	2-00	16-00	34-00
— यथोपरि —	25539	UD-551	198-00	18-00	180-00	378-00
— यथोपरि —	25536	UD-548	344-00	31-00	313-00	657-00
— यथोपरि —	25744	ID-221	139-00	13-00	168-00	307-00
— यथोपरि —	25794	ID-273	162-00	15-00	147-00	309-00
— यथोपरि —	25538	UD-550	158-00	14-00	106-00	264-00
— यथोपरि —	25591	IC-92	—		12-00	12-00
				228-00		3381-00

ग) वा० न० 28 मास 3/94 राशि 218,616/-रु०

मु० 218,616/-रु० का भुगतान सहायक अभियन्ता विद्युत परिषद् हि० प्र० को बाबत सप्लाई बिजली के बिलों का बिल सं० 0602910, खाता सं० LS-2 राशि 104352
0602911 खाता सं० BS-2 राशि 114264
218616

खाता सं०	पिछला बकाया	वर्तमान बिल	कुल
LS-2	93092-00	11260-00	104352-00
BS-2	101,060-00	13204-00	114264-00
	194,152-00		

इन बिलों में मु० 194152/-रु० का भुगतान पिछले बिलों का किया गया जाता बिजली के बिलों का भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे और इन बिलों पर जो नगर परिषद् द्वारा अधिभार दिया गया उसकी भरपाई सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगरपालिका निधि में जमा करवाया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

20. दूरभाष पर अत्याधिक व्यय

क) नगरपरिषद् परवाणु के कार्यालय में स्थापित टेलीफोन नं० 32053 के भुगतान बिलों को जाँचने पर पाया गया कि दूरभाष पर अत्याधिक व्यय किया गया है। बिलों के अवलोकन से यह पाया गया कि काफी मात्रा में स्थानीय काले एवं ट्रंक काले की जाती रही। परन्तु दूरभाष से की गई ट्रंक काले, जिनके भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था, क्या सरकारी थी सत्यापित नहीं की गई थी। जिससे यही प्रतीत होता है कि काफी संख्या में की गई ट्रंक काले निजी तौर पर की गई थी। अतः मामले की पूर्ण छानबीन की जाये तथा जो निजी तौर पर की गई ट्रंक कालों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से अथवा कार्यकारी अधिकारी से यथाशीघ्र की जाये तथा वसूली के विवरण इस निदेशालय को अग्रेषित किये जायें।

i) बिल सं० 4 मास 4/95 राशि 21878/- रु०

टेलीफोन सं० 2053, अवधि 16-12-94 से 15-2-95

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
30-12-94	ज्वालामुखी	2256	10-00	सत्यापित नहीं कि कोई सरकारी थी या निजी
13-1-95	नई दिल्ली	3716124	100-00	
14-1-95	चंडीगढ़	561140	8-00	
14-1-95	चंडीगढ़	554239	8-00	
17-1-95	नई दिल्ली	3792771	75-00	
17-1-95	चंडीगढ़	70999	20-00	
17-1-95	ज्वालामुखी	2256	20-00	
18-1-95	चंडीगढ़	690913	8-00	
24-1-95	नई दिल्ली	3716124	125-00	
28-1-95	बिलासपुर	2461	20-00	
28-1-95	नालागढ़	3179	16-00	
31-1-95	ज्वालामुखी	2545	10-00	
2-2-95	बिलासपुर	2461	20-00	
10-2-95	नालागढ़	3105	16-00	
4-2-95	ज्वालामुखी	2545	1-00	
			457-00	

वा० नं० 12 मास 7/96 राशि 7695/-रु०

टेलीफोन सं० 22053 अवधि 16-4-96 से 15-6-96

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
19-4-96	चंडीगढ़	562007	8-00	[illegible]
19-4-96	कालका	20500	5-00	
26-4-96	कालका	20816	5-00	
27-4-96	कालका	20500	10-00	
28-4-96	चंडीगढ़	707944	8-00	
2-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
2-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
2-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
3-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
4-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
7-5-96	— मधोपारि —		8-00	
7-5-96	— मधोपारि —		8-00	
7-5-96	— मधोपारि —		8-00	
7-5-96	सुन्दरनगर	62495	40-00	
8-5-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
9-5-96	— मधोपारि —		8-00	
10-5-96	— मधोपारि —		8-00	
11-5-96	— मधोपारि —		8-00	
12-5-96	सुन्दरनगर	62495	10-00	
16-5-96	चंडीगढ़	540807.	8-00	
18-5-96	ज्वालामुखी	2256.	40-00	
20-5-96	नई दिल्ली	2413727	50-00	
20-5-96	ज्वालामुखी	2256.	50-00	
20-5-96	ज्वालामुखी	2256.	80-00	
2?-5-96		—		
	सुन्दरनगर	62495	120-00	
4-6-96	नाहन	2726	8-00	
4-6-96	नाहन	2702	8-00	
5-6-96	नई दिल्ली	2413727	1-00	
6-6-96	नाहन	2726	8-00	
8-6-96	नालागढ़	3694	8-00	
10-6-96	नई दिल्ली	3240214	100-00	
14-6-96	ज्वालामुखी	2256	120-00	
15-6-96	नाहन	2726	8-00	
			833-00	

ii) बी० न० 12 मास 11/96 राशि 4604/- रु०

टेलीफोन सं० 32053 अवधि 16/8/96 से 15/10/96

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
16-8-96	नई दिल्ली	8575522	50-00	संलग्न । बिलानुसार विवरणी नहीं
16-8-96	नई दिल्ली	7249143	50-00	
17-8-96	कालका	20538	16-00	
18-8-96	कालका	21231	4-00	
19-8-96	नई दिल्ली	5500117	100-00	
19-8-96	नई दिल्ली	5500117	60-00	
22-8-96	चंडीगढ़	545147	8-00	
23-8-96	नालागढ़	3044	20-00	
26-8-96	नई दिल्ली	3413737	25-00	
29-8-96	नूरपुर	20490	100-00	
30-8-96	नई दिल्ली	7249143	50-00	
30-8-96	नई दिल्ली	7233067	75-00	
31-8-96	सुन्दरनगर	62495	30-00	
31-8-96	सुन्दरनगर	62495	75-00	
3-9-96	नई दिल्ली	5500117	50-00	
3-9-96	नई दिल्ली	7233067	75-00	
4-9-96	रामपुर बुशहर	33068	20-00	
4-9-96	सुन्दरनगर	62495	30-00	
14-9-96	चंडीगढ़	702395	8-00	
16-9-96	नालागढ़	3028	16-00	
19-9-96	कुल्लू	33696	120-00	
20-9-96	कालका	22104	16-00	
23-9-96	नई दिल्ली	7233067	25-00	
26-9-96	ज्वालामुखी	2256	60-00	
30-9-96	चंडीगढ़	549936	8-00	
2-10-96	ज्वालामुखी	2545	15-00	
		कुल योग	1096-00	

टैलीफोन सं० 32053 अवधि 16-6-97 से 15-8-97

(iii) वा० नं० 46 मास 7/97 राशि 2203/- रु०

टैलीफोन सं० 32053 अवधि 16-4-97 से 15-6-97

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
21-4-97	ज्वालामुखी	22545	60-00	इसिलिए बिल पर विवरण नहीं।
28-4-97	नालागढ़	23028	16-00	
19-5-97	ज्वालामुखी	22545	30-00	
20-5-97	ज्वालामुखी	73142	30-00	
28-5-97	नाहन	24628	16-00	
4-6-97	धर्मशाला	22373	30-00	
6-6-97	कालका	21131	8-00	
7-6-97	ज्वालामुखी	22545	30-00	
11-6-97	हमीरपुर	88045	30-00	
12-6-97	बड़सर	88045	45-00	
13-6-97	ऊना	25178	120-00	
13-6-97	ज्वालामुखी	22545	60-00	
	कुल जोड़		475-00	

(i) बिल नं० 49 मास 9/97 राशि 2475-00 रु०

टैलीफोन सं० 32053 अवधि 16-6-97 से 15-8-97

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
19-6-97	चंडीगढ़	541791	8-00	रजिस्टर। बिल पर टिप्पणी नहीं
2-7-97	ज्वालामुखी	22526	30-00	
9-7-97	नालागढ़	23028	16-00	
9-7-97	ज्वालामुखी	22656	30-00	
11-7-97	ज्वालामुखी	22545	60-00	
15-7-97	नई दिल्ली	6493821	50-00	
31-7-97	नालागढ़	23028	8-00	
9-8-97	कालका	22023	16-00	
9-8-97	सुन्दरनगर	62344	30-00	
11-8-97	नालागढ़	23009	8-00	
13-8-97	नई दिल्ली	2625155	50-00	
			306-00	

(ii) बिल नं० 25 मास 3/98 राशि 3926/-रु०

टैलीफोन सं० 32053 अवधि 16-12-97 से 15-2-98

दिनांक	स्टेशन		राशि	टिप्पणी
17-12-97	नालागढ़	23009	8-00	रजिस्टर। बिल पर टिप्पणी नहीं
25-12-97	कालका	22023	8-00	
26-12-97	कालका	22023	8-00	
29-12-97	पांवटा	22601	20-00	
29-12-97	कालका	22023	8-00	
31-12-97	लुधियाना	634182	30-00	
2-1-98	कालका	22023	16-00	
5-1-98	पांवटा	23401	20-00	
5-1-98	हमीरपुर	43293	30-00	
6-1-98	नालागढ़	23028	8-00	
8-1-98	कालका	21904	20-00	
10-1-98	नाहन	22726	8-00	
			184-00	

अ) देरी से टेलीफोन के बिल जमा करने पर अतिरिक्त भुगतान - रु0 560-00

नगर परिषद परवाणु के स्थापित टेलीफोनों के बिलों की जांच करते समय पाया गया कि नगर परिषद ने टेलीफोन बिलों का देरी से भुगतान किया गया, जिस कारण नगर परिषद निधि से अधिभार का भुगतान करना पड़ा जो कि अंकेक्षण में मान्य नहीं है, इस प्रकार रु0 560/-रु का नगर परिषद निधि से अधिभार का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न है इसकी

			184-00
11-1-98	ज्वालामुखी	22545	30-00
11-1-98	ज्वालामुखी	22545	30-00
13-1-98	पांवटा	22164	20-00
14-1-98	नाहन	22726	8-00
15-1-98	पांवटा	22533	20-00
16-1-98	लुधियाना	532998	30-00
17-1-98	पांवटा	23401	20-00
17-1-98	चंडीगढ़	549936	8-00
17-1-98	नई दिल्ली	5564017	50-00
17-1-98	पांवटा	23401	20-00
17-1-98	पांवटा	23401	20-00
19-1-98	नालागढ़	36273	8-00
20-1-98	नालागढ़	36278	16-00
31-1-98	कालका	22023	8-00
2-2-98	नाहन	22235	8-00
5-2-98	नालागढ़	23018	8-00
7-2-98	पांवटा	23401	20-00
7-2-98	नाहन	22512	8-00
10-2-98	चंडीगढ़	549936	16-00
10-2-98	पांवटा	22164	20-00
13-2-98	बिलासपुर	55863	20-00
	कुल योग		572-00

घ) देरी से टेलीफोन के बिल भुगतान करने पर
अनियमित भुगतान - मु० 560-रु

नगर परिषद् परवाणु के स्थापित टेलीफोनों के बिलों की जांच करते समय पाया गया कि नगर परिषद् ने टेलीफोन बिलों का देरी से भुगतान किया गया, जिस कारण नगर परिषद् निधि से अधिभार का भुगतान करना पड़ा जो कि अंकेक्षण में मान्य नहीं है, इस प्रकार मु० 560/-रु का नगर परिषद् निधि से अधिभार का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न है, इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके नगर परिषद् निधि में शीघ्र जमा करवाया जावे।
विवरण संलग्न है।

ग) वाउचर सं० 25 मास 3/98 राशि 1487/-रु०

मु० 1487/-रु० का भुगतान बावत टेलीफोन न० 33221 (प्रधान, नगरपरिषद्, परवाणु) का (मै० एन०सी०एस० ड्यूस्कीन, एच० आई० जी० 61, सै० -4, परवाणु) अवधि 16-12-97 से 15-2-98 का किया गया। यह बिल नगरपरिषद् प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 31-7-97 के अनुसार किया गया।
अंकेक्षण में पाया गया कि टेलीफोन न० 33221 का पूरा बिल मु० 1487/-रु० नगरपरिषद् निधि से ही वहन किया गया जब कि यह टेलीफोन प्रधान द्वारा अपने व्यवसाय हेतु भी प्रयोग किया गया होगा। अतः नगरपरिषद् यह सुनिश्चित करे कि उपरोक्त बिल का भुगतान जो किया गया वह केवल नगर परिषद् कार्यों के लिये ही उपयोग किया गया। अतः टेलीफोन के बिल का आनुपातिक भुगतान किया जावे, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

Y/- CASHIER SEAT 3/8

तिथि	राशि	टेलीफोन बिल के भुगतान की देय तिथि	राशि देय	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि	अधिभार	टिप्पणी
/95	2151-00	21-3-95	2087-00	1-4-95	2151-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053 अवधि 16-12-94 से 15-2-95
/95	2358-00	21-11-95	2288-00	15-1-96	2358-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053 अवधि 16-8-95 से 15-10-95
/95	2614-00	26-9-95	2544-00	18-10-95	2614-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053 अवधि 16-6-95 to 15-8-95
/96	2337-00	21-1-96	2267-00	5-2-96	2337-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053 अवधि 16-10-95 to 15-12-95
/96	2388-00	22-7-96	2318-00	26-7-96	2388-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053
/95	2358-00	21-11-95	2288-00	1-12-95	2358-00	70-00	टेलीफोन सं० 2053
/95	2614-00	26-9-95	2544-00	18-10-95	2614-00	70-00	टेलीफोन सं० 32053 अवधि 16-6-95 to 15-8-95
/97	2131-00	21-3-97	2061-00	25-4-97	2131-00	70-00	टेलीफोन सं० 32053 अवधि 16-12-96 से 15-2-97
						560-00	

31. अनुत्पादक कार्यों पर व्यय

हिमाचल सरकार के पत्र संख्या फिन-1-बी(14)1/83 दिनांक 10.3.84, बजट मैनुअल में कमी के उपाय पैरा नं० 5(i) के अनुसार अनुत्पादक कार्यों पर व्यय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि यह पाबन्दियां विज्ञापनों स्मारिकाओं या समाचार पत्रों में विज्ञापनों देने पर भी लागू होगी। और सरकार द्वारा यह मितव्ययता नगर निगमों, कार्पोरेशन, और स्थानीय निकायों पर भी लागू की गई जो आज तक जारी है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि बजट में कमी के निर्देशों की किस प्रकार उल्लंघना/अवहेलना की गई कि अवधि 4/95 से 3/96 में लगभग रु० 10,201/- पालिका निधि विज्ञापनों पर व्यय किए गए थे जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः अनुत्पादक व्यय को जानबूझ कर करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे। तथा इस व्यय को न्यायसंगत सिद्ध किया जावे

वाउचर नं०	मास	राशि रु०	टिप्पणी
3	4/95	1000.00	भुगतान प्रबन्धक श्री एस० आर० तेलगी बाबत विज्ञापन औद्योगिक विकास मासिक पत्रिका में "परवाणू क्षेत्र"
11	3/96	3000.00	प्रधान मेला कमेटी कौशिकगण विज्ञापन "विद बैस्ट कम्पलीमैंट्स, नगर पंचायत परवाणू जिला सोलन"
9	6/96	2900.00	प्रबंधक इलाक हिन्दू दैनिक में विज्ञापन "नगर पंचायत परवाणू प्रगति के पथ पर"
9	9/95	2000.00	अध्यक्ष जनजातीय उत्थान समिति केलांग लाहौल को विज्ञापन हेतु
12	4/95	2000.00	-समाचार-भारत

27 8/96 3800.00 प्रबन्धक हिंद समाचार जालंधर बाबत विज्ञापन स्वतंत्रता दिवस विशेष परिशिष्ट 'नगर पंचायत परवाणू प्रगति के पथ पर'

28 8/96 2800.00 प्रबंधक उत्तम हिंदु दैनिक जालंधर विज्ञापन "नगर पंचायत परवाणू प्रगति के पथ पर'

6 1/97 300.00 भुगतान मैं० हिमाचल सूर्या पब्लिकेशन न्यू शिमला बाबत साप्ताहिक समाचार (परन्तु कोई साप्ताहिक समाचार की प्राप्ति नहीं दिखाई गई। कोई प्रविष्टि नहीं

8 5/97 120.00 भुगतान श्री पीताम्बर शर्मा सम्पादक साप्ताहिक पत्र "निराला' कोई प्राप्ति नहीं दर्शाई गई'

23 3/97 100.00 —— यथोपरि ——

ख) वाउचर नं० 7/96 राशि 5000.00

रु० 5000 रु० का भुगतान प्रबंधक इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ को बाबत विज्ञापन हेतु किया गया परन्तु बिल नं० 51995 दिनांक 31-7-96 रु० 4800 रु० का प्रबंधक इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ का इस प्रकार 200 रु० का अधिक भुगतान किया गया। परन्तु रु० 200 रु० की वापसी प्रबंधक इंडियन एक्सप्रेस से रोकड़ बही में नहीं दिखाई गई। अतः शीघ्र रु० 200 रु० प्रबंधक इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ से प्राप्त कर के रोकड़ बही में जमा करवाई जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

12 1/95 200.00 — यथोपरि —

22) क) अग्रिम राशि — राशियां समायोजित नहीं-रु० 48002

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम राशि का भुगतान किया जाता रहा। परन्तु निम्न दर्शाये मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा न तो उपयोग लेखे प्रस्तुत ही किये थे और न ही अनुप्रयोग अग्रिम राशियों को लौटाया गया था। जिससे यही प्रतीत होता है कि अग्रिम राशि के नाम पर नगर पंचायत निधि का गबन/ दुर्विनियोजन ही किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु को अंकेक्षण अधियाचना सं० 498 दिनांक 21-5-2001 द्वारा अनुरोध किया गया कि इन राशियों के समायोजित लेखे व अग्रिम राशि का रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाये, परन्तु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने अंकेक्षण समाप्त होने तक इन राशियों के समायोजित लेखे उपलब्ध नहीं करवाये। अतः या तो सम्बन्धित कर्मचारी से उपयोग लेखे प्राप्त किये जायें अथवा दोषी से अग्रिम राशि की वसूली एक मुश्त की जाये इसके साथ इस लापरवाही के लिये दोषी एवं कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध, जिसके द्वारा मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की है, प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाये, मामले में की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को अवगत करवाया जाये।

विवरण :-

वाउचर नं०	माह	राशि रु०	विवरण
12	4/95	1000	श्री पुरु० के० डोगरा लेखाकार दैनिक भत्ते हेतु
12	4/95	2000/-	-यथोपरि- बाबत [illegible]

66	3/97	1000.00	श्री एस० के० डोगरा व० लिपिक बाबत वॉलीबाल प्रतियोगिता हेतु
2	8/96	5000.00	श्री बी० एस० ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता बाबत हड़ताल के दौरान व्यय करने हेतु
3	10/96	2000.00	श्री बी० एस० ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता बाबत फुटकर व्यय करने हेतु
17	2/97	2000.00	—— यथोपरि ——
32	3/98	1500.00	श्री बी० एस० ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता बाबत वाहन की सर्विस हेतु
35	12/97	10,000.00	श्री बी० एस० ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता बाबत क्रय करने स्प्रे पम्प और बैलों
25	8/96	2000.00	श्री सुरेश कुमार ड्राईवर बाबत ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु
9A	11/95	500.00	श्री सुरेश कुमार ड्राईवर बाबत ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु
31	12/97	1000.00	श्री सुरेश कुमार ड्राईवर बाबत वाहन को दिल्ली ले जाने हेतु
22	7/97	4000.00	श्री सुधीर शर्मा कनिष्ठ लिपिक बाबत क्रय करने स्टेशनरी
37	2/98	6500.00	—— यथोपरि ——

कु० योग 48700 रु

(14) वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण राशि

वाउचर नं० 3	मास 1/96	राशि 22725/-	श्री सुधीर शर्मा कार्य निरीक्षक बावत स्कूटर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण राशि।
" " 3	" 1/96	" 22725/-	श्री एच० के० डोगरा स्कूटर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण राशि।
" " 6	" 1/96	" 21000/-	श्री पुरुषोत्तम चौधरी व० लिपिक स्कूटर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण राशि।
" " 6	" 1/96	" 21000/-	श्री भीमसेन ठाकुर क० अभियन्ता स्कूटर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण राशि।

नगरपरिषद ने स्कूटर क्रय करने हेतु उपरोक्त अग्रिम राशियां अपने कर्मचारियों को दी, इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. अग्रिम ऋण राशि का अधिक भुगतान

हि० प्र० सरकार के आफिस मेमोरैंडम सं० FIN(C)-(3)-11/93 दि० 25-8-94 द्वारा कर्मचारी को स्कूटर क्रय करने हेतु रु० 20000/- रु० या स्कूटर का मूल्य जो भी कम हो वही देय था। परन्तु नगर परिषद परवाणु ने अपने कर्मचारियों को स्कूटर क्रय करने हेतु निम्न अधिक अग्रिम ऋण राशियां दी गई, जिसकी वसूली एक मुश्त ब्याज सहित की जावें और इस निदेशालय को तदानुसार सूचित करें।

नाम	देय राशि	भुगतान	अधिक अग्रिम राशि
1. श्री सुधीर शर्मा	20,000-00	22,725-00	2725-00
2. श्री एच० के० डोगरा	20,000-00	22725-00	2725-00
3. श्री पुरुषोत्तम चौधरी	20,000-00	21000-00	1000-00
4. श्री भीमसेन ठाकुर	20,000-00	21000-00	1000-00

2. हि० प्र० वित्तीय रूल्ज एण्ड रेगुलेशन वॉल्यूम - 1 के नियमानुसार जो कर्मचारी वाहन क्रय करने हेतु ऋण लेगा, वह ऋण के आहरण के एक महीने के अन्दर वाहन क्रय करने के बाद, वाहन के कागजात जैसे आर० सी० की छाया प्रतिलिपि इत्यादि विभाग को प्रस्तुत करेगा। अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित वाहन क्रय करने हेतु कागजात अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिस कारण से ऋण के क्रय की सत्यता की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित कागजात अगले अंकेक्षण में दिखाये जायें।

3. बजट प्रावधान

हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के अनुसार कर्मचारियों को ऋण का भुगतान तभी किया जा सकता है। यदि बजट में ऋण का प्रावधान रखा गया हो परन्तु वर्ष 1995-96 के बजट में इस सम्बन्ध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसे न्यायोचित ठहराया जाये।

[illegible] अंकेक्षण में पाया गया कि इन कर्मचारियों से अग्रिम राशि पर ब्याज प्राप्त नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः इस प्रकार ₹ [illegible] रुपये की जो वसूली की गई कैसे की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जाये और तदानुसार इस निरीक्षक को सूचित किया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को यदि कोई ऋण लेने हेतु अग्रिम [illegible] दी गई उनसे भी ब्याज की वसूली कर ली गई है इस की अनुपालना रिपोर्ट अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(J) गर्म कपड़ा क्रय करने हेतु - अग्रिम राशि

i) श्री महेश दत्त शर्मा स्वीपर से रु० 310 का बकाया

श्री महेश दत्त शर्मा स्वीपर नगर पंचायत परतापुर (मेरठ) को वाउचर नं० 1 दिनांक 2-1-95 द्वारा रु० 300 का अग्रिम राशि बावत क्रय करने गर्म कपड़ा हेतु दिया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि श्री महेश दत्त शर्मा का दिनांक 1.8.95 को नगर पंचायत जानसठ को स्थानान्तरण हो गया है तथा अग्रिम राशि के वसूली रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि पृष्ठ 4 पर उससे केवल रु० 90 का प्राप्त किये गये इस प्रकार अग्रिम राशि के रु० 310 का बकाया के लिए की वसूली अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई। अतः अधिशासी अधिकारी नगर परिषद परतापुर श्री महेश दत्त शर्मा से बकाया राशि रु० 310 का और ब्याज की राशि की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जावे। और तदानुसार इस निरीक्षण को सूचित किया जावे।

ii) ब्याज की कम प्राप्ति रु० - 1888.00

नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को गर्म कपड़ा क्रय करने हेतु अग्रिम राशियाँ दी गई परन्तु अंकेक्षण में पाया कि इन कर्मचारियों से अग्रिम राशि पर ब्याज प्राप्त नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः इस प्रकार रु० 1888.00 ब्याज की कम वसूली की गई जिसे की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल की जाये और तदानुसार इस निरीक्षण को सूचित किया जावे और यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को गर्म कपड़ा क्रय करने हेतु अग्रिम राशियाँ दी गई उन से भी ब्याज की वसूली नहीं की गई है उसका भी अनुपालन आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

वाउचर नं०	दिनांक	अग्रिम राशि	कर्मचारी का नाम	ब्याज की राशि
		रु०		रु०
1	1/95	3000	श्री पुरुषोत्तम सिंह लिपिक	236.00
1	1/95	3000	श्री हरि कृष्ण डोभाल लिपिक	236.00
1	1/95	3000	श्री सतीश कुमार चपरासी	236.00
1	1/95	3000	श्री भीम सैन ठाकुर जे०ई०	236.00
21	12/96	3000	श्री सुधीर शर्मा कार्यपरिवेक्षक	236.00
29	12/96	3000	श्री पुरुषोत्तम सिंह	236.00
29	12/96	3000	श्री सतीश कुमार चपरासी	236.00
12	12/94	3000	श्री सुधीर शर्मा	236.00
			योग	1888.00

घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अग्रिम राशि का अनियमित भुगतान

नगरपरिषद् परवाणु का अवधि ५/९५ से ३/९८ के तक के वाऊचरों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगर परिषद् परवाणु ने निम्न दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अग्रिम राशियों का भुगतान किया। परन्तु अग्रिम राशि देने व प्राप्ति का रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या ५९७ दिनांक २-६-२००१ द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु से अनुरोध किया गया कि वह यह सुनिश्चित करें कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किस नियम के अन्तर्गत यह भुगतान किया गया और इसकी वसूली का पूर्ण विवरण दिया जाये।

कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् परवाणु ने दिनांक 16-06-2001 द्वारा सूचित किया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से अभी भी अग्रिम राशि की वसूली शेष है। यह सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस अग्रिम राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से एकमुश्त की जाये, इसके साथ ही इस लापरवाही के लिये दोषी सचिव / कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध जिसके द्वारा इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की है प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाये। यह मामला निदेशालय के ध्यानार्थ आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

विवरण

वाउचर सं०	दिनांक	राशि	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नाम	टिप्पणी
8	5/96	5000.00	श्री दलीप सिंह चौकीदार	मु० 2000/- रु० वसूल कर लिये गये हैं और मु० 3000/- बकाया है, परन्तु वसूली का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया।
12.	7/96	1000.00	श्री तेजपाल स० मजदूर	मु० 400/- रु० की वसूली कर ली गई है और 600/- रु० बकाया है, परन्तु वसूली का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया।
16.	7/96	2500.00	श्री सुरेश कुमार ड्राईवर	मु० 500/- रु० की वसूली की गई और 2000/- रु० बकाया है, वसूली का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया।
11	12/96	5000.00	श्री विजेन्द्र सिंह स० मजदूर	मु० 4000/- रु० की वसूली कर ली गई है और मु० 1000/- बकाया है, परन्तु वसूली का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया।
15.	12/96	2000.00	श्री रमेश कुमार स० मजदूर	कोई वसूली नहीं की गई।
8A.	11/95	2000.00	श्री ओमपाल स० मजदूर	मु० 2000/- रु० की वसूली कर ली गई है परन्तु वसूली का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया।

इसके अतिरिक्त यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया हो तो उनकी वसूली भी अतिशीघ्र करके इस निदेशालय को सूचित करें।

वाउचर नं० 15 माह 7/96 राशि 5000 रु

5) मु० 5000 रु० की अग्रिम राशि श्री सुधीर [illegible] को बाबत [illegible] समारोह दिनांक 15.7.96 हेतु विभागीय दल के समायोजित लेखे में निम्नांकित प्रस्तुत किये।-

बिल सं०	दिनांक	राशि	विवरण	टिप्पणी
3394	12.7.96	1000/-	मै० [illegible] परवाणू से 5 टी शर्ट	[illegible] में [illegible] नहीं
कैश	13.7.96	200	झंडा [illegible] की [illegible]	श्री रमेश कुमार परवाणू को भुगतान
		1200		

खान-पान परवाणू

35142	15.7.96	161	23 कोल्ड ड्रिंक	मै० नवीन [illegible] परवाणू स्टाक के [illegible] नहीं
कैश	"	250	40 "	मै० [illegible] परवाणू स्टाक के [illegible] नहीं
		300	बिस्कुट	
		60	पेपर प्लेट्स	
कैश	"	560	8 कि० बर्फी	मै० [illegible] परवाणू स्टाक के [illegible] नहीं
		225	150 समोसे	
		200	5 कि० [illegible]	
1176	"	75	पेपर प्लेट	"

[illegible] = 1844 रु

कैश	13.7.96	100	100 पौधे	श्री पृथ्वी दत्त कोई रिकार्ड नहीं
"	13.7.96	300	खाद	100 फुट खाद दर 3 रु० कोई रिकार्ड नहीं
		400		

[illegible]

3611	16.7.96	760	65 फोटो मदन स्टूडियो परवाणू	कोई रिकार्ड नहीं
304	14.7.96	760	टैंट [illegible] टैंट हाउस [illegible]	"
		1540		

अंकेक्षण आपत्तियां : 100 पौधे लगाने पर कुल 5000 रु के [illegible] कोई [illegible]।
कुल 1861 रु [illegible] खान-पान पर [illegible] [illegible] को कोई [illegible] को [illegible] के [illegible] जाये और [illegible] से [illegible] ले कर [illegible] जाये [illegible] को [illegible] ले कर के [illegible] में [illegible] जाये।

ii) कुल 780 रु० केवल फोटो पर व्यय दर्शाये तथा जिनको परिषद निधि से व्ययोचित ठहराया जावे और इन फोटो का इन्द्राज भी स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया।

iii) 100 पौधों के लिये 100 घ० फुट खाद को भी न्यायोचित ठहराया जावे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे।

घ) वाउचर नं० 9 मार्च 4/96 राशि 5115 रु०

मुबलिग 5115 रु० का भुगतान मै० राजा टैंट हाउस मेन बाजार करौली को बाबत सप्लाई कारपेट 15'x5' के 3 पीस अवधि 30.1.96 से 29.2.96 तक 31 दिन दर 165 रु० प्रतिदिन प्रधान नगर पंचायत / परिषद के कमरे में बिछाने हेतु किया गया इस व्यय को नगर परिषद निधि से व्ययोचित ठहराया जावे अतः इस व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित कार्यवाही जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

ख) वाउचर नं० 13 मार्च 3/96 राशि 10,000 रु

मुताबिक 10,000 रु की अग्रिम राशि श्री भीम सैन ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता को चैक नं० 20(47) दिनांक 27.3.96 द्वारा वाहन क्रय करने टायर इत्यादि एच० आई० ए०-2 हेतु दी गई जिसके समायोजित टेस्तों में निम्न अनियमितता आपत्तियां पाई गई

i) बिल नं० 7842 दिनांक 22.3.96 राशि 4970

2 टायर 8.25.16	मोटी दर 2250	= 4500 रु	
2 ट्यूब	" दर 235	= 470 रु	
	योग	4970 रु	

यह टायर व ट्यूब एच० आई० ए०-2 जीप हेतु क्रय करके सप्लाई किये गये यह जीप सहायक आयुक्त परवाणु के कार्यालय की थी अतः नगर परिषद् [illegible] से दूर पर अन्य अनियमित था इस की अदायगी सम्बन्धित विभाग से की जाये [illegible] की सहायक आयुक्त के नाम पर ही थी।

ii) बिल नं० शून्य दिनांक 22-3-96 राशि 1435 रु

जीप एच० आई० ए०-2 की मुरम्मत पर व्यय

[illegible] 4 दर 210 रु	840 रु
ग्रीस	80 रु
[illegible]	170 रु
[illegible]	45 रु
लेबर	300 रु
योग	1435 रु

अतः यह व्यय भी 1435 रु भी सहायक आयुक्त की जीप एच० आई० ए०-2 पर ही व्यय किया गया जो की परिषद के लिए अनियमित था इस की भी प्रतिपूर्ति भी सम्बन्धित विभाग से ही की जाये।

iii) रु 350 रु का भुगतान मै० [illegible] 22.3 [illegible] नं० 106 दिनांक शून्य द्वारा [illegible] [illegible] हुआ [illegible] ।

iv) बिल नं० 416 दिनांक 27.3.96 कु० 1680 रु०

कु० 1680 रु० का भुगतान मै० सिद्धा हार्ड वेयर हाउस मिर्जापुर को बाबत 35 नग G.I. Pipe दर 48 रु० प्रति पाइप का किया गया परन्तु इस का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं कराया गया और न ही सत्यापन कराया गया अतः कु० 1680 रु० की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये।

v) बिल नं० 984 दिनांक 3.6.95 योग 1317 रु०

कु० 1317 रु० का भुगतान मै० कोलको फिलिंग स्टेशन परकाशु को बाबत सप्लाई डीजल का किया गया इस में कु० 35.85 रु० 27, अतिरिक्त दिया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से की जाये। इन की वास्तविक प्राप्ति की रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं की गई जिसे प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

vi) बिल नं० 836 दिनांक 25.2.95/27.2.96 योग 250 रु०

कु० 250 रु० का भुगतान मै० आनन्द फर्नीचर परकाशु को बाबत सहायक आयुक्त के मेज को ठीक करने का किया गया परन्तु इसी की प्राप्त कर्ता की रसीद अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

23. लॉग बुक- टैंकर एवं आई०ए० 8003

क) वाउचर नं० 8 माह 5/95 राशि 5670 रु

मुबलिग 5670 रु का भुगतान प्रबंधक कोलका फिलिंग स्टेशन फरकाबाद को बाबत आपूर्ति हाई स्पीड डीजल टैंकर एम० आई० ए० 8003 नगर परिषद फरकाबाद को बिल नं० 836, 858 और 892 का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

(i) बिल नं० 836 अवधि 1-11-94 से 30-11-94

दिनांक 14-11-94 को 45 लीटर डीजल @ 6.94 = 312.30 रु
दिनांक 14-11-94 को 1 लीटर मो० आयल = 83.50 रु
दिनांक 23-11-94 को 1 लीटर मो० आयल = 83.50

479.30

टैंकर की लाग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त 45 लीटर डीजल और 2 लीटर मो० आयल को इन्द्राज लाग बुक में नहीं किया गया। और लाग बुक के पृष्ठ 64 पर मासिक विवरणिका में 105 लीटर डीजल प्राप्त दिखाया गया जब कि माह 11/94 में 150 लीटर डीजल प्राप्त किया और लाग बुक में खपत भी 105 लीटर की ही दर्शाई गई इस प्रकार 45 लीटर डीजल और 2 लीटर मो० आयल को न तो लाग बुक में इन्द्राज किया और न ही उसकी खपत दर्शाई गई इस प्रकार 45 लीटर डीजल और 2 लीटर मो० आयल की कीमत रु 479.30 रु सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाये जायें और तदानुसार इस निर्देशन को सूचित किया जाये

(ii) बिल नं० 858 अवधि 1-12-94 से 31-12-94

दिनांक 1-12-94 को 45 लीटर डीजल दर 6.94 प्रति लीटर = 312.30 रु
दिनांक 1-12-94 को 1 लि० मो० आयल 83.50

योग 395.80

टैंकर की लाग बुक पृष्ठ 66 पर 45 लीटर डीजल और 1 लि० मो० आयल का इन्द्राज नहीं किया गया। माह 12/94 में 315 लीटर डीजल प्राप्त किया गया परन्तु पृष्ठ 66 पर

मसाला 20% 14.12

170.34

इन्द्राज 170 ली० डीजल का ही दर्शाया गया और स्टाक रजिस्टर भी 170 ली० डीजल का ही दर्शाया गया इस प्रकार 45 ली० की न तो लाग बुक में प्रविष्टि की गई और न ही स्टाक दर्शाई गई इसलिये 45 ली० डीजल और एक ली० मो० आयल का मूल्य मु० 395.80 रू० को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(iii) बिल नं० 392 अवधि 1.1.95 से 31.1.95

दिनांक 16.1.95 को मो० आयल एक ली० 84.00

एक ली० मो० आयल का इन्द्राज ट्रैक्टर की लाग बुक में नहीं किया गया इसकी वसूली मु० 84 रू० की सम्बन्धित कर्मचारी से कर के नगर परिषद निधि में जमा किया जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(iv) **बिलों पर सरचार्ज का भुगतान** : नगर परिषद द्वारा कोलको फिलिंग स्टेशन को डीजल इत्यादि की सप्लाई पर 2 प्रतिशत से सरचार्ज का भुगतान किया गया जो कि अनियमित था। उपरोक्त बिलों पर भी मु० 111 रू० का सरचार्ज का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दर्शाया जा रहा है। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, प्रबन्धक कोलको फिलिंग स्टेशन से डीजल मो० आयल पर जो 2 प्रतिशत की दर से सरचार्ज का भुगतान किया गया उसकी जांच करके समस्त वसूली की जाये और अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जावे।

1) बिल नं०	राशि
326	1707.80
सरचार्ज 2%	34.16
	1741.96

बिल सं० 294 द्वारा 2572.60 रु०
अस्वीकृति 2% 51.44 रु०
शेष 2521.16

बिल नं० 293 द्वारा 1378.45
अस्वीकृति 2% 27.55
योग 1406.00

कुल अस्वीकृति 34.00 रु० + 51.44 रु० + 27.55 = 110.992
या 111 रु०

इसी प्रकार बिल नं० 726 दिनांक 3.1.96 रु० 2433.60 पर 2% की दर से मु० 48.70 रूपया अस्वीकृति का भुगतान किया गया जिसकी वसूली भी सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर निगम निधि में जमा करवायी जावे

(V) मार्च 3/96 की मासिक विवरणिका - लाग बुक पृष्ठ-135

टैंकर नं० एच० आर० ए० 8003 की मास 3/96 की मासिक विवरणिका की पड़ताल करने पाया गया कि दिनांक 23.3.96 को 7 ली० डीजल क्रय किया दर्शाया परन्तु मासिक विवरणिका में 360.10 ली० की प्राप्ति के स्थान पर 353.10 ली० डीजल दर्शाया और खपत। निपटारा भी 353.10 ली० का ही दर्शाया गया इस प्रकार 7 ली० डीजल का मूल्य दर 7.01 रु० प्रति ली० से मु० 49.07 रु० की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर निगम निधि में जमा करवायी जावे।

(VI) मास 7/96 की मासिक विवरणिका - लाग बुक पृष्ठ-140

मास 7/96 की मासिक विवरणिका लाग बुक पृष्ठ 140 के अवलोकन से पाया गया कि मास 7/96 में 383.80 ली० डीजल टैंकर हेतु जारी किया परन्तु लाग बुक में 315 ली० की खपत ही दर्शाई गई इस प्रकार 68.80 ली० डीजल की खपत नहीं दर्शाई गई अतः 68.80 ली०

[illegible]

डीजल का क्रय दर 7.01 रु० प्रति लीटर से कुल 482 रु० की दोषी कर्मचारी से वसूल कर के नगर परिषद निधि में जमा करवायी जावे और तदानुसार इस निरीक्षण को सूचित किया जावे। विवरण निम्न है

दिनांक 20.6.96 को पिछला डीजल शेष 23.80 लीटर
दिनांक 3.7.96 को क्रय किया डीजल 45.00 "

योग 68.80 "

(ख) ट्रैक्टर नं० एच० आर० 8003 की मार्च 1997 से 3/98 की लाग बुक में नियम 3 की मेंटक रेगुलेशन दी यूज एंड मेंटेनेंस सरकारी वाहन के तहत आवश्यक विवरणिका तैयार नहीं की गई जिसे अब तैयार किया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(ग) **वाउचर नं० 21 मास 3/98 राशि 5720.45**

रु० 5720 रु० का भुगतान मै० वेरवा फिलिंग स्टेशन दसवां को बाबत खरीद डीजल, मो० आयल आदि बिल संख्या 835 और 1927 का किया गया। इसके निम्न अनियमितताएं थीं

डम्पर प्लेसर एच०आर० 15-2798 (बि०नं०-22287)

डम्पर प्लेसर नं० एच० आर० 15.2798 की लॉग बुक

दिनांक 9.1.98 को 50 लीटर डीजल दर 10.11 प्रति लीटर कुल 505.50 रु० टैंक भरवाया गया लीटर कुल 87 रु० का डम्पर प्लेसर हेतु जारी किया गया परन्तु इसका इन्द्राज डम्पर प्लेसर की लॉग बुक में नहीं किया गया और न ही इसकी खपत दर्शाई गई। अत: 50 लीटर डीजल की खपत दर्शाई जावे अन्यथा 505.50 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में तुरन्त जमा करवाई जावे।

(घ) वाउचर नं० 48 मास 2/97 राशि 11374 रु०

मु० 11374 रु० का भुगतान मै० तरंग फिलिंग स्टेशन परवाणु को बाबत सप्लाई तेल/डीजल इत्यादि का माह 9/96 से 12/96, 1/97 और 2/97 का किया गया।

अंकेक्षण में पाया गया कि बिल नं० 1283 माह 1/97 द्वारा दिनांक 17.1.97 को टैक्टर नं० एच० आई० ए० 8003 हेतु 8½ ली० इंजन आयल दर 90 रु० प्रति ली० मु० 765 और 13 ली० गीयर आयल दर 67 रु० प्रति ली० मु० 871 रु० का क्रय किया गया इस का इन्द्राज लॉग बुक पृष्ठ 158 पर किया गया था परन्तु इसी का आगे निपटारा नहीं दर्शाया गया। टैक्टर की लॉग बुक देखने में पाया गया कि टैक्टर की माह 1/97 में सर्विस भी नहीं करवाई गई अतः इस तेल के क्रय को न्यायोचित ठहराया जाये और अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मचारी से की जाये और अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

इसके अतिरिक्त मास 1/97 और 2/97 की [illegible] पोस्टिंग नहीं करवाई गई।

94. निर्माण कार्य

क) वाउचर नं० 30 माह 3/98 राशि 7130 रु

मुवलिग 7130 रु का भुगतान श्री मोनिक मेहता संविदाकार को प्रथम चलत बिल निर्माण रास्ता एच० आई० जी० -33 से एच० आई० जी० 10 सैक्टर परवाणु का किया गया इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई

1) श्री मोनिक मेहता संविदाकार को 79% उपर मानक दर अनुसूची 1987 पर आर्डर पत्र सं० एन० पी० । परवाणु/9610 । दिनांक 24.1.98 द्वारा कार्य आवंटित किया गया।

2) अधिक भुगतान कुल 671.00 रु

माप पुस्तिका 13 पृष्ठ 34 से 38

मद क्र० 11.4(बी): रैण्डम रुबल मैसनरी सीमेंट मोर्टार 1:6 में गलत गणना के कारण मात्रा 5.057 घ०मी० निकाली गई जब कि ठीक योग 4.177 घ०मी० था इस प्रकार संविदाकार को 0.88 घ०मी० का अधिक भुगतान कुल 539 रु किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-

भुगतान किया 5.057 घ०मी० दर 341.65 रु प्रति घ०मी०		=1728 रु
देय राशि 4.177 घ०मी० दर 341.65 रु	"	=1427 रु
	अधिक भुगतान	301 रु
	(+) जमा ठेकेदार का प्रीमियम 79%	238 रु
	कुल अधिक भुगतान	539 रु

मद क्र० सीमेंट कांक्रीट पैच वर्क (30 सम ग्रा) मिक्स 1:2:4 में गलत गणना के कारण मात्रा 1.87 घ०मी० दर्शाई गई जब की ठीक योग 1.75 घ०मी० था इस प्रकार कुल 132 रु का अधिक भुगतान किया जिसका विवरण इस प्रकार है

भुगतान किया 1.87 घ०मी० दर 603.40 रु प्रति घ०मी०		= 1134 रु
देय राशि 1.75 घ०मी० "	"	= 1060 रु
	अधिक	74
	जमा ठेकेदार प्रीमियम 79%	[illegible]
		132 रु

अतः कुल रु 671 रु (539+132) का अधिक भुगतान किया गया जिस का शीघ्र वसूल कर के निर्धारित निधि में जमा करवाया जाये और तदानुसार इस कार्यालय को सूचित किया जाये।

5) वाउचर नं० 2 मास 7/96 मार्च 1,56,655 रु०

मुबलिग 1,56,655 रु० का भुगतान श्री रतन कँवल सिंह संविदाकार को प्रथम और अंतिम बिल मुरम्मत सड़क विद प्रीमिक्स कारपेट सरफेसिंग सैक्टर 5 परवाणू आर० डी० 00 से 220 तक मु० 57142 रु० और आर० डी० 220 से 480 ~~मु०~~ 99513 रु० का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

i) निविदाएं / टैंडर आमंत्रित करना :- नगर परिषद ने निविदाएं / टैंडर आमंत्रित करने हेतु पत्र की छाया प्रति अंकेक्षण में नहीं दिखाई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए। नगर परिषद के रिकार्ड में तीन निविदाएं थी :-

i) मै० कृष्ण कंसट्रक्शन कम्पनी परवाणू 267% ऊपर

ii) श्री राकेश कुमार संविदाकार कालका 272% ऊपर

iii) श्री रतन कँवल सिंह संविदाकार परवाणू 250% ऊपर

टैंडरों की तुलनात्मक विवरणिका तैयार की गई और इस पर म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा यह नोट दिया गया कि श्री रतन कँवल सिंह संविदाकार की दरें सब से कम है परन्तु लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश की प्रचलित दरों से अधिक है इसलिए संविदाकारों को समझौता वार्ता (Negotiation) के लिये बुलाया जाए।

अंकेक्षण में पाया गया कि प्रधान नगर परिषद परवाणू द्वारा यह नोट लिखा गया, "Discussed and the rate reduced by 2% by the contractor". हस्ताक्षर प्रधान

इस प्रकार जो वार्ताकार के दरें तय की गई उनको म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया और टैंडर रजिस्टर पृष्ठ 20-21 पर भी म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई। जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

ii) नगर परिषद ने पत्र संख्या न० प० प० परवाणू / 96-954-955 दि० 18/6/96 द्वारा श्री कंवलजीत सिंह संविदाकार को 245% ऊपर मानक दर अनुसूची 1987 पर कार्य आवंटित किया परन्तु कार्य के एग्रीमेंट अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं किये।

इसके अतिरिक्त जो कार्य संविदाकार को 245% ऊपर मानक

दर अनुसूची 1967 पर आंवटित किया उसकी वास्टीफिकेशन म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की हुई अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई जिसे अब तैयार कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे।

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि जो प्राक्कलन बनाया गया था उसमें कोस्ट आफ इन्डेक्स मानक दर अनुसूची 1967 से 180% ऊपर दर्शाया गया जब कि कार्य 248% ऊपर मानक दर अनुसूची पर आंवटित किया इस प्रकार लगभग 68% ऊपर मानक दर अनुसूची 1967 पर कार्य आंवटित करने से लगभग रु 50359/- रु का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जावे अथवा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारि/कर्मचारी से वसूल कर के फंड निधि में जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे

भुगतान किया 248%	रु	180% पर देय राशि
बिल आर०डी० 00 से 200	26,958.00	26958.0
जमा 248%	66,855.00	जमा 180% 48,524.0
योग	93,813.00	75,482.0
बिल आर० डी 200 से 480	47101.0	47101.0
जमा 248%	1,16,810.0	जमा 180% 84782.0
योग	163911	योग 131883

अधिक भुगतान

	रु		रु		
आर०डी० 00 से 200	93813.0	(-)	75,482.0	=	18331 रु
आर०डी० 200 से 480	1,63911.0	(-)	1,31,883.0	-	32028 रु
	257724.0		207365.0		50,359 रु

आक्षेप क्रमांक 11 पृष्ठ 5 से 8, 8 से 12

(ड) मद सं० 21.17 :- पीसिलिंग मेकेनिकल वर्क आफ बैंड वाटर ओवर फलर जैनुविन्स इत्यादि

शासन ठेकेदार के करारा भुग 96… रु का अधिक भुगतान